लोक-सभा वाद-विवाद
का
संक्षिप्त अनदित संस्करण

SUMMARISED TRANSLATED VERSION OF 3rd LOK SABHA DEBATES

[बारहवां सत्र]

Twelfth Session

सत्यमेव जयते

Preservation Unit
1-6-92
Digitized
26-12-89
Parliament Library

[खंड 45 में अंक 11 से 20 तक हैं
Vol. XLV contains Nos. 11 to 20]

लोक-सभा सचिवालय
नई दिल्ली

LOK SABHA SECRETARIAT
NEW DELHI

मूल्य : एक रुपया

Price : One Rupee

विषय-सूचि/CONTENTS

अंक 18—गुरूवार, 9 सितम्बर, 1965/18 भाद्र, 1887 (शक)

No. 18—Thursday, September 9, 1965/Bhadra 18, 1887 (Saka)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर/ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

*ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
509	कम तथा मध्यम आय वर्गों के लिये मकान	Houses for Low and Middle Income Groups	1833–35
510	राजस्थान नहर परियोजना	Rajasthan Canal Project	1835–38
511	चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता	Foreign Exchange Requirements of Fourth Plan	1838–41
512	अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि	Rise in Prices of Essential Commodities	1841–45
513	विश्व बैंक ऋण	Loans from World Bank	1845–47
515	खाद्य अपमिश्रण	Food Adulteration	1847–50

प्रश्नों के लिखित उत्तर/WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

ता० प्र० संख्या S. Q. Nos.			
514	घाटे की अर्थ-व्यवस्था	Deficit Financing	1850–51
516	इमारती सामान	Building Materials	1851
517	प्रबन्ध अभिकरण जांच समिति का प्रतिवेदन	Managing Agency Enquiry Committee Report	1851
518	अल्प बचत आन्दोलन	Small Savings Drive	1852
519	सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सामान की शीघ्र निकासी	Speedy Clearance of Goods by the Customs	1852
520	वित्त नियम	Financial Rules	1853
521	भूमिगत जल	Sub-Soil Water	1853
522	विश्व बैंक और अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी से ऋण	Loan From World Bank and I.D.A.	1853–54

*किसी नाम पर अंकीत यह + चिन्ह इस बात का द्योतक है कि प्रश्न को सभा में उस सदस्य ने वास्तव में पूछा था।

*The sign + marked above the name of a Member indicates that the question was actually asked on the floor of the House by that member.

ता० प्र० संख्या S.Q.Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
523	राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को कर रियायतें	Tax Concessions to Industries of National Importance . . .	1854
524	सरकारी उपक्रमों में वेतन ढांचा	Salary Structure in Public Undertakings	1854–55
525	अयस्क निर्यात करने वाली बम्बई की फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन	Violation of Foreign Exchange Regulations by Bombay Firm of Ore Exporters	1855
526	पेंशन	Pensions . . .	1855
527	सरकारी कर्मचारियों को मंहगाई भत्ता	Dearness Allowance to Government Servants	1855–56
528	बर्ड एंड कम्पनी	Bird & Co. .	1856
529	विकास दल	Vikas Dal	1856–57
530	रूस में विद्युत् प्रणाली	Power Systems in U.S.S.R. .	1857
531	चौथी योजना में केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिक संसाधनों की व्यवस्था करना	Raising of Resources by the Central and State Government during Fourth Plan	1857–58
532	विदेशी ऋण की अवधि का बढ़ाया जाना	Moratorium on Foreign Debts	1858
533	जल संसाधनों का परिरक्षण	Conservation of Water Resources .	1858
534	भारतीय मुद्रा का चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जाना	Smuggling of Indian Currency to Pakistan	1858
535	योजनाओं में कमियां	Shortfalls in Plans .	1859
536	केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सी० एच० एस०) के डाक्टरों के वेतन-क्रम	Pay Scales of C.H.S. Doctors .	1859
537	भारतीय योजना की सफलताओं का संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल्यांकन	U. N. appraisal on India's Plan Achievements	1859–60
538	गर्भाशयान्तर गर्भ-निरोध युक्ति (आई० यू० सी० डी०)	I.U.C.D. .	1860

अ० ता० प्र० संख्या U. Q. Nos.			
1785	करीवेल्लूर में सरकारी अस्पताल	Government Hospital at Karivelloore	1860
1786	वेट्टुवेल्ली सिंचाई योजना	Vettuveli Irrigation Scheme . .	1860–61
1787	कोनोथ रेगुलेटर	Konoth Regulator.	1861

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1788	भारतीय मुद्रा का चोरी छिपे विदेशों में भेजा जाना	Indian Currency Smuggled Abroad	1861–62
1789	केरल में सिंचाई योजनायें	Irrigation Schemes in Kerala . .	1862
1790	राजस्थान में आय कर तथा मृत्यु-शुल्क की बकाया राशि	Income Tax and Estate-Duty Arrears in Rajasthan	1862
1791	पश्चिम बंगाल कल्याण बोर्ड	West Bengal Welfare Board .	1863
1792	पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता समिति	West Bengal Flood Relief Committee	1863–64
1793	दावों की राशि का लौटाया जाना	Refund of Claims	1864
1794	अपाहिज व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये संस्थायें	Rehabilitation institutes for the Handicapped	1864
1795	ओरई नदी पर बांध	Dam on Orai River . . .	1865
1796	चालियार नदी के पानी से बिजली तैयार करना	Harnessing of Chaliyar River . .	1865
1797	दावनगिरि में चिकित्सा कालिज	Medical College at Devangere .	1865
1798	शेख अब्दुल्ला को दी गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange given to Sheikh Abdullah	1866
1799	विदेशी बैंकों में भारतीयों के खाते	Accounts of Indians in Foreign Banks	1866
1800	दिल्ली में दूषित मछलियां	Contamination of Fish in Delhi .	1866–67
1801	गंडक परियोजना	Gandak Project	1867
1802	विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange . . .	1867–68
1803	व्यास परियोजना से हटाये गये व्यक्तियों का पुनर्वास	Rehabilitation of Beas Project ous-tees	1868
1804	संयुक्त राष्ट्र संघ की विशेष निधि	U.N. Special Fund . . .	1868–69
1805	गंडक परियोजना	Gandak Project	1869–70
1806	कुष्ठ रोग निदान केन्द्र	Leprosy Control Centres . .	1870
1807	नजफ़गढ़ नाले का पानी (दिल्ली)	Najafgarh Drain Water (Delhi) .	1870–71
1808	अलौह धातुयें खरीदने के लिये अमरीका से ऋण	Loan from U.S.A. for purchasing non-ferrous metals	1871
1809	तापीय विद्युत संयंत्र	Thermal Power Plant . . .	1871
1810	शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम	Urban Community Development Programme	1872–73

अता० प्र० संख्या U.Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1811	औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम	Industrial Credit and Investment Corporation	1873
1812	गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक (आई० यू० सी० डी०)	I.U.C.D. . . .	1873–74
1813	"इलेक्ट्रॉनिक कम्पूटर"	Electronic Computers . .	1874
1814	चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण के लिये पंजाब को दी गई राशि	Funds granted to Punjab for Medical Education and Training . .	1874
1815	दिल्ली की सरकारी बस्तियों से अनधिकृत कब्जाधारियों का हटाया जाना	Removal of Squatters from Government Colonies in Delhi . .	1875
1816	विदेशी समवाय	Foreign Companies .	1875
1817	केन्द्रीय लोक-निर्माण विभाग द्वारा किया गया अधिक भुगतान	Excess Payment made by C.P.W.D.	1875
1818	तूतीकोरिन में तापीय बिजलीघर	Tuticorin Thermal Power Station .	1876
1819	बिहार में पीने के पानी की कमी	Shortage of Drinking Water in Bihar	1876
1820	सोने का भाव	Price of Gold	1876–77
1821	आय-निर्धारण	Assessment of Incomes . . .	1877
1822	संतति-निरोध सम्बन्धी अध्ययन	Study in Birth Control . .	1877–78
1823	विदेशी ऋण	Foreign Loans . . .	1878
1824	नई दिल्ली में झुग्गीवासी	Jhuggi Dwellers in New Delhi .	1878–79
1825	दिल्ली में मकानों का निर्माण	Construction of Houses in Delhi	1879
1826	विजय चौक तथा इंडिया गेट (नई दिल्ली) के बीच का स्थल (पिआज़ा)	Pizza between Vijay Chowk and India Gate (New Delhi) . .	1879
1827	राज्य परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता	Central Assistance for State Projects	1879–80
1828	भारतीय हाकी टीम की औलम्पिक खेलों से पहले की यात्रा	Pre-Olympic Tour by Indian Hockey Team	1880
1829	बवाना एस्केप (दिल्ली)	Bawana Escape (Delhi) . . .	1880
1830	राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान	Government Accommodation for Employees of Revenue Deptt. .	1880–81
1831	दिल के दौरे के कारण मृत्यु	Deaths due to Heart Attack . .	1881

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1832	कुम्भ मेला	Kumbh Mela	1882
1833	महाराष्ट्र में पीने के पानी की व्यवस्था	Drinking Water Supply in Maharashtra	1882
1834	पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता	Education Allowance to Central Government Employees in West Bengal	1882
1835	सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट निचला पुल	Construction of Underbridge near Safdarjang Airport . . .	1883
1836	राष्ट्र मंडलीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन	Commonwealth Finance Ministers' Conference	1883
1837	चाणक्यपुरी के निकट झुगी निवासी	Jhuggi Dwellers near Chanakyapuri, New Delhi	1883
1838	हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी	Hindustan Housing Factory .	1884
1839	उत्तर प्रदेश का तकनीकी अर्थिक सर्वेक्षण	Techno-Economic Survey of U.P.	1884
1840	विलिंडन अस्पताल, नई दिल्ली	Willingdon Hospital, New Delhi .	1884–85
1841	अशोक होटल के उप बिजली घर में विस्फोट	Explosion in Asoka Hotel Power Sub-Station	1885
1842	इनामी बांड	Prize Bonds .	1885
1843	पश्चिमी देशों से प्राप्त ऋण	Western Loans .	1885–86
1844	सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा	Availability of Foreign Exchange to Public Sector Undertakings .	1886
1845	राजघाट स्मारक	Rajghat Memorial .	1886–87
1846	जीवन बीमा निगम की बन्धक योजना	L.I.C. Mortgage Scheme	1887
1847	योजना आयोग के सदस्यों की विदेश यात्रायें	Tours of Planning Commission's Members Abroad . . .	1887
1848	बिजली परियोजनाओं सम्बन्धी समिति	Committee on Power Project .	1888
1849	यमुना नदी में पाई जाने वाली मछलियां	Jamuna Fish	1888
1850	कारखानों के प्रबन्ध में मजदूरों की भागिता	Labour Participation in Factories Management	1889
1851	सरकारी क्षेत्र के उद्योग के लाभ	Profits of Public sector Industries	1889
1852	परिवार नियोजन	Family Planning . .	1889–90

अता० प्र० संख्या U. Q. Nos.	विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
1853	हागेनकल परियोजना	Hogenkal Project .	1890
1854	परियोजनाओं पर खर्च की गई विदेशी मुद्रा	Foreign Exchange spent on Projects	1890
1855	देहाती मकान योजना	Rural Housing Scheme . .	1890
1856	जल उपभोग शुल्क	Water Consumption Charges .	1891
1857	भूमि तथा विकास पदाधिकारी का कार्यालय	Office of Land and Development Officer	1891
1858	नई दिल्ली में झुग्गियों में रहने वाले	Jhuggi Dwellers in New Delhi	1891–92
1859	झुग्गियों में रहने वाले	Jhuggi Dwellers . . .	1892
1860	गर्भ निरोध	Birth Control .	1892
1861	गंगा नदी सम्बन्धी पाकिस्तान का दावा	Pakistan's claim on Ganga	1893
1862	राज्य बिजली बोर्ड	State Electricity Boards . .	1893–94
1863	नई दिल्ली में सरकारी क्वार्टरों में पानी के मीटर	Water Meters in Government Quarters, New Delhi . . .	1894
1864	बिजली आदि की बकाया राशि	Outstanding Municipal Dues .	1894
1866	मंत्रालयों में गैसटेटनर आपरेटरों तथा स्टाफ कार ड्राइवरों के वेतनक्रम	Pay scales of Gestetner Operators and Staff Car Drivers in Ministries	1894–95
1867	फर्रुखाबाद जिले से वसूल किया गया उत्पादन शुल्क	Excise Duty Collected from Farrukhabad Distt.	1895–96
1868	फर्रुखाबाद जिले में तम्बाकू का उत्पादन	Production of Tobacco in Frarrukhabad Distt.	1896–97
1869	होशंगाबाद में सुरक्षा कागज़ (सिक्योरिटी पेपर) कारखाना	Security Paper Mill at Hoshangabad	1897
1870	बिहार के डाक्टरों की मांगें	Demands of Doctors in Bihar .	1897
1871	त्रिपुरा में चिकित्सीय अधिकारी	Medical Officers in Tripura . .	1897–98
	सभा-पटल पर रखे गये पत्र	Papers Laid on the Table	1898–1900
	राज्य-सभा से सन्देश	Messages from Rajya Sabha . .	1900–01
	भांडागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक राज्य-सभा द्वारा लौटाये गये रुप में सभा पटल पर रखा गया	Warehousing Corporations (Supplementary) Bill Laid on the Table as returned by Rajya Sabha . .	1901

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
अधिलाभांश की अदायगी विधेयक	Payment of Bonus Bill	
तीसरी और चौथी अनसूची और खण्ड 1	Third and Fourth Schedules and Clauses 1 . . .	1901–04
संशोधित रुप में पारित करने का प्रस्ताव	Motion to pass as amended—	
श्री संजीवय्या	Shri D. Sanjivayya . . .	1904
श्री रंगा	Shri Ranga	1904
श्री इन्द्रजीत गुप्त	Shri Indrajit Gupta . . .	1904–05
डा० मा० श्री० अणे	Dr. M. S. Aney . . .	1905
श्री अल्वारिस	Shri Alvares	1905–06
श्री मेलकोटे	Dr. Melkote	1906
श्री बाल्मीकी	Shri Balmiki	1906
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . . .	1906
श्री याज्ञिक	Shri Yajnik	1907
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . . .	1907
संघ राज्य-क्षेत्र (लोक-सभा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक	Union Territories (Direct Election to the House of the People) Bill—	
विचार करने का प्रस्ताव	Motion to consider—	
श्री हाथी	Shri Hathi	1908
श्री हरि विष्णु कामत	Shri Hari Vishnu Kamath . .	1909
श्री प्र० के० देव	Shri P. K. Deo	1909–10
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen	1910
श्री कंडापन	Shri Kandappan . . .	1911
श्री दी० चं० शर्मा	Shri D. C. Sharma . .	1911
श्री छ० म० केदरिया	Shri C. M. Kedaria . . .	1911–12
श्री राम सहाय पाण्डेय	Shri R. S. Pandey	1913
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	1913
श्री बाल्मीकी	Balmiki	1913–14
श्री श्यामलाल सर्राफ	Shri Sham Lal Saraf . . .	1914
तेल सम्बन्धी नीति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव	Motion Re : Statement on Oil Policy	
श्री स० मो० बनर्जी	Shri S. M. Banerjee . . .	1914–15
श्री भागवत झा आज़ाद	Shri Bhagwat Jha Azad . .	1915–16
श्री अल्वारिस	Shri Alvares	1916–17
श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा	Shrimati Tarkeshwari Sinha .	1917–18
डा० रानेन सेन	Dr. Ranen Sen .	1918
श्री जोकीम आल्वा	Shri Joachim Alva . . .	1919

विषय	SUBJECT	पृष्ठ PAGES
श्री द्वा० ना० तिवारी	Shri D. N. Tiwary . .	. 1919–20
श्री यशपाल सिंह	Shri Yashpal Singh . .	. 1920–21
श्री अ० ना० विद्यालंकार	Shri A. N. Vidyalankar . .	1921
श्री मधु लिमये	Shri Madhu Limaye . .	. 1921–22
डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी	Dr. L. M. Singhvi . .	1922

लोक-सभा
LOK SABHA

गुरुवार, 9 सितम्बर, 1965/18 भाद्र 1887 (शक)
Thursday, September 9, 1965/Bhadra 18, 1887 (Saka)

लोक-सभा दस बजे समवेत हुई ।
The Lok Sabha met at Ten of the Clock

[**अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. SPEAKER *in the Chair*]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर
ORAL ANSWERS TO QUESTIONS

Houses for Low and Middle Income Groups

+
***509 Shri M. L. Dwivedi :** **Shri S. C. Samanta :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) Whether Government have any schemes for the construction of more houses for low and middle income groups ;

(b) the changes brought about by Government to simplify the procedure regarding the sanctioning of loans out of the funds allotted to the various States and to end redtapism and the new facilities now made available ; and

(c) the percentage of the amount allocated for housing in urban areas which will be spent on housing in rural areas ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Two schemes are already in operation, namely, the Low Income Group Housing Scheme and the Middle Income Group Housing Scheme, which are meant for catering to the housing needs of persons belonging to low and middle income groups. These schemes are quite popular and 38,500 houses have been constructed under them during the first four years of the Third Plan. With the allocation of more funds in the Fourth plan more houses are expected to be constructed under these schemes.

(b) Rules for the disbursement of loans are framed by the State Governments and it is for them to ensure that procedural delays are reduced to the minimum extent possible.

(c) Nil.

Shri M. L. Dwivedi : The other day, the hon. Minister laid a Statement on the Table of the House. In that Statement it had been shown that some schemes have been integrated. The schemes have been integrated for the general public and not for the employees. I would like to know the cause of this discrimination.

Shri Mehr Chand Khanna : The schemes have not been integrated so far. There are two types of schemes—one is subsidised and the other one is rental. We have received the recommendations made by the Housing Ministers Conference in this regard. That plan will be placed before the next conference of the Housing ministers and a decision will be taken in regard thereto.

Shri M. L. Dwivedi : I have not received any answer to part (c) of my question.

Shri Mehr Chand Khanna : I have replied. I have said "Nil". We have separate schemes regarding rural areas and urban areas. They have no relation.

Shri M. L. Dwivedi : What is the percentage of the amount allocated for housing in urban areas which will be spent for housing in rural areas ? The hon. Minister is not replying to this part of my question.

Mr. Speaker : The hon. Minister has replied that they are not inter-related and thus they cannot be compared.

Shri M. L. Dwivedi : They are inter-related.

श्री बासप्पा : क्या मैं जान सकता हूं कि राज्य सरकारों द्वारा दिये जाने वाले समरूप अनुदान बहुत कम हैं और इस कम राशि को भी दूसरे प्रयोजन के लिये प्रयोग किया जाता है ; यदि हां, तो सरकार द्वारा इस बारे में क्या कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मेहेर चन्द खन्ना : जहां तक जीवन बीमा निगम द्वारा दी जाने वाली राशि का सम्बन्ध है, इसे किसी अन्य प्रयोजन के लिये नहीं लगाया जायेगा । एक महीना पूर्व जीवन बीमा निगम के प्रधान ने यह प्रश्न उठाया था और मैंने सभी राज्य सरकारों से पूछताछ की है । जीवन बीमा निगम का धन किसी अन्य प्रयोजन में नहीं परन्तु गृह-निर्माण कार्य में ही लगाया गया है ।

Shri Bhagwat Jha Azad : May I know whether it is not a fact that the Government have embarked upon the Middle Income Group Housing Scheme to enable such people to buy the houses who cannot pay a lump sum and can buy the houses only in instalments. If the Government still believes in this principle, may I know the reasons why the houses which are being constructed for the middle income group in the various States, regarding which the hon. Minister laid a statement some days ago, have been recommended to be auctioned and sold in one instalment. Does the hon. Minister think that in this way the middle income group will be able to get the houses ?

Shri Mehr Chand Khanna : There are separate ceilings for the low income group and the middle income group. I always feel that those people should be enable to buy the houses in easy instalments so that those houses are turned into homes. I also feel that the money realised from the sale of these houses should again be utilized for the construction of houses so that we may not make much demand on the Ministry of Finance.

श्री रंगा : जिस प्रकार कि पुलिस कर्मचारियों के लिये रहने के मकान पुलिस लाइंज में बनाये जाते हैं, क्या उसी प्रकार अध्यापकों के लिये भी मकान बनाने के लिये कोई विशेष राशि पृथकतया निर्धारित की जायेगी ?

श्री मेहेर चन्द खन्ना : हम अध्यापकों को कोई पृथक वर्ग नहीं समझते । यदि वे कम आय वाले वर्ग अथवा मध्यम आय वाले वर्ग से सम्बन्ध रखते हैं, तो वे ऋण ले सकते हैं ।

श्री रंगा : क्या इस बारे में कोई विशेष कार्यवाही की जायेगी ?

श्री मेहेर चन्द खन्ना : इस बारे में तो शिक्षा मंत्रालय को विचार करना चाहिये । जहां तक मेरा अथवा इन ऋणों का सम्बन्ध है, हम कोई भेदभाव नहीं करते ।

Shri Ram Sewak Yadav : May I know whether the Central Government have issued some directions regarding such grants made to the State Governments or whether the State Governments are free to utilize these grants according to their own plans.

Shri Mehr Chand Khanna : We have separate patterns for all these schemes, i. e., Industrial Housing, Slum Housing, Rental Housing, Low Income Group housing and middle Income Group Housing. Wherever we give subsidy or sanction loans, we issue directions also.

Shri Gulshan : The Government get such land registered in its own name on which the people build houses with the loans they get under the Low Income Group and the Middle Income Group Schemes. It means that the Government, in a way, becomes the owner of that house. May I know whether Government would consider that the house-tax and the other taxes regarding these houses should be paid by the Government ?

Shri Mehr Chand Khanna : I am not prepared to pay either the house-tax or the water tax. We give housing loans and those also only on 20 per cent security.

श्री अ० प्र० शर्मा : क्या राज्यों को ये राशियाँ उन द्वारा भेजी गई मांगों के आधार पर दी जाती हैं अथवा अनुपात के आधार पर ? राज्यों को राशियाँ देने का क्या तरीका है ?

श्री मेहेर चन्द खन्ना : मैं सामान्यतया यह देखता हूं कि प्रत्येक राज्य ने इस सम्बन्ध में कितनी सफलता प्राप्त की है । यदि राज्यों ने पहले ही ऋण लिये हों और वे राशियां खर्च नहीं की गई हों तो मैं उन्हें अधिक अनुदान देने में संकोच करूंगा ।

श्री वारियर : क्या मैं जान सकता हूं कि किन राज्यों ने सारी राशि खर्च नहीं की है और यदि किसी राज्य द्वारा सारी राशि खर्च नहीं की गई है तो इस सम्बन्ध में राज्यों की क्या कठिनाइयां हैं ?

श्री मेहेर चन्द खन्ना : जहां तक जीवन बीमा निगम से सम्बन्धित राशियों का सम्बन्ध है, वे पूरी तरह खर्च की जा चुकी हैं, और अधिक राशियां मांगी जा रही हैं । जहां तक योजना सम्बन्धी राशियों का प्रश्न है, मुझे खेद है कि उन्हें दूसरे प्रयोजनों के लिये खर्च किया गया है ।

राजस्थान नहर परियोजना

+

*510 **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** **श्री रघुनाथ सिंह :**
श्री हेमराज : **श्री पें० वेंकटासुब्बया :**
श्री गुलशन :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 6 मई, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 3181 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान नहर परियोजना की कार्यान्विति की सीधी जिम्मेदारी लेने के मामले में केन्द्रीय सरकार ने कोई अन्तिम निर्णय कर लिया है; और

(ख) यदि हां, तो वह निर्णय क्या है और ऐसा करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री शाह नवाज खां) : (क) जी, नहीं । मामला अभी विचाराधीन है ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस परियोजना पर खर्च हुई राशि में से अब तक कितनी राशि केन्द्रीय सरकार द्वारा दी गई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : सारी राशि केन्द्रीय ऋण के रुप में दी जाती है ।

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : इस समय इस परियोजना क्षेत्र में दो तरह के निर्माण-कार्य चल रहे हैं । एक तो नहर बनाने का काम चल रहा है और दूसरा इस नहरी क्षेत्र में छोटी-छोटी नहरे बनाने का काम है । क्या सरकार यह सारा काम अपने हाथ में ले रही है ?

डा० कु० ल० राव : कानून द्वारा जो भी प्राधिकरण स्थापित किया जायेगा, वह इस क्षेत्र में निर्माण तथा विकास सम्बन्धी कार्य करेगा ।

Shri Gulshan : May I know whether the Government would take the administration of the Rajasthan Canal Project in its own hand or the States of Punjab and Rajasthan would also have some hand in the administration of this project ?

डा० कु० ल० राव : यह नहर राजस्थान क्षेत्र में है, इस लिये इसका प्रबन्ध केवल राजस्थान सरकार के हाथ में रहेगा ।

Shri Gulshan : This canal originates from Hari ka Pattan in Punjab. It does not originate in Rajasthan.

डा० कु० ल० राव : मुझे खेद है ; राजस्थान नहर पंजाब से भी गुज़रती है । परन्तु मेरा मतलब यह था कि जिस क्षेत्र की सिंचाई होती है, वह सारा क्षेत्र राजस्थान में ही है ।

अध्यक्ष महोदय : क्या पंजाब को केवल इस नहर के लिये भूमि ही देनी होगी ?

डा० कु० ल० राव : जी हां, श्रीमान् ।

Shri Jan Singh : I would like to know the reason why the Central Government could not take the administration of this project in its own hands when it is shouldering the full financial responsibility for the same.

डा० कु० ल० राव : राजस्थान नहर का निर्माण-कार्य इस समय एक समिति द्वारा किया जा रहा है जिसके सदस्य केन्द्रीय सिंचाई मंत्री तथा दोनों राज्यों के मुख्य मंत्री हैं । अब तक तो निर्माण-कार्य ही बहुत महत्वपूर्ण था और वह भली प्रकार किया जा रहा था । जिस क्षेत्र का हम अब विकास कर रहे हैं और जिसकी इस नहर द्वारा सिंचाई होगी, इससे बस्तियां बसाने का प्रश्न पैदा हो गया है । इसलिये हमने सोचा कि बस्तियां बसाने के काम को यथोचित महत्व दिया जाना चाहिये । अतः पुनर्गठन के सम्बन्ध में विचार किया जा रहा है ।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : मैं जान सकता हूं कि क्या राजस्थान नहर की जिम्मेवारी केन्द्रीय सरकार ने सिद्धांत के रूप में ली है और क्या माननीय वित्त मंत्री ने इस बारे में किसी समय राजस्थान के मुख्य मंत्री को आश्वासन दिया था ?

डा० कु० ल० राव : मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूं । राजस्थान विधान-मण्डल के अधिनियम द्वारा एक कानूनी प्राधिकरण बनाया जा रहा है और जब माननीय वित्त मंत्री ने यह कहा कि वह पूरी जिम्मेवारी लेंगे, तो उनका यह मतलब था कि वह इस परियोजना की कार्यान्विति के लिये सभी आवश्यक वित्तीय सहायता देंगे ।

श्री तु० मु० त्रिवेदी : क्या सरकार का यह विचार है कि जब कभी किसी अन्तर्राज्य परियोजना को कार्यान्वित करना हो, तो इन परियोजनाओं के लिये एक केन्द्रीय कानूनी प्राधिकरण स्थापित किया जाये ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : इस मामले की जांच की गई है और हमे पता लगा है कि जिस क्षेत्र का विकास होना हैं, वह क्योंकि केवल राजस्थान में ही है, इस लिये केवल राजस्थान विधान-मण्डल ही इस सम्बन्ध में विधान बना सकता है, केन्द्र नहीं ।

Shri Yashpal Singh : This scheme is being discussed in the House for the last many years and a large sum has been spent on the papers. In this connection I would like to know the steps that have been taken regarding the assurance given to the people for colonisation.

डा० कु० ल० राव : यह कोई काग़ज़ी कार्यवाही नहीं है; वास्तव में केवल इसी परियोजना पर 43 करोड़ रुपये खर्च किये गये हैं । यह सच है कि बस्तियां बसाने में कुछ विलम्ब हुआ है परन्तु इस काम को अब तेज़ी से किया जा रहा है ।

Shri Rameshwaranand : Mr. Speaker, I would like to know whether such areas in Punjab which are adjacent to Rajasthan and through which this canal would pass and which face water shortage, would also be extended the irrigation facilities by the Government ; if not, the reasons therefor and if so, the areas that will be benefited ?

डा० कु० ल० राव : हम पंजाब की सभी आवश्यकतायें दूसरी नहरी परियोजनाओं द्वारा भली प्रकार पूरी कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि क्या इस नहर से पंजाब को कुछ लाभ होगा ।

डा० कु० ल० राव : यदि माननीय सदस्य का कोई विशेष सुझाव है, तो मैं उस पर विचार करूंगा ।

Shri Rameshwaranand : Bhatinda is adjacent to it.

Mr. Speaker : He may please resume his seat. I have also helped him.

श्री रंगा : मुझे विश्वास है कि सभा के सभी दल चाहते हैं कि इस नहर का, जो विकास किये जानी-वाली मरू भूमि में से होकर गुज़रेगी, निर्माण हो । मंत्री महोदय ने कहा है कि उन्होंने अभी अन्तिम निर्णय नहीं किया है । हम पूछना चाहते हैं कि अब इसमें क्या शक रह गया है जबकि माननीय वित्त मंत्री ने पहले ही भारत सरकार का निर्णय राजस्थान सरकार को बता दिया है तथा राजस्थान सरकार इसके प्रति उत्सुक है ?

डा० कु० ल० राव : केवल कानूनी प्राधिकरण के ब्यौरे के बारे में जो राजस्थान विधान-मण्डल के अन्तर्गत स्थापित किया जाना है, अभी कार्यवाही बाकी है ।

श्री दी० चं० शर्मा : क्या मैं न्याय तथा लाभ के समान वितरण के नाम पर यह पूछ सकता हूं कि क्या यह राजस्थान नहर, जिसके बारे में आरम्भ में पंजाब सरकार ने योजना बनाई थी, अब पूर्णतया राजस्थान सरकार को दे दी गई है; और पंजाब के कृषकों, जिन्होंने अपनी भूमि दी है तथा पंजाब के जो लोग इस क्षेत्र में बसना चाहते हैं, उनके हितों की रक्षा किस प्रकार की जायेगी ?

डा० कु० ल० राव : यह परियोजना आरम्भ से ही इस दृष्टिकोण से बनाई गई थी कि इससे राजस्थान के इलाकों को लाभ हो। बस्तियां बसाने की समस्या का हमने एक अच्छा हल निकाला है जिसपर राजस्थान तथा पंजाब की सरकारें सहमत हैं।

चौथी पंचवर्षीय योजना में विदेशी मुद्रा की आवश्यकता

+

***511. श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह अनुमान लगा लिया है कि चौथी पंचवर्षीय योजना में कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता होगी ;

(ख) इस समय प्रतिवर्ष कितनी विदेशी मुद्रा प्राप्त हो रही है ;

(ग) चौथी पंचवर्षीय योजना में निर्यात से कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता पूरी होने की सम्भावना है ; और

(घ) अब तक कितनी विदेशी सहायता का वचन दिया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) स्थूल रूप से अनुमान लगाया गया है परन्तु इस समय निश्चित रूप से कुछ नहीं कहा जा सकता।

(ख) निर्यात, छोटी मदों, तथा सहायता से पिछले चार वर्षों के दौरान प्रति वर्ष औसत में 1072 करोड़ रुपये की विदेशी मुद्रा प्राप्त हुई।

(ग) चौथी योजना के दौरान निर्यात द्वारा अभी 5100 करोड़ रुपये का लक्ष्य निर्धारित किया गया है।

(घ) चौथी योजना के लिये अभी तक कुछ भी विदेशी सहायता का वचन नहीं दिया गया है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : बैल मिशन के पश्चात्, विश्व बैंक के प्रधान के विशेष सलाहकार, श्री डी'लाटरे यहां आये थे। मैं जान सकती हूं कि उन्होंने विदेशी सहायता के इस कार्यक्रम तथा भारत सरकार को यह सहायता किस तरह दी जायेगी इसके बारे में कोई विशेष बातचीत की; और यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं ?

श्री ब० रा० भगत : सामान्य आर्थिक स्थिति पर व्यापक चर्चा के अतिरिक्त चौथी योजना के लिये विदेशी सहायता के बारे में कोई विशेष चर्चा नहीं हुई।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या विश्व कोश के प्राधिकारियों अथवा कंसार्टियम ने यह संकेत दिया है कि चौथी योजना के लिये सहायता भारतीय अर्थ-व्यवस्था की सफलता पर निर्भर करती है; और यदि हां, तो भारत सरकार का इस बारे में क्या रवैया है ?

श्री ब० रा० भगत : यदि अर्थ-व्यवस्था अच्छी रहे तो इससे बहुत सी समस्यायें दूर हो जायेंगी जिसमें कि विदेशी सहायता सम्बन्धी समस्या भी सम्मिलित है।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : मैं सामान्य रूप में कोई उत्तर नहीं चाहती ; क्या सहायता के लिये कोई विशेष प्रस्ताव रखे गये हैं ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा कि कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं।

Shri M. L. Dwivedi : The hon. Minister has observed just now that the Govt. have not received any assurance regarding foreign exchange requirements of the fourth plan. May I know whether Government are taking any steps in this respect, if so, the amount of foreign exchange Government expect to get from the foreign countries ?

Shri B. R. Bhagat : The discussion will be made only after the detailed outlines of the fourth plan have been prepared.

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : यदि हमें उसी प्रकार विदेशी मुद्रा प्राप्त होती है जिस प्रकार कि तीसरी योजना के दौरान हुई थी तो हमारी आवश्यकताओं तथा चौथी योजना के दौरान जितनी विदेशी मुद्रा मिलने का अनुमान है, उसमें कितना अन्तर रहेगा ?

श्री ब० रा० भगत : मैंने कहा है कि केवल स्थूल रूप से अनुमान लगाया गया है तथा निश्चित रूप से कोई अनुमान नहीं लगायें गये हैं।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूं, श्रीमान्....

अध्यक्ष महोदय : नहीं। श्री हेम बरुआ।

श्री शं० ना० चतुर्वेदी : स्थूल रूप में लगाये गये अनुमान क्या हैं ?

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा : कुछ ही महीनों में योजना आरम्भ होने वाली है और माननीय मंत्री कहते हैं कि कोई विशेष प्रस्ताव नहीं रखे गये हैं।

अध्यक्ष महोदय : मेरी अनुमति के बिना माननीय सदस्य, श्री चतुर्वेदी ने प्रश्न क्यों पूछा ? इससे महिला सदस्य ने भी प्रश्न पूछा है। जब मैंने महिला सदस्य को अनुमति नहीं दी तो उन्होंने यह प्रश्न क्यों पूछा ? क्या वह स्वयं को उन से अधिक महत्वपूर्ण समझते हैं ? श्री बरुआ।

श्री हेम बारुआ : पाकिस्तान ने आक्रमण किया है और अमरीका ने धमकी दी है कि वह भारत को न केवल सैनिक सहायता बन्द कर देगा बल्कि आर्थिक सहायता भी बन्द कर देगा। क्या सरकार ने अमरीका के निर्णय से भारत विदेशी मुद्रा की स्थिति पर तथा हमारी योजनाओं पर पड़ने वाले प्रभावों के बारे में सोचा है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : हमें कोई सरकारी सूचना नहीं मिली।

श्री हेम बरुआ : वह कह रहे है कि सरकारी स्तर पर कोई सूचना नहीं है। मैं जानना चाहता था...

अध्यक्ष महोदय : यह परिकल्पनात्मक होगा। उन्हें कोई सूचना नहीं मिली।

श्री बासप्पा : हमें ऋण और ब्याज के भुगतान के लिये कितनी विदेशी मुद्रा की आवश्यकता है। हमने आयात कम करने के बारे में क्या प्रगति की है और इससे हमारी विदेशी मुद्रा की स्थिति में क्या सहायता मिलेगी ?

श्री ब० रा० भगत : क्या माननीय सदस्य चौथी योजना के समय ऋण भुगतान के बारे में पूछ रहे हैं ?

श्री बासप्पा : जी हां।

श्री ब० रा० भगत : यह लगभग 1350 करोड़ रुपये होगा। यह सब अस्थायी है। शायद इसमें परिवर्तन हो जाये।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : अगली योजना के लिये विदेशी मुद्रा की हमारी आवश्यकता क्या होगी ? क्या यह तीसरी योजना से अधिक होगी या कम होगी।

श्री ब० रा० भगत : चौथी योजना का आकार बहुत बड़ा होगा। इस लिये हमारी आवश्यकता भी अधिक होगी।

Shri Madhu Limaye : It is clear from the recent happenings that if we depend on foreign aid there would be interference in our defence and foreign policy. I want to know whether effort would be made at the time of preparing final draft of fourth plan that we would have to depend on foreign aid the least ?

Shri B. R. Bhagat : It would be kept in view.

श्री श्यामलाल सर्राफ : हमारे वित्त मंत्री विदेशों में यह जानने के लिये जा रहे है कि हमें कितनी सहायता मिलेगी। मैं यह जानना चाहता हूं कि हमारी सरकार को विश्व बैंक और अन्य देशों से कितनी सहायता मिलने की आशा है।

श्री ब० रा० भगत : वित्त मंत्री ने अपनी यात्रा स्थगित कर दी है। वहां जाने से पहले यह अनुमान नहीं लगाया जा सकता कि कितनी सहायता मिलेगी।

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि चौथी योजना के लिये उपलब्ध विदेशी मुद्रा में से 1400 करोड़ रूपये निकाल लिये जायेंगे, क्या सरकार ने विचार किया है कि विदेशी मुद्रा आवश्यकता से बहुत कम होगी, बल्कि तृतीय योजना के लिये रखी गई मात्रा से भी कम होगी ; यदि हां, तो सरकार ने इसके समाधान के लिये क्या विचार किया है ?

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य इस समय यह क्यों चाहते है कि सरकार विदेशी मुद्रा के बारे में सोचे ?

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : यह आंकड़ों से पता चलता है।

श्री ब० रा० भगत : हमें अपनी निर्यात बढ़ाना होगा और आयात कम करने के उपाय करने होंगे और आत्मनिर्भर बनना होगा।

अध्यक्ष महोदय : अब क्या लाभ है।

डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी : हमें इस से यह ज्ञात होता है कि सरकार आत्मनिर्भर होने का प्रयत्न कर रहीं है और निर्यात बढ़ा रही है। नहीं तो निराशा होता है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या सरकार को मालूम है कि व्यापारी लोग सरकारी घोषणा की अपेक्षा करते हुए विदेशों में विदेशी मुद्रा रखे हुए है ; यदि हां, तो सरकार संकट की इस स्थिति में ऐसे लोगों के विरुद्ध क्या कार्यवाही करने का विचार कर रही है ताकि उन की आस्तियों को देश में प्रयोग किया जा सके ?

अध्यक्ष महोदय : आस्तियों की घोषणा करना एक विभिन्न बात है। इस उत्तर से इस का प्रत्यक्ष रूप से कोई सम्बन्ध नहीं।

श्री स० मो० बनर्जी : पिछले साल यहां घोषणा की गई थी कि एक निर्धारित तिथि तक कुछ लोगों ने अपनी ऐसी आस्तियों की घोषणा की थी, मैं जानना चाहता हूं कि क्या सरकार इस के लिये कोई रियायत देगी या रिजर्व बैंक को सामान्य आदेश दिय जायेंगे कि वह ऐसी आस्तियों को. . . .

अध्यक्ष महोदय : मैं माननीय सदस्य से सहमत हूं परन्तु इस का यहां इस समय कोई सम्बन्ध नहीं है।

Shri D. N. Tiwary : A target of Rs. 5100 crores has been fixed for exports. It is seen that generally targets are not achieved. This target seems to be ambitious. May I know what special efforts are being made to fulfil this target and in case of short fall we are not put to other inconveniences ?

Shri B. R. Bhagat : Policy regarding export is being decided and it will be announced in the House. It is correct that we have been lagging behind in this regard. We should try to achieve the target.

अत्यावश्यक वस्तुओं की कीमतों में वृद्धि

+

*512. **श्री विश्वनाथ पांडेय :** **श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्री दा० ना० तिवारी : **श्री स० मो० बनर्जी :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **श्री मा० ल० जाधव :**
श्री दाजी : **श्री जेधे :**
श्रीमती सावित्री निगम : **श्री तन सिंह :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) खाद्यान्न को छोड़ कर अन्य अत्यावश्यक वस्तुओं के मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये हाल में सरकार ने क्या कदम उठाये हैं और उनका क्या परिणाम निकला है; और

(ख) उपभोक्ता वस्तुओं के मूल्यों को वर्तमान परिस्थितियों में कितना कम किया जा सकता है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : एक विवरण सभा की मेज पर रख दिया गया है जिस में यह सूचना दी गयी है। [**पुस्तकालय में रखा गया। दखिय संख्या एल० टी० 4798/65 ।**]

Shri Vishwanath Pandey : It is shown in the statement that Government has taken some steps to check the rise in prices of essential commodities. It is noticed that the prices of vegetable Ghee have gone up by about 20 p.c. during last two months. I want to know whether Government is taking any steps to bring down the prices of the same.

Shri B. R. Bhagat : It has been stated that prices have risen due to shortfall in supply. We have stopped bank credit. It can be due to monetary inflation. The reasons have been stated in the statement.

Mr. Speaker : If it is given then there is no need of repeating it.

Shri Vishwanath Pandey : In reply to part (b) the Minister has stated that prices are resultant on factors operating on demand and supply. I want to know whether there is any coordination between demand and supply position ; if not, the efforts being made to bring about coordination.

2—31—L. S./65

Shri B. R. Bhagat : If there is no coordination, even then prices rise. We are trying to bring about coordination.

श्री प्र० चं० बरुआ : विवरण से पता चलता है कि पिछले मार्च से केवल तम्बाकू के अतिरिक्त स भी वस्तुओं जो सूची में दी है की कीमतें बढ़ी हैं।

पिछले जून में मूल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये वित्त मंत्री द्वारा एक बैठक में दिये गये सुझावों का क्या परिणाम रहा है ?

श्री ब० रा० भगत : मुझे खेद है कि विवरण में उस सम्बन्ध में कुछ नहीं है। विवरण से पता चलता है कि मिल के कपड़े, चमड़े के सामान, तथा बाइसाइकलों के मूल्यों में कमी हुई है।

Shri D. N. Tiwary : It is shown in the statement that there is no increase in the prices of kerosene oil. Is the hon. Minister aware that it is not available in market in Delhi and villages. It is not available ever since this black-out has been enforced.

I want to know the basis of preparation of whole sale price Index.

Shri B. R. Bhagat : It is on the basis of statistics. I cannot go into details. It is possible that in a certain prices might have gone due to shortage. So far the statistics of whole country are concerned there is no change in its price.

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों की यह शिकायत है कि जो मूल्य बताये जाते हैं वे बाजार के भाव से भिन्न होते हैं।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में बताया गया है कि मूल्य मांग और उपलब्धि पर निर्भर करते हैं और यह अनुमान लगाना कठिन है कि सरकार द्वारा कोशिश करने पर मूल्यों में कितनी कमी होगी। इससे सरकार की अकुशलता की झलक मिलती है। देश के श्रमिकों ने देश की रक्षा के लिये पूरी सहायता का आश्वासन दिया है। मैं जानना चाहता हूं कि सरकार देश की रक्षा करने वालों को उचित मूल्यों पर अत्यावश्यक वस्तुएं दिलाने के लिये क्या कार्यवाही की है ?

श्री ब० रा० भगत : यह बताया गया है कि आर्थिक कारणों पर पूर्णरूप से नियन्त्रण नहीं रखा जा सकता। जहां तक हो सके पूरी कोशिश की जाती है। अत्यावश्यक वस्तुओं के उपलब्ध कराने के बारे में ....

अध्यक्ष महोदय : क्या कारखानों के मजदूरों को अत्यावश्यक वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिये कोई कार्यवाही की जायेगी ? इन लोगों ने देश की रक्षा में सहायता करने का आश्वासन दिया है।

श्री ब० रा० भगत : इस सुझाव का ध्यान रखा जायेगा।

श्री स० मो० बनर्जी : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है। यहां इस सदन में वित्त मंत्री, योजना मंत्री और श्रम मंत्री तीनोंने आश्वासन दिया था कि उपभोक्ताओं की सहकारी समितियां बनायी जायेंगी और मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जायेगा। अब क्या यह माननीय मंत्री के लिये उचित है कि पहले के प्रश्न का उत्तर भी न दें।

अध्यक्ष महोदय : इस का पहले ही उत्तर दिया जा चुका है। अब माननीय सदस्य क्या जानना चाहते हैं ?

श्री स० मो० बनर्जी : एक और प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : एक का उत्तर माननीय मंत्री ने दे दिया है और माननीय सदस्य वह जानते है। दूसरा प्रश्न क्या है ?

श्री स० मो० बनर्जी : कृपया मुझे सुनिये ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विनिर्णय देने को कहा गया है ।

श्री स० मो० बनर्जी : आप उस मंत्री महोदय को संरक्षण दे रहे जो उत्तर नहीं देना चाहते ।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, मैं सदैव माननीय सदस्य को आवश्यकता के समय संरक्षण देता हूं ।

श्री स० मो० बनर्जी : मूल्यों में वृद्धि हो गई है और वह उत्तर देते हुए हंस रहे हैं। वह लोगों को कैसे संतुष्ट कर सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : मैं उस के भावों पर नियन्त्रण नहीं कर सकता ।

श्री स० मो० बनर्जी : समस्या के प्रति यह बहुत अनुचित रवैया है। हम सरकार की हर प्रकार सहायता कर रहे है और वह खाना भी उपलब्ध नहीं करा सकते ।

अध्यक्ष महोदय : मुझे आश्चर्य है कि आप फिर वहीं बात कह रहे हैं। मैंने उन के प्रश्न पर विचार किया था और उन के प्रश्न के उतर में मंत्री महोदय ने कहा कि उन के सुझाव पर विचार होगा। इस समय आप और क्या चाहते हैं। इस में व्यवस्था का क्या प्रश्न है ?

श्री स० मो० बनर्जी : एक व्यक्तिगत स्पष्टीकरण के प्रश्न पर ।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, मैं इसकी आज्ञा नहीं दे रहा ।

श्री स० मो० बनर्जी : हम उत्तर बाहर देंगे ।

अध्यक्ष महोदय : कोई सीमा होनी चाहिये। आप उसी प्रकार करते चले जा रहे है।

श्री स० मो० बनर्जी : क्या आपने विवरण देखा है ?

अध्यक्ष महोदय : फिर वही बात ।

श्री स० मो० बनर्जी : विवरण में कुछ भी नहीं है। वह पूरे देश को धोखे में रख रहे है।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : विवरण के भाग (क) और उस दो अन्तिम कालमों में परिवर्तनों के प्रतिशत में जो अन्तर है उस से पता चलता है कि सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। इस को बताया जाये ।

श्री ब० रा० भगत : क्या वह बतायेंगे कि अन्तर कहां पर है ?

श्री अ० ना० विद्यालंकार : दो अन्तिम कालमों मूल्यों में जो परिवर्तन दिखाये गये है उन से पता चलता है लगभग सभी वस्तुओं के मूल्यों में वृद्धि हुई है। जब कि भाग (क) में कहा गया है कि सरकार ने मल्यों को बढ़ने से रोकने के लिये कार्यावाही की है। इससे ऐसा लगता कि सरकार इस सम्बन्ध में सफल रही है ।

अध्यक्ष महोदय : इस में कोई परस्पर विरोधी बात नहीं है ।

श्री अ० ना० विद्यालंकार : ऐसा लगता है कि मूल्य नहीं बढ़ने दिये गय ।

अध्यक्ष महोदय : उन्होंने कहा है कि उन्होंने कार्यवाही की है।

श्री अ० प्र० शर्मा : वस्तुओं के मूल्यों सम्बन्धी सामान्य देशनांक से पता चलता है कि मार्च 1965 में यह 150.3 था और अगस्त, 1965 में 167.3 है। खाद्यान्नों के मूल्य इसके अतिरिक्त है। इस वृद्धि के लिये सरकार श्रमिक वर्ग को क्या देने जा रही है।

श्री ब० रा० भगत : श्रमिक वर्ग से ठेके पर काम लिया जाता है। और निर्वाह व्यय में बढौती अपने-आप निष्प्रभाव हो जाती हैं। वे और भी दूसरे विभिन्न समझौतों के अन्तर्गत आते हैं।

श्री अ० प्र० शर्मा : प्रश्न यह है कि उन की निर्वाह व्यय में क्षतिपूर्ति किस प्रकार की जायगी।

श्री ब० रा० भगत : यदि मूल्यों में वृद्धि होती है तो दूसरी विभिन्न चीजों के अन्तर्गत वह अपनेआप निष्प्रभाव हो जाती है।

कुछ माननीय सदस्य : नहीं।

श्री ब० रा० भगत : यह तो मेरा काम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या महंगाई भत्ता मूल्य वृद्धि से सम्बंन्धित है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : श्रमिक वर्ग का प्रश्न अनेक नियोजकों के साथ की गई ठेके की शर्तों पर निर्भर है। कुछ मामलों में कलकत्ता में वाणिज्य मण्डल की ओर से दिये गये देश-नांको के आधार पर यह वृद्धि होती है; दुसरे ऐसा नहीं करते। यह उनकी ठेके की शर्तों पर निर्भर है। जहांतक सरकार का अपने कर्मचारियों के बारे में सम्बन्ध है आप जानते है कि वह एक ठेका है। इस लिये यह ठेके विभिन्न कर्मचारी वर्गों के साथ भिन्न भिन्न प्रकार के होते हैं। यदि यह सरकार के देखने का प्रश्न है कि प्रत्येक कर्मचारी का भत्ता बढा है कि नहीं तो यह हमारी क्षमता में नहीं है क्योंकि प्रत्येक मामले में यह नियोजक और कर्मचारी के बीच ठेके का विषय है।

श्री अ० प्र० शर्मा : महोदय; प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है।

अध्यक्ष महोदय : इतने लम्बे उत्तर के बाद मैं उनको और कहने को नहीं कह सकता।

Shri Tan Singh : It has just been stated by the Government that the prices are increasing due to the lack of balance between demand and production and we have also been told that efforts are being made to keep the balance. Same thing has also been said in the statement about distribution and control. I would like to know whether Government has any comprehensive scheme regarding production on the basis of which it might be said that after such months, years or days or period, prices would come to their normal level.

Shri Bhagat : Whereas the question of production is concerned, irrigation in particular, efforts are being made to increase the productions of food-grains. The Finance Minister has recently announced concession in excise duty etc. with a view to increasing the production of essential commodities.

श्री शिवाजीराव सं० देशमुख : विभिन्न खाद्य उपद्रवों के अन्तर्ग्रस्त खाद्य स्कंधो को ध्यान में रखते हुये, विशेषतः कोल्हापूर के खाद्य उपद्रव की जहां कि यह कहा जाता है कि 75,000 से 1½ लाख टन क्विटल अनाज अन्तर्ग्रस्त था। खाद्यान्नो की जमाखोरी के बारे में सरकार का क्या अनुमान है।

श्री ब० रा० भगत : वह प्रश्न मेरे सहयोगी खाद्य मन्त्री को सम्बोधित किया जाना चाहिये।

श्री शिवाजीराव सं० देशमुख : प्रश्न जमाखोरी के बारे में है। जमाखोरी किस हद तक है इस के बारे में सरकार का क्या अनुमान है।

श्री ब० रा० भगत : यह खाद्यान्नों के बारे में है। मैं इस का कोई भी उत्तर देने की स्थिति में नही हूँ।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

श्री अ० प्र० शर्मा : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : इस समय मै उस की आज्ञा नही दे सकता। बहुत पहले उन्होने प्रश्न किया था। और उत्तर दे दिया गया था।

श्री अ० प्र० शर्मा : वह उत्तर पूर्ण नही था।

अध्यक्ष महोदय : मैं अब उस की आज्ञा नही दूंगा।

श्री अ० प्र० शर्मा : मैंने उस समय यह प्रश्न उठाया था परन्तु आप ने आज्ञा नही दी थी।

अध्यक्ष महोदय : अगला प्रश्न।

विश्व बैंक ऋण

+

***513. श्री प्र० चं० बरुआ :** क्या वित्त मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने विश्व बैंक से कुल 840 लाख डालर के दो ऋण प्राप्त किये हैं; और

(ख) यदि हां, तो यह धन किन परियोजनाओं पर लगाया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां। विश्व बैंक ने कुल 840 लाख डालर के दो ऋणों की मंजूरी दी है।

(ख) 700 लाख डालर का एक ऋण बिजली की वर्तमान प्रेषण (ट्रांसमिशन) सुविधाओं के विस्तार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए है और 140 लाख डालर का दूसरा ऋण आंध्र प्रदेश के कोत्तागुडम तापीय बिजली घर के विस्तार के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए है।

श्री प्र० चं० बरुआ : क्या मैं जान सकता हूँ कि इस समय विश्व बैंक का अध्ययन किस स्तर पर है और किस हद तक ऋण गैर-परियोजन योजनाओं के लिये है ?

श्री ब० रा० भगत : वे परियोजनाओं के लिये हैं। एक विद्युत प्रेषण परियोजना के लिये और दुसरा तापीय बिजली घर के लिये है। जैसा कि मैं ने कहा वे 840 लाख डालर के हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : विश्व बैंक के ऋणों से चलायी गयी परियोजनाओं में विदेशी मुद्रा की मात्रा कितनी है और पूंजीगत वस्तुओं के आयात पर कितना व्यय होगा और आयात किन किन देशों से किया जायेगा ?

श्री ब० रा० भगत : क्या आप इन परियोजनाओं का कुल परिव्यय जानना चाहते है ?

श्री प्र० चं० बरुआ : मै उन परियोजनाओं की, जो कि इन ऋणों से चलाई जायेंगी, विदेशी मुद्रा की कुल मात्रा जानना चाहता हूं।

श्री ब० रा० भगत : प्रश्न इन दो ऋणों से सम्बंधित हैं क्या वह एक आम प्रश्न पूछ रहे है। मैं उनका आशय नहीं समझ सका हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या वह इन दो ऋणों के बारे में पूछ रहें हैं।

श्री प्र० चं० बरुआ : जी हां।

श्री ब० रा० भगत : समस्त ऋण इन परियोजनाओं की विदेशी मुद्रा परिव्यय को पूरा करने के लिये है।

श्री अल्वारेस : भुगतान-शेष की कठिनाईयों से जो दायित्व उत्पन्न हो गया है उस के कारण विदेशी ऋणों पर विभिन्न प्रभार हैं। क्या मैं वित्त मन्त्री से पूछ सकता हूं कि वह ऋणों, जो कि दिये जाने वाले हैं, उन को किस प्रकार चुकाये जाने का विचार है और वह ऋण जो बहुत पहले चुकाये जाने वाले थे उन की राशि क्या है।

अध्यक्ष महोदय : यह एक बहुत ही सामान्य प्रश्न है।

श्री अल्वारेस : अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष से वित्त प्राप्त होता है वह विभिन्न प्रयोजनों के लिये है कुछ ऋणों के भुगतान को स्थगित करवाने के लिये वह टोक्यो गये थे और उन्होनें कुछ ऐसे ऋणों का भुगतान परिशोध रूप में किये जाने के लिये भी कहा है जो अब दिये जाने हैं। यदि वह अन्तर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष में जाते है तो क्या वह कुछ विशिष्ट परियोजनाओं या सामान्य प्रयोजनों के लिये ऋण के लिये कहेंगे।

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : यह खास ऋण जिस बारे में प्रश्न पूछा गया है दो भागों में है--एक 7 करोड़ डालर का है जो कि विभिन्न परियोजनाओं के लिये प्रेषण उपकरण क्रय करने के लिए है। प्रेषण उपकरणों पर कुल 186 करोड़ रुपये व्यय होने का अनुमान है इस में 57 करोड़ की विदेशी मुद्रा होगी और 24 करोड़ दुसरे आकस्मिक व्यय के लिये है। यह एक प्रेषण सुविधाओ सम्बन्धी परियोजना और कोतागुडम की तापीय बिजलीघर के विस्तार के वित्त प्रबन्ध के लिये है। क्या माननीय सदस्य किसी और के बारे में पूछ रहे हैं। मुझे भय है कि उन्होने कोई विशिष्ट प्रश्न नहीं पूछा है।

श्रीमति शारदा मुकर्जी : क्या यह सच है कि विश्व बैंक ने इस शर्त पर कि अमरिका से आयात में वृद्धि की जायेगी कुछ अल्प-कालीन ऋण देने की पेशकश की है। क्या ऐसा कोई प्रस्ताव सरकार को प्राप्त हुआ है।

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : यदि ऐसी पेशकश की जाती है तो मैं उसका स्वागत करूंगा। मुझे इस के बारे में अभी कोई सूचना नहीं है।

श्रीमति रामदुलारी सिंहा : क्या मैं जान सकती हूं कि वर्तमान अन्तर्राष्ट्रीय स्थिति को देखते हुये इन परियोजनाओं के बारे में कोई परिवर्तन होने वाला है।

श्री ब० रा० भगत : अभी कुछ कहना कठीन है।

Shri Rameshwara Nand : Mr. Speaker. This nation is not becoming self sufficient in production and so it cannot save anything for future. It depends on loans from others. May I know whether this Government is going to make this Country bankcrupt or prosperous ?

Shri Hukam Chand Kachhvaiya : May I know whether we take loans from the World Bank for the repayment of those loans which we took from other countries. If so, what is the rate of interest per year on such loans ?

Shri B. R. Bhagat : I want another notice regarding interest. The details regarding the loans which we took from World Bank and other countries are shown in the budget every year and we repay them accordingly.

श्रीमति तारकेश्वरी सिन्हा : क्या मैं जान सकती हूँ कि विश्व बैंक से ऋण की सहायता से बनने वाले परियोजनाओं के उपकरणों का क्रय कुछ विशेष देशों तक संसीमित है या उस के लिये सारे विश्व से टैंडर मांगे जायेंगे ?

श्री ति० त० कृष्णमाचारी : इस के लिये सारे विश्व से टैंडर मांगे जायेंगे ।

+

खाद्य अपमिश्रण

*515. **श्री विभूति मिश्र :**
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री स० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :
श्री ओंकार लाल बैरवा :
श्री गुलशन :
श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :
श्री दी० चं० शर्मा :
श्री रा० बरुआ :
श्री राम सहाय पाण्डेय :
श्री कनकसबै :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने खाद्य अपमिश्रण रोक अधिनियम, 1954 को प्रभावी ढंग से लागू करने के लिये आवश्यक सामग्री इकट्ठी करने और प्रस्तावों को अन्तिम रूप देने के लिए विभिन्न राज्यों की यात्रा करने के लिये एक दल बनाया गया है;

(ख) यदि हां, तो क्या उसने कोई प्रतिवेदन दिया है ; और

(ग) यदि हां, तो उसमें की गई सिफारिशों पर सरकार को क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां। विभिन्न राज्यों का दौरा करने तथा आवश्यक सूचना एकत्र करने और उसे मन्त्रियों की केन्द्रीय समिति के सम्मुख उनके विचारार्थ रखने के लिए दो व्यक्तियों को एक समिति नियुक्त की गई है।

(ख) जी नहीं ।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Shri Bibhuti Mishra : It is self evident that Oil, Ghee, Atta, Milk and spices are adulterated. These are essential commodities. All hon. members and you also are well aware of this adulteration. May I know whether Government has thought of any gain by appointing a committee for it ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, the question is whether Government has set up any team to visit various states and to collect necessary information that how this act is being enforced and what should be done ? I have answered to the hon. members that a Committee has been appointed by the Central Council which includes hon. ministers from states and one Deputy Health Minister is the Chairman of that Committee. They have sent two officers to the States to examine the defects in the enforcement machinery and laboratory facilities, They are doing this work. Now the hon. members say that there is adulteration in every commodity. I may say that each municipal committee is taking action under this act in this regard.

Shri Bibhuti Mishra : It has already been provided under the law that nobody should sell rotten stuff.

Mr. Speaker : Cholera has spread in our district and even then rotten things are being sold in the market and are purchased by the people with the permission of the officers of this department in spite of this Act. May I know what effective steps are being taken by the Government to prevent this self evident evil. Its answer should be very clear. We all know about this. Under the constitution it is the duty of Government to prevent such evil. It should be honestly stated what we have done, whether we have met with any success or not, if not what steps are being taken in this regard.

Dr. Sushila Nayar : I have already answered this question so many times in this House that everywhere municipal committees take action under this Act. Keeping in view the law and health uncovered and rotten things should not be sold in the market. May I respectfully state that if action is taken at certain places leaders become angry as to why such action is taken against these poor people. Whatever the case might be it remains a fact that this problem should be tackled by the municipalities ratter than the Central Government.

Shri Bibhuti Mishra : Mr. Speaker, I rise on a point of order. You have said that it is not done anywhere. May I know the name of that place and other places also where such adulterated and rotten things are not sold.

Dr. Sushila Nayar : It is being done at many places.

Mr. Speaker : It is for the municipal committees to see this.

Shri Bibhuti Mishra : Let her tell the name of the place where it is not done. She will be aware of it.

Mr. Speaker : It is not done at that place which you are mentioning.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : माननीय मन्त्री के लिये यह बहाना बनाना उचित नही है कि माननीय सदस्य और नेतागण कानून में हस्तक्षेप करते हैं।

Mr. Speaker : She has not said members but leaders. They can be other than the members.

One Hon. Member : She has not said 'other than'. Every member is considered to be a leader.

Mr. Speaker : We should not think that there is no leader outside this House and that leaders are only in the House .

श्री दी० चं० शर्मा : मैं यह कहना चाहता हूँ कि मै नेता नहीं हूँ।

अध्यक्ष महोदय : और मैं भी नेता नही हूँ। हम दोनों एक साथ हैं।

Shri D. N. Tiwary : Here in Delhi under Central Govt. rotten and adulterated eatables are sold openly. May I know whether the Government has thought the necessity of taking some steps to prevent the selling of dirty and rotten eatables which the people get through hawkers on roads or it has been left completely for the municipal committees ?

Dr. Sushila Nayar : This comes under the perview of municipalities and they will do it. Central Government cannot perform the functions of Corporation.

Shri Gulshan : Adulteration is so much common in the country that what to talk of eatables even poison is adulterated. I would like to know which States have been visited by the committee which was appointed to examine the matter and whether any report has been submitted by it, if so, what is that ?

Dr. Sushila Nayar : This Committee consists of ministers from Maharashtra, Rajasthan, Madhya Pradesh, Andhra Pradesh, Uttar Pradesh and Madras. Those officials who have visited the various states, will submit their report to this Committee. As far as I know their report has not yet been received.

श्री दी० चं० शर्मा : देश में खाद्य पदार्थों में मिलावट की समस्या सार्वत्रिक है। क्या मैं पूछ सकता हूँ कि 2 व्यक्तियों के एक दल से क्या लाभ होगा—वे क्या करेंगे, विभिन्न राज्यों का दौरा करने में कितना समय लगायेंगे और प्रतिवेदन प्रस्तुत करने में कितना समय लगायेंगे ? क्या इस योजना का आयोजन तथा निष्पादन दोनों दोषपूर्ण नहीं है ?

डा० सुशीला नायर : ज़िम्मेवार राज्य मंत्रियों की एक समिति ने, जिस को इस मामले पर विचार करने का कार्य सौंपा गया था, यह निर्णय किया है कि दो पदाधिकारी प्रत्येक राज्य का दौरा करें और क्रियान्विति के लिये व्यवस्था तथा इस में त्रुटियों को स्वयं देखे और सुझाव दें कि व्यवस्था को सुदृढ़ बनाने तथा प्रयोगशाला की सुविधाओं का विस्तार करने के बारे में और क्या कुछ किया जाना चाहिये। मुझे खेद है कि मैं माननीय सदस्य से सहमत नहीं हो सकती हूँ।

श्री दी० चं० शर्मा : वह चाहे मेरे से सहमत न हों, परन्तु दो व्यक्तियों को कार्य करने के लिये कहा जाना यह एक हास्यास्पद बात है।

डा० सुशीला नायर : .... कि योजना दोषपूर्ण है क्योंकि इसे ज़िम्मेवार मंत्रियों ने बनाया था।

Shri R. S. Pandey : I think, the hon. Minister would agree with me that more the steps were taken to prevent food adulteration, the more it went on increasing I, therefore, want to know whether there is any likelihood of more steps being taken so that the food adulteration could, at least, be prevented ?

Dr. Sushila Nayar : Sir, they are being imprisoned and fined. What more stringent action can be taken ?

श्री हरि विष्णु कामत : क्या यह सच नहीं है कि संसद द्वारा खाद्य में मिलावट के विरूद्ध कड़े उपाय करने के पश्चात पकड़े गये दूध अथवा खाद्य पदार्थों में मिलावट करने वालों में से मंत्री महोदय स्वयं एक थे और यदि हां तो इस मामले में क्या अन्तिम निर्णय किया गया था ?

डा० सुशीला नायर : मैं नहीं जानती कि माननीय सदस्य किस मामले का उल्लेख कर रहे हैं। एक बार दूध में एक मक्खी भी पाई गई थी। यह समाचार समाचारपत्रों में छापा गया था। दिल्ली दुग्ध योजना का इस ओर ध्यान दिलाया गया था और उन्होंने स्वच्छता सम्बन्धी और अधिक उपाय किये हैं। ऐसी बातें तो हो ही जाती हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई कार्यवाही भी की गई है। प्रत्येक व्यक्ति को मुक्त कर दिया जाता है और कोई दण्ड नहीं दिया जाता है। इसी लिये तो ऐसी बातें होती हैं। क्या मंत्री महोदय यह सुनिश्चित करेंगे कि किसी व्यक्ति को दण्ड दिया जाये ?

अध्यक्ष महोदय : किसी व्यक्ति के बारे में कोई प्रश्न नहीं पूछा जा सकता।

श्री नरेन्द्र सिंह महीडा : क्या मंत्रालय को कोई ऐसा सुझाव प्राप्त हुआ है कि अधिक परीक्षण प्रयोगशालायें खोली जायें और यदि हां, तो सरकार इस मामले में क्या कार्यवाही करना चाहती है ?

डा० सुशीला नायर : यही तो मैंने बताया है। हम ने प्रयोगशाला की सुविधाओं का विस्तार करने के लिये चौथी योजना में कुछ धन की व्यवस्था की है। इस बीच इन राज्य मंत्रियों ने महसूस किया कि, यह जानने के लिये कि इस सम्बन्ध में क्या किया जाना चाहिये, स्थलीय अध्ययन आवश्यक है।

श्री ही० ना० मुकर्जी : ऐसा प्रतीत होता है कि खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम को 1954 में पारित किया गया था। इस अधिनियम के पारित किये जाने के पश्चात 11 वर्ष व्यतीत हो गये हैं। मैं जानना चाहता हूँ कि इतना समय व्यतीत होने के पश्चात यह महसूस किया गया है कि इस प्रकार की जांच की आवश्यकता है जिसका मंत्री महोदय ने उल्लेख किया है, तथा क्या इससे यह समझा जाये कि पिछले 11 वर्षों में इस अधिनियम की क्रियान्विति संतोषजनक ढ़ंग से नहीं की गई है और अब इस मामले की विस्तारपूर्वक जांच की जा रही है ?

डा० सुशीला नायर : स्पष्ट है कि अधिनियम को संतोषजनक ढ़ंग से क्रियान्वित नहीं किया गया है। अन्यथा माननीय सदस्यों को ऐसी टिप्पणियां करने की आवश्यकता ही न पड़ती। चूंकि हम इस बात से सहमत है कि अधिनियम की क्रियान्विति में कुछ सुधार करने की आवश्यकता है। अतः हम यह सब कदम उठा रहे हैं।

श्री० दे० जी० नायक : मंत्री महोदय ने अभी यह बताया कि खाद्य मिलावट प्रतिषेध अधिनियम को लागू करने की जिम्मेवारी नगरपालिकाओं तथा स्थानीय निकायों की है। क्या केन्द्रीय सरकार इस ज़िम्मेवारी को नहीं लेना चाहती है ?

डा० सुशीला नायर : यह केन्द्रीय सरकार के लिये यह सम्भव नहीं है कि वह एक ऐसे कानून की क्रियान्विति की ज़िम्मेवारी ले, जिसका सम्बन्ध प्रत्येक व्यक्ति और प्रत्येक स्थान से है।

Shri Sarjoo Pandey : The hon. Minister just now said that a committee had been set up to prevent food adulteration but the Act which we already have was sufficient to check food adulteration, may I know the terms of reference of the Committee specially constituted for this purpose and the matters which would be studied by it ?

Dr. Sushila Nayar : I have already stated its terms of reference earlier. It would study the lacunae in the implementation machinery and would suggest the need for improving the laboratory facilities. All this has been included in its terms of reference.

प्रश्नों के लिखित उत्तर

WRITTEN ANSWERS TO QUESTIONS

घाटे की अर्थ व्यवस्था

***514. श्री० प्र० रं० चक्रवर्ती :**
श्रीमती सावित्री निगम :
श्री च० का० भट्टाचार्य :
श्री रामेश्वर टांटिया :
श्री सं० चं० सामन्त :
श्री सुबोध हंसदा :
श्री महेश्वर नायक :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राज्यों को चालू वर्ष में घाटे की अर्थ व्यवस्था करने के विरुद्ध चेतावनी दी गई है ;

(ख) चौथी योजना में राज्यों को अनुमानतः कितनी अतिरिक्त राशि के कर लगाने पड़ेंगे ;

(ग) क्या ऐसी कोई क्रमबद्ध ग्राम शुल्क की एक पद्धति बनाने का विचार है जिसमें भूमि लगान, सिंचाई दर, कृषि आय कर, वाणिज्यिक फसलों पर अधिभार भी शामिल हों; और

(घ) क्या राज्यों को प्राथमिकता निर्धारित करने में अपनी इच्छानुसार आवश्यक फेरबदल करने के अधिकार दिये जायेंगे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) यह अभी विचाराधीन है।

(ग) कृषि क्षेत्र से अतिरिक्त साधनों को बढ़ाने के लिए विभिन्न उपायों पर विचार किया जा रहा है। परन्तु इस संबंध में ठीक कार्रवाई इस बात पर निर्भर करेगी कि राज्य सरकारों द्वारा पृथक पृथक क्या निर्णय लिए जाते हैं।

(घ) राज्य सरकार, अपनी सालाना योजना के विकास की मद में अलग अलग स्कीमों की व्यवस्था में समंजन कर सकता है।

इमारती सामान

*516. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमेंट के प्रयोग में बचत करने की दृष्टि से मकानों के निर्माण में सीमेंट के स्थान पर चूने का प्रयोग करने का प्रस्ताव है; और

(ख) क्या सरकार ने चूने से बनी इमारतों तथा सीमेंट से बनी इमारतों की परस्पर अच्छाई अथवा बुराई के बारे में जांच की है तथा इमारतों के टिकाऊपन पर इसका क्या प्रभाव होगा ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जी हां। जहां तक संभव है वहां तक।

(ख) चूना गारा (लाईम मोर्टर) तथा चूना गारा का उपयोग करने वाली चिनाई (मैसोनरी) की शक्ति की परिक्षा केन्द्रीय भवन निर्माण अनुसंधान संस्था रुड़की के द्वारा की जा चुकी है। क्योंकि चूना गारा की शक्ति कम है, अतएव उसका उपयोग हलके लदान की इमारत तक सीमित कर दिया है। चूने गारे का इमारतों की मियाद पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं पड़ता।

प्रबन्ध अभिकरण जांच समिति का प्रतिवेदन

*517. **श्री वारियर :** **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री बासप्पा : **श्री मधु लिमये :**
श्रीमती रेणुका राय : **श्री रामसेवक यादव :**

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या प्रबन्धक अभिकरण जांच समिति ने अपना प्रतिवेदन दे दिया है ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर क्या निर्णय किया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी नहीं। दिसम्बर, 1965 तक समिति द्वारा अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया जाना सम्भावित है।

(ख) तथा (ग) : प्रश्न ही नहीं उठता।

अल्प बचत आन्दोलन

***518. श्री कपूर सिंह :**
श्री गुलशन :
श्री सोलंकी :
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :
श्री रघुनाथ सिंह :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार 1964-65 के लिये अल्प बचत आन्दोलन का लक्ष्य प्राप्त कर सकी है और 1965-66 का लक्ष्य प्राप्त करने की क्या संभावनाएं हैं ;

(ख) क्या यह सच है कि विशेष बचत आन्दोलन के बावजूद भी 1964-65 में परिणाम में कोई विशेष अन्तर नहीं पड़ा ;

(ग) लक्ष्य पूरा न होने क्या के कारण हैं ; और

(घ) 1964-65 का लक्ष्य कैसे पूरा किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) : छोटी बचतों से 1964-65 में लगभग 132.5 करोड़ रुपये जमा हुए हैं, जब कि बजट अनुमान 125 करोड़ रुपये का और संशोधित अनुमान 135 करोड़ रुपये का था। इस प्रकार कोई खास कमी नहीं हुई।

1965-66 में 135 करोड़ रुपये के बजट अनुमान की तुलना में छोटी बचतों से 10 करोड़ रुपया कम प्राप्त होने की सम्भावना है।

सीमाशुल्क अधिकारियों द्वारा सामान की शीघ्र निकासी

***519. श्री सोलंकी :**
श्री प्र० के० देव :
श्री नरसिम्हा रेड्डी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने बम्बई गोदी में सीमा शुल्क विभाग के मूल्य निर्धारकों द्वारा सामान की शीघ्र निकासी सम्बन्धी कोई योजना लागू की है;

(ख) क्या यह योजना लागू करने से वर्तमान स्थिति में सुधार हुआ है ; और

(ग) यदि हां, तो यह योजना अन्य बन्दरगाहों में कब लागू की जायेगी ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) बम्बई बन्दरगाह में अलक्जेंद्रा गोदी के कुछ शेडों में प्रयोग के रूप में एक नई प्रणाली चालू की गई है जिससे आयात किये गये माल की निकासी के लिये सीमा-शुल्क अधिकारियों द्वारा कागजों की छानबीन साधारणतः गोदियों में ही की जायेगी।

(ख) प्रणाली की सफलता इतनी जल्दी नहीं आंकी जा सकती।

(ग) नई प्रणाली के कुछ समय तक काम करने और योजना की कार्यक्षमता आंकने के बाद, इस प्रश्न पर यथासमय विचार किया जायेगा।

वित्त नियम

*520. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार कार्यकुशलता बढ़ाने के लिये वित्त नियमों में परिवर्तन करने की किसी योजना पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य बातें क्या हैं और वह कब लागू की जायेगी ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, नहीं। इस समय वित्त मंत्रालय ऐसी किसी योजना पर विचार नहीं कर रहा है। विकासोन्मुख अर्थ-व्यवस्था की बदलती हुई आवश्यकताओं पर लागू होने के सम्बन्ध में वित्त नियमों की कार्य-प्रणाली पर लगातार पुनर्विचार होता रहता है और आवश्यकतानुसार समय-समय पर इन नियमों में आवश्यक संशोधन और सरलीकरण किया जाता है। प्रशासनिक और कार्यान्वियन प्राधिकारियों को वित्तीय शक्तियां सौंपने की योजना की भी समय-समय पर फिर से जांच की जाती है।

भूमिगत जल

*521. **श्री तन सिंह :** क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) देश में भूमिगत जल की समस्या कितनी बड़ी है ;

(ख) समस्या को हल करने के लिए क्या कार्यवाही की गयी है ; और

(ग) क्या समस्या को हल करने के वैज्ञानिक तरीके खोजने के लिए कोई अनुसन्धान कार्य किया जा रहा है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) से (ग) : विवरण सभा-पटल पर रखा है।

भूमिगत जल की समस्या का सीधा संबंध पर्याप्त रूप से अथवा अन्यत्र नाली की सतह (सर्फेस ड्रेनेज) से है। तदनुसार इसकी जिम्मेवारी अपने अपने अधिकार क्षेत्रों के स्थानीय निकायों की है। फिर भी क्योंकि नई दिल्ली में अधिकांश सम्पत्ति केन्द्रीय सरकार की है, निर्माण, आवास तथा संभरण मन्त्रालय ने भूमिगत जल समस्या, जो कि सरकारी संपत्ति पर प्रभाव डाल रही थी, का अध्ययन करने के लिए सितम्बर 1953 में एक तदर्थ समिति नियुक्त की। इस समिति ने ट्यूब-वैल खोदने, नालियों की पद्धति में सुधार करने, खुले क्षेत्रों में भूमिगत बरसाती नालियों की व्यवस्था करने तथा अन्य उपायों की सिफारिश की थी। सिफारिशों के अनुसरण में 303 ट्यूब वैल खोदे जा चुके हैं, और नई दिल्ली के विभिन्न क्षत्रों में पोरस कांक्रीट की नालियों की व्यवस्था कर दी गयी है। खुले स्थानों से बरसाती पानी निकालने के लिए भूमिगत नालियों की भी व्यवस्था कर दी गयी है। इन उपायों के परिणामस्वरूप भूमि गत जल की ऊपर बढ़ने की प्रवृत्ति को कुछ स्थानों पर रोक दिया गया है, लेकिन अभी तक नई दिल्ली के सम्पूर्ण क्षेत्र में उसके स्तर को भूमि की सतह से 10 फीट नीचे नहीं किया जा सका है जैसा कि विचार था।

विश्व बैंक और आंतराष्ट्रीय विकास ऐजेन्सी से ऋण

*522. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :**

श्री रा० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि गैर-परियोजना कार्यों के लिये अन्तर्राष्ट्रीय विकास एजेन्सी और विश्व बैंक से 10 करोड़ डालर के ऋण की बातचीत करने के लिये जुलाई, 1965 में एक सरकारी दल अमरीका भेजा गया था ;

(ख) यदि हां, तो बातचीत का क्या परिणाम निकला ; और

(ग) यह ऋण किन कार्यों के लिए प्रयोग किया जायेगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : भारत सरकार के एक अधिकारी को, गैर-प्रयोजना कार्यों के लिए 10 करोड़ डालर के ऋण के लिए विश्व बैंक की सम्बन्ध संस्था, अन्तर्राष्ट्रीय विकास संघ (इन्टरनेशनल डेवलपमेंट एसोसिएशन) से बातचीत करने के लिए जुलाई, 1965 के अन्तिम सप्ताह में वाशिंगटन भेजा गया था। बातचीत सफलता के साथ पूरी हुई और 11 अगस्त, 1965 को ऋण-करार पर हस्ताक्षर किये गये।

(ग) ऋण की रकम में से 9.4 करोड़ डालर का इस्तेमाल, ट्रक, बसें और मोटरगाड़ियों के हिस्से, मशीनी औजार, कटाई का काम करने के औजार (कटिंग टूल), भारी इमारती साज-सामान और केबुल व तार सहित बिजली का साजसामान बनाने वाली फर्मों के लिए मशीनों के हिस्से, सामान, सन्तुलनकारी साजसामान और फालतु कल-पुर्जों के आयात के लिए धन की व्यवस्था करने के लिए किया जायगा। बाकी रकम का इस्तेमाल भारी इमारती साजसामान के लिए फालतू कलपुर्जों का आयात करने के लिए किया जायगा ।

राष्ट्रीय महत्व के उद्योगों को कर रियायतें

*523. **श्री श्यामलाल सर्राफ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कर रियायतें देने के उद्देश्य से कुछ उद्योगों को राष्ट्रीय महत्व के उद्योग घोषित किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन्हें राष्ट्रीय महत्व के उद्योग घोषित करने के लिये क्या सिद्धान्त अपनाया गया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) कर सम्बन्धी रियायतें देने के उद्देश्य से किसी उद्योग को राष्ट्रीय महत्व का उद्योग घोषित नहीं किया गया। किन्तु कर सम्बन्धी कुछ रियायतें देने के लिए आय-कर अधिनियम 1961 और वित्त अधिनियम 1965 में कुछ उद्योगों का उल्लेख किया गया है।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

सरकारी उपक्रमों में वेतन ढांचा

*524. **डा० लक्ष्मी मल्ल सिंघवी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकारी सेवाओं के मुकाबले सरकारी उपक्रमों में वेतन ढांचे का कोई अध्ययन किया गया है अथवा करने का विचार है ; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) सरकारी क्षेत्र के जिन उच्च-पदों पर नियुक्तियां सरकार द्वारा की जाती हैं, उन के वेतन सम्बन्धी ढांचे का अध्ययन हाल में शुरू किया गया है।

(ख) सरकार ने फैसला किया है कि सरकारी क्षेत्र के प्रतिष्ठानों को चार विभिन्न अनुसूचियों में वर्गीकृत कर दिया जाय और हर वर्ग के प्रतिष्ठान के मुख्य कार्यपालक अधिकारी (चीफ़ एक्जिक्यूटिव) के सम्बन्ध में नीचे लिखे वेतनमान लागू किये जायें अर्थात् :—

(1) अनसूची "क" के लिए — 3500-125-4000 रुपये

(2) अनुसूची "ख" के लिए — 3000-125-3500 रुपये

(3) अनुसूची "ग" के लिए – 2500-100-3000 रुपये

(4) अनुसूची "घ" के लिए – 2000-100-2500 रुपये

अयस्क निर्यात करने वाली बम्बई की फर्म द्वारा विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन

***525. श्री हरि विष्णु कामत :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि प्रवर्तन निदेशालय ने विदेशी मुद्रा विनियमों का उल्लंघन करने के लिये अयस्क निर्यात करने वाली बम्बई की एक फर्म पर भारी जुर्माना किया है; और

(ख) यदि हां, तो कितना जुर्माना किया गया है, फर्म का नाम क्या है और किये गये अपराध का ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्रालय में उप मंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) और (ख) : संभवतः प्रश्न का संकेत बाम्बे मिनरल सप्लाई कम्पनी (प्राइवेट) लिमिटेड, जामनगर से है जिसकी प्रशासनिक शाखा का दफ्तर बम्बई में है। प्रवर्तन निदेशक ने इस फर्म पर तथा इसके प्रबंध निदेशक श्री प्रभुलाल एस० शाह पर अलग-अलग तथा संयुक्त रूप से 10,25,000 रुपये का दंड लगाया है। दंड लगाये जाने के कारण हैं :

(1) विदेश में अनधिकृत खाता रखना; (2) अधिकृत व्यवसायियों से भिन्न व्यक्तियों को विदेशी विनिमय बेचना तथा (3) निर्धारित अवधि में विदेशी विनिमय वापस नहीं लाना।

पेंशन

***526. श्रीमति रेणु चक्रवर्ती :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पेंशन के लघुकरण नियमों में कोई रूपभेद करने पर विचार किया जा रहा है ताकि लघुकरण कराने वाले अधिक आयु के व्यक्तियों को जिन्होंने, लघुकरण की पूरी रकम वापस कर दी है, पूरी पेंशन दी जा सके; और

(ख) क्या पेंशन पाने वाले उन व्यक्तियों को, जो वर्तमान महंगाई के कारण सर्वाधिक पीड़ित हैं, कुछ सहायता देने का कोई प्रस्ताव है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : जी, नहीं।

सरकारी कर्मचारीयों को मंहगाई भत्ता

***527. श्री ब्रजेश्वर प्रसाद :** **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री जेधे : **श्री स० मो० बनर्जी :**

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या 21 अगस्त, 1965 के 'ब्लिट्ज' में प्रकाशित यह समाचार सच है कि निर्वाह व्यय में हुई वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये से अधिक वेतन पाने वाले सभी सरकारी कर्मचारियों को कुछ महंगाई भत्ता मिलेगा ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्वाह व्यय में हुई और वृद्धि को ध्यान में रखते हुए 1000 रुपये से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों को अधिक महंगाई भत्ता देने का कोई प्रस्ताव विचाराधीन है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) ऐसे सरकारी कर्मचारियों को सहायता देने के मामले की जांच की जा रही है जिनको 1 जुलाई 1959 के बाद से न तो महंगाई भत्ता दिया गया है और न जिन्हें वेतन-मान में संशोधन का लाभ ही मिला है। अभी तक इस मामले पर कोई फैसला नहीं हुआ है।

(ख) 1000 रुपये प्रतिमास से कम वेतन पाने वाले कर्मचारियों के सम्बन्ध में महंगाई भत्ते की दरों पर अब फिर से तभी विचार किया जाना है जब बारह महीने का औसत अखिल भारतीय श्रमिक वर्ग उपभोक्त मूल्य सूचक-अंक 165 तक पहुंच जाये। अन्तिम उपलब्ध औसत सूचक अंक जुलाई, 1965 के लिए 161.92 है।

बर्ड एन्ड कम्पनी

***528. श्री सुरेन्द्रनाथ द्विवेदी :**
श्री द्वारका दास मंत्री :
श्री स० मो० बनर्जी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सीमा शुल्क अधिकारियों और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क अधिकारियों ने विदेशी मुद्रा नियमों के उल्लंघन करने और कम मूल्य का बीजक बनाने के लिए मैसर्स बर्ड ऐण्ड बर्ड कम्पनी और उसके सहयोगियों पर 1,65,35,000 रुपया जुर्माना किया है;

(ख) विभिन्न अपराधों का ब्यौरा क्या है;

(ग) कम्पनी के सहयोगियों का इस मामले में क्या हाथ है; और

(घ) इसका कब पता लगा और न्यायनिर्णयन में कितना समय लगा ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) से (ग) : जी हां। यह दंड, निरीक्षण निदेशक (सीमा शुल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क) ने, अपनी न्याय-निर्णय प्राधिकारी की हैसियत में लगाया है। फर्मों के नाम, बर्ड एंड कम्पनी तथा उसकी सहवर्ती फर्मों, अर्थात् उड़ीसा मिनरल डेवलपमेंट कम्पनी लिमिटेड, बेकर ग्रे एन्ड कम्पनी, हैं। सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम, सर्व श्री मिचलमोर, पिल्किंगटन, एस० के० घोष, तथा जे० मेक्कोवन हैं। ये सब कम्पनियां तथा व्यक्ति विदेशी मुद्रा विनियम अधिनियम, 1947 की धारा 23-क के साथ पठित धारा 12(1) तथा समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878 की धारा 19 के उपबन्धों का उल्लंघन करने के अपराधी ठहराये गये हैं। न्यायनिर्णय प्राधिकारी ने समुद्री सीमा शुल्क अधिनियम 1878 की धारा 167(8) के अधीन दंड लगाया है।

(घ) मामला जून 1963 में पकड़ा गया और न्याय-निर्णय-आदेश 24 अगस्त 1965 को जारी किया गया।

विकास दल

***529. श्री विश्वनाथ पाण्डेय** : क्या **योजना** मंत्री 29 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1081 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने अब गांवों में तेजी से विकास कार्य करने के लिए एक विकास दल बनाने की योजना तैयार कर ली है;

(ख) यदि हां, तो विकास दल कब बनाया जायेगा; और

(ग) योजना पर कुल कितना व्यय होगा ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) और (ख) : यह योजना अभी विचाराधीन है और इसका ब्यौरा तैयार किया जा रहा है।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रूसमें विद्युत प्रणाली

***530. श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री गुलशन :**
श्री बासप्पा : **श्री बसवा ी :**
श्री कपूर सिंह : **श्री राम सेवक :**
श्री सोलंकी : **श्री फ० गो० सेन :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वह हाल में रूस में विद्युत् प्रणाली का अध्ययन करने के लिये रूस गये थे ;

(ख) यदि हां, तो इस सम्बन्ध में उनके मुख्य विचार क्या हैं ; और

(ग) इस दृष्टि से भारत में विद्युत् प्रणाली का किस प्रकार पुनर्गठन करने का विचार है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां। रूस देश का जो मैंने हाल ही में 15-6-65 से 1-7-65 तक दौरा किया था, उस के दौरान मुझे उस देश में अन्य चीज़ों के साथ साथ बिजली प्रणालियों के अध्ययन करने का भी अवसर मिला।

(ख) मैं ने वहां क्या क्या देखा था उस का एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी० 4799/65।]**

(ग) मामला विचाराधीन है।

चौथी योजना में केंद्रीय तथा राज्य सरकारों द्वारा अधिक संसाधनों की व्यवस्था करना

***531. श्री प्र० रं० चक्रव ी :** **श्री म० ला० द्विवेदी :**
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह : **श्रीमती सावि ी निगम :**
श्री प्र० चं० बरुआ : **डा० महादेव प्रसाद :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री बाग ी :**
ी सुबोध हंसदा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राष्ट्रीय विकास परिषद् की संसाधन समिति ने सिफारिश की है कि चौथी योजना के परिव्यय तथा प्राक्कलित राजस्व में लगभग 3000 करोड़ रुपये के अन्तर को पूरा करने के उद्देश्य से अधिक कर लगा कर तथा अन्य उपायों से अतिरिक्त राजस्व प्राप्त करने के लिये केन्द्रीय तथा राज्य सरकारों को मिलकर प्रयत्न करना चाहिए ;

(ख) क्या समिति ने यह भी जरूरी समझा है कि केन्द्रीय तथा राज्य सरकारें चालू वर्ष में अनुपूरक बजट पेश करें ताकि बढ़ा हुआ दायित्व पूरा करने के लिए राष्ट्र को तैयार किया जा सके ; और

(ग) इन सिफारिशों पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

योजना मं ी (ी ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) इस आशय का मन्तव्य प्रकट किया गया है।

(ग) केन्द्रीय सरकार ने अनुपूरक बजट पहले ही पेश कर दिया है।

विदेशी ऋण की अवधि का बढाया जाना

*532. **श्री वारियर :** **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :**
श्री रघुनाथ सिंह : **श्री तन सिंह :**
श्री शं० ना० चतुर्वेदी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार ने विदेशी ऋण की अवधि बढ़ाये जाने के बारे में भारत सहायता कन्सरटियम के विचारार्थ कोई प्रस्ताव भेजा है ; और

(ख) यदि हां, तो उस का क्या परिणाम निकला ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, नहीं।

(ख) यह सवाल पैदा ही नहीं होता।

जल संसाधनों का परिरक्षण

*533. **श्री तन सिंह :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार देश में जल संसाधनों के परिरक्षण का कार्यक्रम आरम्भ करने का है ;

(ख) क्या प्रत्येक राज्य की वर्तमान तथा भावी आवश्यकताओं के बारे में कोई प्रारम्भिक सर्वेक्षण किया जा रहा है ; और

(ग) इस कार्यक्रम की मुख्य बातें क्या हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जल संसाधन विकास कार्यक्रमों को राष्ट्रीय योजनाओं में एक महत्वपूर्ण स्थान प्राप्त है।

(ख) नदी बेसिन क्रम से मुख्य परियोजनाओं के बारे में कुछ एक प्रारम्भिक अध्ययन किये गये है।

(ग) अध्ययन से यह पता चला है कि देश की बृहद तथा मध्यम सिंचाई स्कीमें 1120 लाख एकड़ भूमि की सिंचाई शक्यता रखती हैं और पन-बिजली स्कीमें 400 लाख किलोवाट की शक्यता रखती हैं।

भारतीय मुद्रा का चोरी छिपे पाकिस्तान भेजा जाना

*534. **श्री त्रिदिब कुमार चौधरी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को विदित है कि जबसे देश में छिपे धन का पता लगाने के लिये कार्यवाही आरम्भ की गयी है तबसे बड़ी संख्या में भारतीय मुद्रा के नोट भारतीय व्यापारियों द्वारा गैर कानूनी तौर से चोरी छिपे भारत से पाकिस्तान, विशेषकर पूर्वी पाकिस्तान, भेजे गये हैं; और

(ख) क्या इस के परिणामस्वरूप पाकिस्तान में भारतीय रुपये की कीमत बहुत गिर गई है ?

वित्त मंत्रालय में उपमंत्री (श्री रामेश्वर साहु) : (क) जहां तक सरकार को पता है, भारत से पाकिस्तान को चोरी छिपे भारतीय मुद्रा ले जाने का काम बड़े पैमाने पर नहीं हुआ है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

योजनाओं में कमियां

*535. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंधवी :** क्या **योजना** मंत्री तीसरी योजना के लक्ष्यों की प्राप्ति में अब तक की कमी और दूसरी योजना के लक्ष्यों में उस के पूरा होने तक की कमी दर्शाने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखने की कृपा करेंगे ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : तीसरी योजना के लक्ष्यों को ध्यान में रखते हुए, जिन मदों में कमियां होने की सम्भावना है उनका विवरण सभापटल पर प्रस्तुत है। [**पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या अेल० टी० 4800/65।**] अतारांकित प्रश्न संख्या 683 दिनांक 14 अगस्त 1962 के उत्तर में दिए गए आश्वासन का पालन करते हुए दूसरी योजना के सम्बन्ध में सूचना देते हुए एक विवरण 4 जून 1964 को सभा-पटल पर रखा गया था।

केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा (सी. अेच. अेस.) के डाक्टरों के वेतन-क्रम

*536. **श्री रामेश्वर टांटिया :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या कुछ राज्य सरकारों ने केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा के डाक्टरों के वेतनक्रम और ढांचे में परिवर्तन करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरुद्ध जो जून, 1965 में घोषित किया गया था अभ्यावेदन किया है ;

(ख) यदि हां, तो उन राज्यों के नाम क्या हैं और इस सम्बन्ध में उनकी मुख्य आपत्तियां क्या हैं ; और

(ग) इस सम्बन्ध में सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) से (ग) : केन्द्रीय स्वास्थ्य सेवा में काम करने वाले डाक्टरों के वेतनमान में परिवर्तन करने के केन्द्रीय सरकार के निर्णय के विरोध में भारत सरकार को राज्य सरकारों से अभी तक कोई औपचारिक पत्र नहीं मिला है। तथापि केन्द्रीय स्वास्थ्य परिषद् की जुलाई, 1965 में हुई गत बैठक में कुछ राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों तथा उनके अधिकारियों ने इस बात की शिकायत की कि भारत सरकार ने डाक्टरों के वेतनमान विना उनकी सलाह लिये संशोधित कर दिये हैं ; जिससे उन्हें दिक्कते पैदा हो सकती है।

भारतीय योजना की सफलताओं का संयुक्त राष्ट्र द्वारा मूल्यांकन

*537. **श्री प्र० चं० बरुआ :** **श्री क० ना० तिवारी :**
ी प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री विद्याचरण शुक्ल :**
श्री विभूति मिश्र :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विकासशील देशों की आर्थिक उन्नति की योजनाबद्ध दर प्राप्त करने में असफलता सम्बन्धी संयुक्त राष्ट्र मूल्यांकन में भारत में इन असफलताओं के लिए जिम्मेदार विभिन्न कारणों पर प्रकाश डाला गया है ;

(ख) यदि हां, तो ये कारण क्या है ; और

(ग) इन टिप्पणियों को ध्यान में रखते हुए सरकार का विचार आयोजना की विकास योजनाओं में, उन को तैयार करने में तथा उनकी कार्यान्विति में क्या सुधार करने का है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी, हां।

(ख) संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदन के अनुसार, हमारी योजना के लक्ष्यों की पूरी तरह प्राप्ति में जिन कारणों ने बाधा डाली, वे सभापटल पर रखी गयी सूची में दिये गएं हैं। [**पुस्तकालय में रखी गयी। देखिये, संख्या अेल०टी० 4801/65**]।

(ग) संयुक्त राष्ट्र के प्रतिवेदन में जिन कारणों का उल्लेख किया गया है उनको योजना आयोग द्वारा तैयार किये गये तीसरी योजना मध्यावधि मूल्यांकन में दर्शाया गया है। इसकी प्रतियां संसद के दोनों सदनों में 26 नवम्बर, 1963 को रखी जा चुकी हैं। इन बाधाओं पर एक निश्चित अवधि के अन्दर काबू पाना है। मध्यावधि मूल्यांकन के बाद 1964-65 और 1965-66 की सालाना योजनाओं में कतिपय सुधारात्मक कदम उठाये गये हैं। अन्य, जिन पर दीर्घकालीन समाधान की आवश्यकता है, उन्हें चौथी योजना तैयार करते समय ध्यान में रखना है।

गर्भाशयान्तर गर्भा-निरोध युक्ति (आई० यू० सी० डी०)

*538. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :**

श्री ओंकार लाल बेरवा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान परिवार नियोजन में नई गर्भाशयान्तर गर्भ-निरोध युक्ति से होने वाले खतरे के समाचार की ओर दिलाया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो जनता में उत्पन्न इस भावना को किस प्रकार दूर करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) यह समाचार गलत धारणा पर आधारित हैं और जनता को ठीक तथ्यों से परिचित कराके इस भावना को दूर किया जा रहा है।

करीवेल्लूर में सरकारी अस्पताल

1785. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी कि :

(क) क्या यह सच है कि केरल के कन्नूर जिले में करीवेल्लूर के सरकारी अस्पताल में और 24 बिस्तरों का एक वार्ड बनाने की मंजूरी दी गई थी ;

(ख) यदि हां, तो यह कब तक पूरा हो जायगा ; और

(ग) निर्माण कार्य तत्काल शुरु कराने के लिये क्या उपाय किये जायेंगे ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : ये प्रश्न नहीं उठते।

वेट्टुवेली सिंचाई योजना

1786. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलन जिले में वेट्टुवेली सिंचाई योजना का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) क्या अब कार्य रोक दिया गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार कार्य को पुनः आरम्भ करना चाहती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और इस काम के कब तक पूरा होने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) स्कीम पर दिसम्बर, 1958 में कार्य शुरू कर दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) कार्यान्विति के दौरान पाई गई मिट्टी की किस्म को देखते हुए मौलिक डिजाइन को बदलना पड़ा।

(घ) शेष कार्यों को आगामी कार्य ऋतु तक पूर्ण करने के लिये हाथ में लिया जाएगा।

कोनोथ रैगुलेटर

1787. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एर्नाकुलम जिले में कोनोथ रैगुलेटर का निर्माण कार्य कब आरम्भ किया गया था ;

(ख) क्या कार्य अब बन्द हो गया है ;

(ग) यदि हां, तो इस के क्या कारण हैं ;

(घ) क्या सरकार कार्य को पुनः आरम्भ करना चाहती है ; और

(ङ) यदि हां, तो कब और इस काम के कब तक पूरा हो जाने की संभावना है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) कोनोथ नियामक पर नवम्बर, 1960 में कार्य आरम्भ कर दिया गया था।

(ख) जी, हां।

(ग) भूमि अर्जन में देरी के कारण काम को बन्द करना पड़ा।

(घ) और (ङ): भूमि अर्जन कर लिया गया है और शेष कार्य के लिये पुनरीक्षत अनुकूलन तैयार किया जा रहा है और कार्य शीघ्र ही चालू कर दिया जाएगा।

भारतीय मुद्रा का चोरी छिपे विदेशों में भेजा जाना

1788. **श्री राम हरख यादव :**

श्री दलजीत सिंह :

श्री साधू राम :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि चोरी छिपे देश से बाहर भेजने के लिये बम्बई के निकट कम गहरे समुद्र में रखे हुए चार-आने और आठ-आने के भारतीय सिक्कों से भरी कई बोरियां बाहर निकाली गई हैं ; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : यह स्पष्ट नहीं है कि प्रश्न का संकेत किस विशेष मामले की ओर है।

बम्बई में टेंक बन्दर के पास, सिक्कों के थैलों के समुद्र में छोड़ दिये जाने की रिपोर्ट मिलने पर बम्बई पुलिस की निवारण आसूचना शाखा ने "खींचने" की क्रिया से उनको बाहर निकालने की व्यवस्था की, जो काम 10 जून, 1965 को शुरू होकर 20 जुलाई, 1965 को खतम हुआ। इस कार्यवाही से 77 बोरे

बरामद हुए जिनमें कुल मिलाकर 2,04,880 रुपये की कीमत के सिक्के थे। भारी मानसून के कारण, थैले खींच निकालने का काम, 20 जुलाई, 1965 को अस्थाई तौर पर बन्द कर दिया गया। पुलिस विभाग ने कहने पर इन सिक्कों को सीमा शुल्क विभाग ने, जो इन्हें बरामद करने के काम में पुलिस का साथ दे रहा था, ले लिया है।

केरल में सिंचाई योजनायें

1789. **श्री अ० क० गोपालन :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) द्वितीय पंचवर्षीय योजना में केरल राज्य के लिये कितनी सिंचाई योजनाएं मंजूर की गई थीं ;

(ख) कितने कार्य अभी तक पूरे नहीं हुए हैं;

(ग) ये कार्य कब तक पूरे होंगे; और

(घ) एर्नाकुलम जिला की थोट्टारा-पुंजा योजना का निर्माण कार्य कब तक पूरा होगा ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) तेरह।

(ख) इन 13 स्कीमों में से केवल एक स्कीम--नामश: चलाकुडी--चरण 1 पूर्ण हो चुकी है। अन्य स्कीमें प्रगति पर हैं। बाकी 12 स्कीमों में से जिन को अभी पूरा करना है, छ: स्कीमें नामश: मालापुज़ा, वलायार, मंगलम, पीची, वाजनी और चलाकुडी चरण--2 को चालू कर दिया गया है। इन स्कीमों के कुछ छोटे मोटे विस्तार तथा पूरक कार्यों को किया जा रहा है। नय्यर--चरण-1, पेरियार घाटी, गायत्री और नय्यर-चरण--2 को अंशत: चालू कर दिया गया है। चीराकुज़ी सिंचाई स्कीम को 1965-66 में चालू किया जाएगा।

(ग) पेरियार घाटी और पोथुंडी स्कीमों को छोड़ कर सभी स्कीमों को तृतीय योजनावधि में पूर्ण कर दिया जाएगा। पेरियार घाटी और पोथुंडी स्कीमों के चतुर्थ पंच वर्षीय योजना में पूर्ण होने की संभावना है।

(घ) जहां तक थोट्टारा पुंजा-स्कीम का संबंध है, नमकीन पानी को अन्दर आने से रोकने तथा सिंचाई हेतु ताजा पानी जमा करने के लिये केवल स्लइस के निर्माण को हाथ में लिया गया है। इस कार्य को लगभग पूर्ण कर दिया गया है।

राजस्थान में आय कर तथा मृत्यु-शुल्क की बकाया राशि

1790. **श्री कर्नी सिंहजी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964--65 में आयकर की कितनी बकाया राशि वसूल की गई और उस वर्ष के अन्त में कितनी राशि बकाया रही ; और

(ख) राजस्थान में 1964--65 में सम्पदा शुल्क की कितनी बकाया राशि वसूल की गई और उस वर्ष के अन्त में कितनी राशि बकाया रही ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) :

(आंकड़े लाख रुपयों में)

	आय-कर	सम्पदा-शुल्क
1964-65 में राजस्थान राज्य में वसूल की गयी बकाया	64.69	1.36
31-3-1965 को राजस्थान राज्य में बकाया	321.33 (प्रभावी बकाया)	8.11

पश्चिम बंगाल कल्याण बोर्ड

1791. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पश्चिम बंगाल कल्याण बोर्ड को आयकर से छूट दी गई थी;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने यह पता लगाया है कि क्या इस बोर्ड ने अपनी निधियां पश्चिम बंगाल बाढ सहायता समिति से प्राप्त की थी, जिसे कि आयकर से छूट प्राप्त है और क्या यह बोर्ड भी बाढ़ पीड़ित लोगों को सहायता देता है;

(ग) इस समिति के महा मंत्री और अन्य पदधारियों के क्या नाम हैं;

(घ) क्या सरकार ने पता लगाया है कि क्या इस समिति के लेखों का लेखापरीक्षण किया गया है ;

(ङ) यदि हां, तो कब;

(च) क्या सारी राशि बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में व्यय में की गई थी; और

(छ) यदि नहीं, तो कितनी राशि बाढ-ग्रस्त क्षेत्रों से भिन्न क्षेत्रों में खर्च की गई थी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(समिति का सही नाम "नूतन पश्चिम बंगाल कल्याण बोर्ड" है)।

(ख) बताया गया है कि बोर्ड की धनराशियां, पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता समिति से प्राप्त नहीं हुई है, हालांकि बोर्ड को पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता निधि से 1,50,400 रुपये की रकम मिली थी और यह रकम बाढ़ ग्रस्त क्षेत्रों में पीड़ित विद्यार्थियों को सुविधाएं देने के लिए विशेष रूप में और सहायता देने के लिए सामान्य रूप में खर्च की गयी।

(ग), (घ) और (ङ): पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता समिति अब काम नहीं कर रही है। परन्तु जहां तक नूतन पश्चिम बंगाल कल्याण बोर्ड का सम्बन्ध है (जो इस प्रश्न का विषय है), उपलब्ध सूचना नीचे दिये अनुसार है :–

कार्यालय अधिकारी :

अध्यक्ष : . श्री पी० सी० सेन,

संयुक्त मंत्री : . . श्री अतुल्य घोष, तथा श्री नरेश नाथ मुखर्जी।

कोई महामंत्री नहीं है।

बोर्ड के हिसाब की लेखा परीक्षा बराबर की जाती है।

(च) और (छ) : जी, हां। पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता निधि से बोर्ड को मिली सारी रकम बाढ़ग्रस्त क्षेत्रों में ही खर्च की गयी है।

पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता समिति

1792. श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आय-कर अधिकारियों को, पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता समिति द्वारा प्राप्त किये गये धन के संबंध में उनसे मांगे गये लेखे प्राप्त हो गये हैं;

(ख) क्या आय-कर अधिकारियों को लेखापरीक्षक का प्रतिवेदन उसकी टिप्पणियों तथा राय सहित प्राप्त हो गया है; और

(ग) यदि हां, तो क्या लेखों के विवरण, सहायता प्राप्त कर्ताओं की रसीदों सहित, जो कि लेखा-परीक्षकों को नहीं दिखाई गई थीं, अब सरकार को दे दिये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : राज्य सभा में 10 मार्च, 1965 को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या 387 के उत्तर में यह कहा गया था कि आयकर प्राधिकारियों को पश्चिम बंगाल बाढ़ सहायता निधि को मिली रकमों का हिसाब मांगने की हिदायतें दी गई थीं। उक्त बाढ़ सहायता निधि के बारे में हिसाब या लेखा-परीक्षक की रिपोर्ट आयकर विभाग को प्राप्त नहीं हुई है। पता चला है कि स्वर्गीय डा० बी० सी० राय ने, जो निधि के अध्यक्ष थे, सहायता कार्य समाप्त होने के बाद अपने जीवन काल में ही निधि के कार्यों को समेट दिया था और यह भी पता चला है कि उनकी मृत्यु के बाद, अब निधि के हिसाब प्राप्य नहीं हैं।

दावों की राशि का लौटाया जाना

1793. श्री श० ना० चतुर्वेदी : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अगस्त, 1965 के महीने में, आयकर विभाग द्वारा घोषित "राशि वापिस लेने का सप्ताह" में आयकर की राशि वापिस लेने के कितने दावों का निपटारा किया गया और कितनी राशि लौटाई गई;

(ख) कितने मामले अभी तक निपटाए नहीं गये; और उनमें कुल कितनी राशि वापिस मांगी गई है; और

(ग) 1 अगस्त, 1965 को ये मामले कितने समय से लम्बित पड़े थे ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) अगस्त, 1965 में आयकर विभाग द्वारा मनाये गये "रकम वापसी सप्ताह", में रकम वापसी के 19,975 दावे निपटाये गये और 2,75,86,648 रुपये की राशि वापस की गयी।

(ख) रकम वापसी के विचाराधीन दावों की संख्या 11,861 है। रकम वापसी के विचाराधीन मामलों से सम्बन्धित रकम के बारे में सूचना उपलब्ध नहीं है, क्योंकि वापसी के दावों के निपटारे के बाद ही रकम का पता लगाना है।

(ग) रकम वापसी के उन मामलों के बारे में, जो अभी भी विचाराधीन हैं, अपेक्षित सूचना इकट्ठी की जा रही है और सूचना पूरी इकट्ठी होते ही सभा पटल पर रख दी जायगी।

आपाहिज व्यक्तियों के पुनर्वास के लिये संस्थायें

1794. श्री राम हरख यादव :
श्री मुरली मनोहर :
श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का विचार चौथी योजना अवधि में अपाहिज व्यक्तियों के लाभार्थ देश के कुछ महत्वपूर्ण नगरों में नई पुनर्वास संस्थायें स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है; और

(ग) उस पर कितनी राशि खर्च होने का अनुमान है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) : ब्योरे और अनुमान विचाराधीन हैं।

ओरई नदी पर बांध

1795. श्री राम हरख यादव :

श्री मुरली मनोहर :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या राजस्थान के चितौडगढ़ जिले में ओरई नदी पर ईंट पत्थर के पक्के बांध का निर्माण कार्य आरम्भ हो चुका है ; और

(ख) परियोजना का अनुमानित व्यय क्या है और उसमें केन्द्रीय और राज्य सरकारों का क्या योग होगा ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) ओरई नदी पर चिनाई बांध के सम्बन्ध में कार्य 1963 से किया जा रहा है ।

(ख) परियोजना पर मार्च, 1965 के अन्त तक लगभग 22.30 लाख रुपये व्यय हुए । केन्द्रीय सरकार इस परियोजना के लिये निश्चित ऋण नहीं देती, किन्तु राज्य योजना में स्वीकृत स्कीमों पर धन लगाने के लिये राज्य के स्त्रोतो को दृढ़ करने के लिये राज्य सरकार को इकमुश्त विविधविकास ऋण देती है ।

चालियार नदी के पानी से बिजली तैयार करना

1796. श्री अ० व० राघवन :

श्री पोट्टेकाट्ट :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 25 मार्च, 1965 के अतारांकित प्रश्न संख्या 1589 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केरल के कालीकट जिले में चालियार नदी से पन बिजली तैयार करने से संबंधित परियोजना के लिये की जा रही जांच पड़ताल पूरी हो चुकी है; और

(ख) यदि हां, तो उसका क्या परिणाम निकला है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अभी नहीं ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

दावनगिरी में चिकित्सा कालेज

1797. श्री सिद्धया : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या मैसूर राज्य में दावनगिरि में हाल ही में आरम्भ किये गये चिकित्सा कालेज के प्राधिकारियों ने केन्द्रीय सरकार से कोई वित्तीय सहायता मांगी है; और

(ख) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं ।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता ।

Foreign Exchange Given to Sheikh Abdullah

1798. Shri Prakash Vir Shastri :
Shri Jagdev Singh Siddhanti :
Shri S. C. Samanta :
Shri M. L. Dwivedi :
Shri Subodh Hansda :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the manner in which the part of foreign exchange granted to Sheikh Abdullah and party for Haj pilgrimage, which was not utilised due to their travel being cut short, has been utilised;

(b) whether they have rendered any account to Government of the amount spent by them ; and

(c) if so, how far Government are satisfied ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) Sheikh Abdullah and party brought back a sum of Rs. 1,263/- in foreign currency being the unutilized portion of foreign exchange granted to them.

(b) They were not required to render any account to Government of the amount spent by them as it is not required under the normal regulations.

(c) The question does not arise.

विदेशी बैंको में भारतीयों के खाते

1799. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मंत्री विदेशी बैंकों में भारतीयों के खातों के बारे में 29 अप्रैल, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 1087 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) इन 14 मामलों से सम्बन्धित व्यक्तियों के नाम क्या है ;

(ख) प्रत्येक मामले का ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रत्येक मामले में हुए न्याय-निर्णय का क्या परिणाम निकला है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) से (ग) : अपेक्षित सूचना जो अनुबन्ध में दी गयी है, सभापटल पर रख दी गयी है । **[पुस्तकालय में रखा गया । देखिये संख्या अेल० टी०-4802/65 ।]**

दिल्ली में दूषित मछलियां

1800. श्री यशपाल सिंह :
श्री दी० चं० शर्मा :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगी :

(क) क्या यह सच है कि मई, 1965 में दिल्ली की नदी में पाई गई मछलियां दूषित थी;

(ख) क्या इसके कारणों की जांच की गई; है और

(ग) यदि हां, तो क्या पता चला ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली नगर निगम ने बतलाया कि मई 1965 में नदी में पाई गई मछलियों के दूषित होने के बारे में उन्हें कोई जानकारी नहीं है।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

(ग) यह प्रश्न नहीं उठता।

Gandak Project

1801. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to take over certain Major Irrigation Projects from the various States for the purpose of their execution;

(b) if so, whether the Gandak Project is also included therein ; and

(c) if so, the time by which the execution of the Gandak Project is proposed to be completed ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Centre is not contemplating taking over the execution of any Major Irrigation Projects from the State Governments.

(b) & (c). Do not arise.

Foreign Exchange

1802. Shri M. L. Dwivedi : **Shri S. C. Samanta :**
Shrimati Savitri Nigam : **Shri Subodh Hansda :**

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether a statement giving the names of private companies and persons who were granted foreign exchange for visiting foreign countries during the latter half of 1964-65 and the first half of 1965-66 will be laid on the Table;

(b) the amount of the sanctioned foreign exchange spent only on those purposes for which it was sanctioned;

(c) the amount of foreign exchange found to be misused ; and

(d) whether the control on sanctioning foreign exchange has been liberalised or is likely to be liberalised and if so, to what extent ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) It is a voluminous task to compile a list of all the private companies and of the individuals who had received foreign exchange over a period of one year. The labour involved in collecting this data is not commensurate with the results likely to be achieved.

(b) The foreign exchange sanctioned for a particular purpose can be spent only according to the conditions specified in the permit issued by the Reserve Bank and the unutilized exchange has to be surrendered to the Indian Exchange Control. It is regretted that it is not practicable to collect any specific information on this point.

(c) During the period July 1964 to June 1965 the Directorate of Enforcement adjudicated 93 cases of misuse of foreign exchange amounting to Rs. 1·8 lakhs and imposed a total penalty of Rs. 38,975.

(d) Yes, Sir. There has been some liberalisation in raising the scale of foreign exchange release allowed for business visits. Apart from this, "Export Houses" and other exporters with large volume of exports to their credit, have been given the facility of advance bulk release of foreign exchange to enable them to perform journeys at short notice and without Reserve Bank's prior approval. They too have to account for the foreign exchange spent on trips abroad.

व्यास परि योजना से हटाये गये व्यक्तियों का पुनर्वास

1803. श्री रामेश्वर टांटिया : **श्री सुबोध हंसदा :**
श्री स० चं० सामन्त : **श्री हेमराज :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री 18 फरवरी, 1965 के अतारांकित प्रश्न सं० 20 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि पोंग बांध, सतलज-व्यास सम्पर्क तथा हरिके परियोजनाओं से हटाये गये लोगों के पुनर्वास को अन्तिम रूप देने के बारे में अब तक क्या प्रगति हुई है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : राजस्थान नहर क्षेत्र में पोंग बांध, व्यास-सतलज लिंक, हरिके परियोजनाओं आदि से विस्थापित व्यक्तियों के पुन: स्थापनार्थ उपनिवेशन नीति के मुख्य सिद्धान्तों पर पंजाब और राजस्थान के मुख्य मन्त्रियों के साथ कई बैठकों में विचार विमर्श किया गया है। इस मामले की और जांच की जा रही है। इस के शीघ्र ही पश्चात, इस मामले पर राजस्थान नहर परियोजना की निदेशक समिति की एक बैठक में विचार किया जाएगा।

U. N. Special Fund

1804. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Governing Council of the U.N.O. has given large sums of money to India from the U.N. Special Fund in June last;

(b) if so, the amount received by India;

(c) the manner in which it would be spent; and

(d) the extent of the advantage likely to accrue therefrom ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) to (c). Yes. In June, 1965 the Governing Council of the United Nations Special Fund allocated a sum of $1,893,500 to meet the foreign exchange costs in respect of foreign expert services, fellowships for Indians abroad and purchase of foreign equipment and other miscellaneous expenses for the following two projects :

I. Groundwater Investigations in Madras State :

Experts	$344,100
Fellowships	$25,000
Equipment	$599,500
Miscellaneous	$81,500
TOTAL .	$1,050,100

II. National Institute of Foundry and Forge Technology, Ranchi :

Experts	$345,000
Fellowships	$70,000
Equipment	$350,000
Miscellaneous . . .	$78,400
TOTAL .	$843,400
GRAND TOTAL .	$1,893,500

(d) The purpose of the project for groundwater investigations in Madras State is to investigate and evaluate the groundwater potentialities in the area in and around Madras city and in three other specific regions in the Madras State with a view to establishing an optimum and economical development plan for groundwater resources in these regions. The National Institute of Foundry and Forge Technology at Ranchi would provide specialised training facilities in the branches of foundry and forge technology to foremen, instructors, technicians and engineers to meet the growing needs of the Indian industry in this field.

Gandak Project

1805. Shri Bibhuti Mishra :
Shri K. N. Tiwary :
Shri N. P. Yadab :

Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that there is a proposal under consideration to extend the region administered by the Gandak Project to the areas of Daka and Ghorasahan Thanas in Champaran District (Bihar);

(b) if so, when the decision is likely to be taken;

(c) the additional accrage of land likely to be irrigated as a result thereof; and

(d) the extent of additional economic prosperity likely to be achieved by this project ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) The Don Branch canal of the Gandak Project is being constructed to serve this area also.

(b) Does not arise.

(c) The scheme is expected to bring an additional area of 1·7 lakh acres of land under irrigation.

(d) An annual yield of 90 lakh maunds of food crops and 14 lakh maunds of cash crops valued at approximately Rs. one crore is expec ted from this area.

कुष्ठ रोग निदान केन्द्र

1806. **श्री विश्वनाथ पाण्डेय :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) उत्तर प्रदेश में इस समय कितने कुष्ठ रोग निदान केन्द्र चल रहे हैं ;

(ख) इन केन्द्रों में कितने रोगियों के लिए व्यवस्था की गई है; और

(ग) 1964-65 में इन केन्द्रों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा ऋण अथवा अनुदान के रूप में कुल कितनी राशि दी गई थी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) इस समय उत्तर प्रदेश में राष्ट्रीय कुष्ठ रोग निदान कार्यक्रम के अन्तर्गत 11 कुष्ठ रोग निदान केन्द्र चल रहे हैं। इनके अतिरिक्त कुष्ठ रोग निदान कार्यक्रम में तीन ऐच्छिक अभिकरण भी भाग ले रहे हैं।

(ख) सामान्यतः एक कुष्ठ रोग निदान केन्द्र 1.5 लाख जनसंख्या को संभालता है। हर केन्द्र में औसतन 2000 रोगियों का उपचार होता है।

(ग) कुष्ठ रोग निदान योजना स्वास्थ्य मंत्रालय की एक केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजना है। केन्द्रीय सहायता प्राप्त योजनाओं के लिये निधि का आवंटन योजना-वार नहीं होता बल्कि हर वर्ष के अन्त में बडे वर्गों अथवा योजनाओं की श्रेणियों के लिये सहाय्य-अनुदान मंजूर किया जाता है। 1964-65 में उत्तर प्रदेश सरकार को सभी केन्द्रीय सहायता-प्राप्त योजनाओं के लिये, जिन में "कुष्ठ रोग निदान" योजना भी शामिल है, 141.21 लाख रुपये का एक मुश्त अनुदान मंजूर किया गया है। हालांकि 1964-65 में उत्तर प्रदेश सरकार द्वारा कुष्ठ रोग के निदान के लिये की गयी अनुदान की ठीक राशि के बारे में जानकारी उपलब्ध नहीं है। राज्य सरकार ने कथित वर्ष के लिये राज्य में कुष्ठ रोग निदान कार्यक्रम के विस्तार के लिये 2.94 लाख रुपये का उपबंध किया है। कुष्ठ रोग निदान कार्यक्रम के लिये केन्द्रीय सहायता के निर्धारित तरीके के अनुसार राज्य सरकार योजना पर खर्च की गयी अनावर्ती धनराशि का 75 प्रतिशत और आवर्ती व्यय का 50 प्रतिशत ले सकेगी।

इसके अतिरिक्त 1964-65 में राज्य में चल रही ऐच्छिक कुष्ठ रोग निदान संस्थाओं को सीधे 55,573 रुपये का अनुदान दिया गया।

Najafgarh Drain Water (Delhi)

1807. **Shri D. N. Tiwary :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether any research work has been undertaken in collaboration with the Central Water and Power Commission in regard to the proposal to utilise the water from the Najafgarh drain to meet the requirements of Delhi ;

(b) if so, the time by which this investigation will be completed ; and

(c) its financial implications ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) The proposal to utilise the water of Najafgarh Lake to augment the water-supply of Delhi, is being examined by the Central Water and Power Commission in consultation with the Municipal Corporation of Delhi.

(b) The investigation is likely to be completed in about a year, and

(c) This will be worked out if the proposal is found feasible.

Loan from U.S.A. for furchasing non-Ferrous Metals

1808. Shri Onkar Lal Berwa : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that an agreement has been concluded for obtaining a loan from U.S.A. for the purchase of non-ferrous metals ; and

(b) if so, the broad outlines thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) & (b). The imports of non-ferrous metals from U.S.A. are arranged against the AID non-project loans under which a large number of commodities are eligible for financing, including non-ferrous metals. The latest non-project loan Agreement for $ 190 million (Rs. 90·5 crores) was signed on June 17, 1965. It is available for financing the acquisition and importation of a wide range of commodities including non-ferrous metals from U.S.A. The loan is repayable over a period of 40 years, with a 10 years grace period, carrying an interest of 1% per annum in the first 10 years and 2½% thereafter.

Thermal Power Plant

1809. Shri Vishwa Nath Pandey : Will the Minister of **Irrigation** and **Power** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to instal the biggest thermal power plant in India;

(b) if so, where and when it would be installed;

(c) the generating capacity of the plant;

(d) the total expenditure involved on this project; and

(e) the names of States to be benefited by this project ?

The Minister of Irrigation and Power (Dr. K. L. Rao) : (a) (b). The question of installation of a large Thermal Power Station at Badarpur near Delhi during the Fourth Plan Period is, however, under consideration of the Government of India. This will not be the biggest power station of its kind in India.

(c) The generating capacity of the station will be about 375 MW initially and may be increased later. The plant will comprise 3 units of 120/125 MW each initially.

(d) Rs. 40 crores approximately.

(e) The project will be a regional station in the Northern region benefiting Punjab, Western U.P., Rajasthan and Delhi.

शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम

1810. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती : **श्री हेडा :**
श्रीमति सावित्री निगम : **श्री दी० चं० शर्मा :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार शहरी सामुदायिक विकास कार्यक्रम के मार्गदर्शन क्रियान्विति के लिये एक केन्द्रीय समन्वय समिति स्थापित कर रही है;

(ख) क्या कार्यक्रम का राज्यवार नियतन, उसका वार्षिक लक्ष्य और उस पर होने वाले व्यय सम्बन्धी ब्यौरे तैयार कर लिये गये हैं और राज्यों को बताये जा चुके हैं;

(ग) राज्यों को कितनी वित्तीय सहायता दी जायेगी; और

(घ) क्या राज्य सरकारों से कह दिया गया है कि वे उन शहरों और क्षेत्रों को चुन लें, जहां कार्यक्रम को क्रियान्वित करना है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां । समिति को अधिसूचित कर दिया गया है ।

(ख) चालू वित्तीय वर्ष में 20 प्रमुख योजनाओं का काम हाथ में लेने का निर्णय किया गया है । अब तक 10 राज्यों और 3 संघ राज्य-क्षेत्रों को राज्य-वार आवंटन के बारे में बता दिया गया है । कोई वार्षिक लक्ष्य निर्धारित नहीं किये गये हैं । राज्य सरकारों/संघ राज्य-क्षेत्रों को वित्तीय परिणामों के बारे में बता दिया गया है ।

(ग) इस योजना के अधीन वित्तीय सहायता का तरीका निम्न प्रकार होगा :

1. परियोजनाओं के कर्मचारी, आवास आदि पर व्यय :

भारत सरकार आधा खर्च देगी और आधा खर्च राज्य सरकार और भाग लेने वाले स्थानीय निकाय द्वारा संयुक्त रुप से दिया जायगा लेकिन यह पहली परियोजना के लिये 47,800 रुपये और बाद की परियोजनाओं के लिये, जिन पर कोई भी राज्य सरकार कार्य करे, 40,000 रुपये से अधिक नहीं होगा ।

2. स्थानीय कार्यक्रमों पर व्यय :

स्थानीय कार्यक्रमों पर व्यय का 50 प्रतिशत केन्द्रीय सरकार और राज्य सरकारों/भाग लेने वाले स्थानीय निकायों द्वारा बराबर बराबर वहन किया जायेगा और इतना ही अंशदान जनता करेगी । इस मद पर कुल व्यय का अनुमान 30,000 रुपये लगाया गया है । यह उपबन्ध उन स्थानीय योजनाओं के लिये है जो सामान्य विभागीय बजट में शामिल नहीं होती ।

3. प्रशिक्षण आदि पर व्यय :

प्रशिक्षण, अनुसन्धान और मूल्यांकन का सारा व्यय भारत सरकार करेगी ।

प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षण की अवधि के दौरान रहने, खाने और प्रासंगिक व्यय के लिये 150 रुपये प्रति मास की अधिक छात्रवृत्ति दी जाएगी । उनको निवास-स्थान से प्रशिक्षण के स्थान तक जाने और वहां से वापस अपने निवास-स्थान पर आने के लिये उपयुक्त यात्रा-भत्ता भी दिया जाएगा । तथापि, मौजूदा सरकार अथवा स्थानीय निकायों के कर्मचारीयों, जो प्रशिक्षण के लिये चुने जायेंगे, का वेतन सम्बन्धित राज्यों में परियोजना बजट खाते में लिखा जायेगा ।

4. संघ राज्य क्षेत्रों में परियोजनाएं :

संघ राज्य क्षेत्रों में लगायी जानेवाली प्रमुख परियोजनाओं पर कुल व्यय भारत सरकार देगी ।

(घ) जी, हां ।

औद्योगिक ऋण तथा नियोजन निगम

1811. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्री प्र० चं० बरुआ :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने पश्चिम जर्मनी से ऋण के रूप में कुछ और राशि प्राप्त की है;

(ख) भारतीय औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने आरम्भ होने से लेकर अब तक विश्व बैंक, अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकरण तथा पश्चिम जर्मनी समेत अन्य देशों से ऋण के रूप में कुल कितनी राशि प्राप्त की है; और

(ग) देश की औद्योगिक इकाइयों को ऋण के रूप में कुल कितनी राशि दी गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां । पश्चिम जर्मनी ने भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम में 2 करोड़ डी० एम० के ऋण का प्रस्ताव किया है ।

(ख) उपरोक्त रकम समेत भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने अभीतक 1450 लाख अमरीकी डालर (विश्व बैंक से और अमरीकी सहायता से) और पश्चिम जर्मनी से 6 करोड़ डी० एम० के ऋण लिये हैं ।

(ग) भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने 31-7-1965 तक भारत में उद्योगों को, उपरोक्त विदेशी ऋण में से, विश्व बैंक और अमरीकी ऋण में से 610 लाख डालर और पश्चिम जर्मनी से प्राप्त ऋण में से 153.3 लाख डी० एम० दिये हैं । रुपया-संसाधनों से भारत के औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम ने भारत में उद्योगों को 31-12-1964 तक 29.53 करोड़ रुपये दिये हैं ।

गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक (आई० यू० सी० डी)

1812. श्री प्र० रं० चक्रवर्ती :

श्रीमती सावित्री निगम :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या केन्द्रीय सरकार ने राज्य सरकारों को यह मन्त्रणा दी है कि जच्चाघरों, प्रसवोत्तर क्लिनिकों और अन्य संस्थाओं द्वारा परिवार नियोजन के क्रैश प्रोग्राम के रूप में 50 प्रतिशत मामलों में गर्भाशयान्तर गर्भनिरोधक (आई० यू० सी० डी०) के इस्तेमाल के लिये प्रयत्न किये जायें;

(ख) क्या प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों में इन गर्भनिरोधकों को चाल करने के लिये राज्य-स्वास्थ्य सेवाओं के डाक्टरों और नर्सों के चलते-फिरते दलों के दौरे आयोजित करने की व्यवस्था की गई है ; और

(ग) क्या इस कार्यक्रम को चलाने के लिये प्रत्येक राज्य में एक विशेष प्रशिक्षण प्राप्त अधिकारी भेजा गया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, नहीं। लेकिन तत्काल सेवा की आवश्यकताओं को पूरा करने और राज्यों के लिये प्रशिक्षार्थियों को प्रशिक्षित करने के लिये 6 प्रान्तीय प्रशिक्षण केन्द्रों में राज्य सरकारों के डाक्टरों के प्रशिक्षण के लिये व्यवस्था की गई है। तथापि अधिकांश प्रशिक्षण राज्य सरकारों द्वारा स्वयं दिया जाएगा।

'इलेक्ट्रानिक कम्प्यूटर'

1813. **श्री इन्द्रजीत गुप्त :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या जीवन बीमा निगम, भारत के राज्य बैंक तथा गैर-सरकारी क्षेत्र की कुछ कम्पनियों द्वारा प्रयोग किये जाने के लिये, स्वचलित कम्प्यूटर मशीनों का आयात करने की अनुमति देने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो इस प्रयोजन के लिये कितनी विदेशी मुद्रा स्वीकृत की गई है; और

(ग) ऐसी कितनी मशीनों के आयात के पर्मिट मांगे गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) तुरन्त प्रेषण के लिये विदेशी मुद्रा की कोई मंजूरी नही दी गई है और सप्लाई कम्पनियों अथवा इनकी सहायक कम्पनियों द्वारा निर्मित गणनायंत्रों के निर्यातसे अर्जित की गई अतिरिक्त विदेशी मुद्रा के 50 प्रतिशत तक भुगतान करने के अतिरिक्त इन मशीनों के बेचने अथवा भाड़े पर चढ़ाने से अर्जित राशि 10 वर्ष की अवधि के लिये नहीं भेजी जायेगी।

(ग) 21 मशीनों के लिये आयात लाइसेंस मांगे गये हैं।

चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षिण के लिये पंजाब को दी गई राशि

1814. **श्री दलजीत सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 1964-65 और 1965-66 में चिकित्सा सम्बन्धी शिक्षा तथा प्रशिक्षण शीर्षक के अन्तर्गत केन्द्र द्वारा प्रायोजित योजनाओं के लिये पंजाब सरकार को कुल कितनी राशि दी गई है; और

(ख) राज्य में यह राशि किन योजनाओं पर खर्च की गई है।

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) 1964-65 में 13.08 लाख रुपये (स्थायी रूप से) तथा 1965-66 में 20.46 लाख रुपये (नियत)।

(ख) (एक) "चंडीगढ़ में स्नातकोत्तर संस्था" ; और (दो) आपात के कारण दाखिलों में वृद्धि हो जाने के सम्बन्ध में चिकित्सा कालेजों का विस्तार।

दिल्ली की सरकारी बस्तियों से अनधिकृत कब्जाधारियों का हटाया जाना

1815. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **निर्माण** और **आवास** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि दिल्ली की कुछ सरकारी बस्तियों में अभी तक बड़ी संख्या में अनधिकृत कब्जाधारी लोग बैठे हुए हैं; और

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार इन बस्तियों से उन लोगों को निकालने के लिये प्रभावी कार्यवाही करने का विचार करती है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : अभी भी सरकारी बस्तियों में लगभग 5,350 परिवार अनधिकृत-कब्जा लिए बैठे हैं। दिल्ली प्रशासन के द्वारा संबंधित प्राधिकृत भू-स्वामियों की सलाह से सरकारी भूमि से अनधिकृत कब्जाधारियों को हटाने के लिए हर महीने सैक्टरों के अनुसार सफाई कार्यक्रम बनाया जाता है। भूमि के उपयोग के अनुसार क्षेत्र की सफाई के लिए प्राथमिकता का निर्णय किया जाता है।

विदेशी समवाय

1816. **श्री मुहम्मद कोया :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विदेशी स्वामित्व वाले निगमित निकायों से ऊंची दर पर कर लिया जाता है; और

(ख) क्या ब्रिटेन में भारतीय समवायों पर भी ऊंची दर पर कर लगाया जाता है ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) जिन विदेशी कंपनियों ने भारत में ही लाभांश की घोषणा करने और अदायगी करने का निर्धारित प्रबंध कर रखा है, उन पर आयकर उन्हीं दरों पर लगाया जाता है, जिन दरों पर भारतीय कंपनियों पर। परन्तु जिन कंपनियों ने ऐसा प्रबंध नहीं कर रखा है, उन पर आयकर, उनकी आय के कुछ वर्गों की छोड़ कर ऊंची दर पर लगाया जाता है। इस प्रकार, प्राथमिकता-प्राप्त अथवा मूल उद्योग में लगी प्राइवेट अथवा ऐसी भारतीय कंपनी से, जिसमें अधिकांश हिस्से सर्वसाधारण के न हों, ऐसी कंपनियों को मिलने वाली लाभांश पर कर नीची दर पर लगाया जाता है। ऐसी कंपनियों को, केन्द्रीय सरकार द्वारा स्वीकृत कुछ करारों के अधीन प्राप्त स्वामित्व तथा तकनीकी सेवा फीस से होने वाली उनकी आमदनी के सम्बन्ध में भी कर की दरों में कुछ रियायत उपलब्ध है।

(ख) संयुक्त राज्य में सम्मिलित कर व्यवस्था में हाल ही में आमूल परिवर्तन हुए हैं और इस बारे में अधिकृत सूचना अभी तक उपलब्ध नहीं है।

Excess Payments made by C.P.W.D.

1817 **Shri Hukam Chand Kachhavaiya :** Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that excess payments amounting to Rs. 4·81 lakhs were made by the Central Public Works Department during the period from April, 1963 to March, 1964; and

(b) if so, the reasons therefor?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the Table of the House in due course.

तूतीकोरिन में तापीय बिजलीघर

1818. **सेझियान :** **श्री नरेन्द्र सिंह महीड़ा :**

श्री राम हरख यादव : **श्री मुथिया :**

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या तूतीकोरिन में एक तापीय बिजलीघर के निर्माण के लिये किसी गैर-सरकारी उद्योगपति ने सरकार को प्रस्ताव भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो प्रस्तावित योजना के पूंजी परिव्यय, इस की क्षमता और इस पर व्यय होने वाली विदेशी मुद्रा का ब्यौरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : एक प्राईवेट उद्योगपति ने मद्रास सरकार को 2683.11 लाख रुपये की अनुमित लागत पर तूतीकोरिन में 250 मैगावाट के केन्द्र को निर्मित करने की आफर दी है।

Shortage of Drinking Water in Bihar

1819. **Shri Bibhuti Mishra :** Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the wells and tanks dried up almost in all the villages in Bihar with the result that the people and the cattle had to face acute water crisis in May and June this year; and

(b) if so, the measures being taken by Government for solving this water crisis ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar: (a) and (b). The information is being collected from the State Government and will be laid on the Table of Sabha when received.

सोने का भाव

1820. **श्री हरिश्चन्द्र माथूर :**

श्री हेडा :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) सभा में स्वर्ण नियंत्रण विधेयक पर चर्चा होने के पश्चात् सोने के भाव में कितनी वृद्धि हुई है; और

(ख) वर्तमान ऊंचे भाव, सोने के मूल्य पर स्वर्ण नियंत्रण के लाभदायक प्रभावों संबंधी सरकारी निष्कर्षों से कैसे मेल खाते हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) 24 दिसम्बर 1964 को जब स्वर्ण (नियंत्रण) विधेयक लोक सभा द्वारा पास किया गया, 24 कैरेट शुद्ध 10 ग्राम सोने का भाव बम्बई बाजार में 118 रुपये के आसपास बताया जाता था। भाव का यह स्तर, कम ज्यादा, मार्च 1965 तक कायम रखा गया।

उसके बाद भाव ऊपर चलने लगा और 25 जून को 143 रुपये तक पहुंच गया। बाद में भाव में गिरावट हुई, और 3 सितम्बर 1965 को 125 रुपये का भाव बताया गया।

(ख) स्वर्ण नियंत्रण का मूल उद्देश्य सीमा शुल्क अधिनियम के तस्कर व्यापार निरोधक उपबन्धों की अनुपूर्ति करना है। इसके परिणाम का निष्कर्ष केवल सोने के भाव को देखकर नहीं निकाला जा सकता।

आय निर्धारण

1821. **श्री हेडा** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 5,000 रुपए वार्षिक से कम आय वाले व्यक्तियों की संख्या कितनी है तथा 5,000 से 10,000 रुपए वार्षिक तक की आय वाले लोगों की संख्या कितनी है; और

(ख) क्या आय-निर्धारण के काम पर होने वाले व्यय का कोई अनुमान लगाया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) आयकर रेकार्ड के मुताबिक, 31-3-1965 को स्थिति नीचे लिख अनुसार थी :—

वार्षिक 5,000 रु० से कम आय वाले व्यक्ति . .	9,42,952
वार्षिक 5,000 रु० और 10,000 के बीच आय वाले व्यक्ति	8,13,148

(ख) इस प्रश्न का अलग से अध्ययन नहीं किया गया है, परन्तु कर-निर्धारण में होने वाले व्यय को हमेशा ध्यान में रखा जाता है।

संतति निरोध संबन्धी अध्ययन

1822. **श्री हेडा :**

श्री दी० चं० शर्मा :

श्री यशपाल सिंह :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय सांख्यिकीय संस्था, कलकत्ता के जनांकिकी (डैमोग्राफी) एकक ने जनन-क्षमता तथा उसके नियन्त्रण के बारे में कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो उसकी मुख्य सिफारिशें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) कोई सिफारिशें नहीं की गई हैं, क्योंकि यह अध्ययन तथ्य-प्राप्ति के स्वरूप का था। इस अध्ययन के मुख्य निष्कर्ष इस प्रकार के हैं :—

(एक) जनन-क्षमता का सामान्य तरीका यह है कि जीवन-स्तर के साथ पहले इस में वृद्धि होती है और चरम सीमा तक पहुंचने के पश्चात जीवन-स्तर बढ़ जाने के साथ इस में ह्रास हो जाता है।

(दो) जनन-क्षमता का निश्चय ही जीवन-स्तर से सम्बन्ध है और आर्थिक विकास के साथ इस में अन्ततोगत्वा ह्रास हो जाता है।

(तीन) प्रत्येक 1,000 व्यक्तियों के पीछे प्रतिवर्ष 7 दम्पत्तियों का अनुर्वरीकरण करने से 10 वर्षों के दौरान जन्म-दर में 20 प्रतिशत कमी होगी परन्तु प्रति 1,000 व्यक्तियों के पीछे 14 व्यक्तियों का अनुर्वरीकरण करने से 10 वर्षों में जन्म-दर में 40 प्रतिशत कमी होगी।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

विदेशी ऋण

1823. श्री अ० ना० विद्यालंकार : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या उनका ध्यान लन्दन में राष्ट्रमण्डलीय प्रधान मंत्री सम्मेलन में प्रधान मंत्री द्वारा दिये गये भाषण की ओर आकर्षित किया गया है, जिसमें उन्होंने विदेशी वित्तीय सहायता को विनियोजन ऋणों अथवा सामान्य वाणिज्यिक ऋणों से भिन्न बताया है तथा इन ऋणों को प्राप्त करने वाले देशों के दृष्टिकोण से दोनों के अन्तर की व्याख्या की थी; और

(ख) क्या प्रधान मंत्री द्वारा बताई गई स्पष्टत: विभाजित दो श्रेणियों में पृथक् पृथक् भारत द्वारा प्राप्त सभी विदेशी ऋणों तथा पृथक् पृथक् उनकी कुल राशि की एक सूची सभा पटल पर रखी जायेगी ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) प्रधान मंत्री ने कहा था कि सच्चे अर्थों में सहायता वही है जो रियायती अवधि, वापसी अदायगी की अवधि, व्याज की दर और उपयोग के क्षेत्र के सम्बन्ध में सामान्य वाणिज्यिक ऋणों की अपेक्षा बहुत अधिक उदार शर्तों पर दी जाय।

(ख) यद्यपि अतीत में, वाणिज्यिक कही जाने वाली शर्तों के आधार पर दिये जाने वाले ऋणों का अनुपात कुछ अधिक था, फिर भी, भारत सरकार को इस समय जो ऋण दिये जा रहे हैं या जिन्हें वह स्वीकार कर रही है उनकी शर्तें आम तौर पर अधिक अच्छी हैं। यद्यपि कुछ ऋणों की शर्तें दूसरे ऋणों के मुकाबले बहुत अधिक उदार हैं—और दोनों में अन्तर किस्म की बजाय मात्रा का है—लेकिन माननीय सदस्य ने जो तरीका बताया है उसके अनुसार इनका वर्गीकरण करना सम्भव नहीं है। सभी ऋणों की शर्तों का पूरा ब्योरा "विदेशी सहायता" नामक प्रकाशन में प्रतिवर्ष संसद के लिए प्रस्तुत किया जाता है जिसकी प्रतियां सभा के पुस्तकालय में मिल सकती हैं।

Jhuggi Dwellers in New Delhi

1824. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government propose to remove the Jhuggi dwellers from Madangir, Naraina, Rajouri Gardens and Wazirpur where they have been settled;

(b) if so, whether any compensation will be paid to them for the houses they have constructed; and

(c) if not, the reasons therefor ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). The Jhuggis and Jhopris Removal Scheme provides for the removal of squatters from Government and public lands to 25 square yard plots in the first instance as an *ad interim* measure and thereafter for allotment of 80 square yard plots or tenements to eligible categories for long term settlement. Those squatters who have already been allotted 80 square yard plots or tenements will

not be disturbed. But those who have been allotted 25 square yard plots will be given allotments of 80 square yard plots or tenements in due course, subject to eligibility, and will be required to move to them.

Construction of Houses in Delhi

1825. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government are considering a proposal to construct new residential houses in and nearabout South Delhi;

(b) if so, for whom they will be constructed; and

(c) the number of houses to be constructed and the approximate cost of construction ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) to (c). Apart from the Ramakrishnapuram colony which is under development, it is proposed to develop certain other areas in South Delhi. On the land expected to become available, about 20,000 residential units for Central Government employees can be built. It is difficult to give the cost of construction at this stage. This will only be known when the construction is taken in hand and the rates prevailing at the time. Again it may be pointed out that the programme will have to be spread out over a number of years.

विजय चौक तथा इंडिया गेट (नई दिल्ली) के बीच का स्थल (पिआजा)

1826. श्री डा : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विजय चौक और इंडिया गेट के बीच के सुन्दर स्थल (पिआजा) को सुरक्षित रखने का निश्चय किया गया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके लिये सरकार ने क्या उपाय किये हैं ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : सरकार ने निर्णय किया है कि राजपथ के दोनों ओर केन्द्रीय वीथीका में राष्ट्रीय रंगशाला के अतिरिक्त, जिसको राजपथ, जनपथ, डा० राजेन्द्र प्रसाद सड़क तथा मान सिंह सड़क द्वारा अन्तर्विष्ठ भूमि के भू-भाग पर बनाने का प्रस्ताव है, और कोई इमारत नहीं बनाई जायेगी। विजय चौक तथा इण्डिया गेट के बीच अन्य सभी खुले स्थानों को हरे क्षेत्रों के रूप में रखा जायेगा।

राज्य परियोजनाओं के लिये केन्द्रीय सहायता

1827. श्री विद्याचरण शुक्ल :
श्री अ० सिं० सहगल :
श्री ज्वा० प्र० ज्योतिषी :
श्री वाडीया :
श्री चाण्डक :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत सरकार बरना और हलाली सिंचाई परियोजनाओं को चलाने के लिये चाल वर्ष में; राज्य योजना में नियत राशि के अतिरिक्त और केन्द्रीय सहायता देने के प्रस्तावों पर विचार कर रही है; और

(ख) यदि हां, तो उसका ब्योरा क्या है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

भारतीय हाकी टीम की ओलम्पिक खेलों से पहले की यात्रा

1828. **श्री बासप्पा :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारतीय हाकी संघ ने, जिसने पिछले वर्ष ओलम्पिक खेलों से पहले न्यूजीलैण्ड तथा कुछ अन्य देशों की यात्रा से लगभग 10,000 पौण्ड कमाये थे समेकित हिसाब नहीं भेजा है; और

(ख) यदि हां, तो इस मामले में क्या कार्यवाही की गई है अथवा करने का विचार है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णम्माचारी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

बवाना एस्केप (दिल्ली)

1829. **श्री यशपाल सिंह :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि पंजाब सरकार द्वारा बवाना एस्केप को गहरा और चौड़ा करने से इन्कार करने के कारण दिल्ली के गांवों में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं; और

(ग) स्थिति में सुधार करने के लिए क्या उपाय किये गये हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

राजस्व विभाग के कर्मचारियों के लिये सरकारी मकान

1830. **श्री म० ना० स्वामी :**

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गृह-कार्य मंत्रालय ने संतानम् समिति द्वारा की गई सिफारिशों के अनुसार यह सुझाव दिया है कि ईमानदारी कायम रखने के लिये, सरकारी कर्मचारियों को सरकारी बस्तियों में मकान दिये जाने चाहियें;

(ख) क्या सरकार को इस बात का पता है कि आय-कर, सीमा शुल्क तथा उत्पादन शुल्क प्रभृति विभागों के कर्मचारियों को यदि बम्बई तथा कलकत्ता जैसे बड़े शहरों में अपने लिये मकान का स्वयं बन्दोबस्त करने के लिये बाध्य किया जायेगा तो वे मालिक मकानों के प्रभाव में आ सकते है; और

(ग) यदि हां, तो ऐसे कर्मचारियों के लिये मकानों का बन्दोबस्त करने के लिये सरकार ने क्या कार्यवाही की है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) राजस्व विभाग ने सन् 1952 से एक क्रमशः निर्माण कार्यक्रम शुरु किया था। राजस्व विभाग तथा उसके कर्मचारियों के लिए अधिक मकान बनवाने के लिए लगभग 3 करोड़ रुपये की लागत का एक निर्माण-कार्यक्रम 1959 में स्वीकृत किया गया था और 5 करोड़ रुपये का दूसरा कार्यक्रम 1962 में स्वीकृत किया गया था। आपत्काल तथा फंड की कमी से उत्पन्न परिस्थितियों के कारण इस कार्यक्रम को अभी पूरा नहीं किया जा सका है। सिद्धान्त स्वीकार कर लेने से राजस्व अधिकारियों को सरकारी मकान, जब भी तैयार हो सकेंगे, दिये जायेंगे।

दिल के दौरे के कारण मृत्यु

1831. श्री म० ना० स्वामी :

श्री लक्ष्मी दास :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जुलाई, 1965 के अन्त तक दिल के दौरे के कारण कुल कितने व्यक्तियों की मृत्यु हुई;

(ख) पिछले वर्षों की इसी अवधि की तुलना में ये आंकड़े कम हैं या अधिक;

(ग) इस रोग के निदान की औषधि ढूंढने के हेतु अनुसन्धान कराने की क्या कार्यवाही की गई है;

(घ) इस कार्य पर कितने वैज्ञानिक लगाये गये हैं तथा इस पर प्रति वर्ष कितना व्यय होता है; और

(ङ) क्या विश्व में कहीं भी इस रोग के निदान की कोई औषधि उपलब्ध है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : सूचना एकत्र की जा रही है और एकत्र होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी।

(ग) विभिन्न औषधियों तथा हृदय रोग के अन्य पहलुओं के बारे में क्लीनिकी अंकन और अनुसंधान का काम चल रहा है। भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् नगरों तथा ग्रामों में इस्कयेमिक हृदय रोग की घटनाओं का अध्ययन कर रही है।

इस परिषद् ने सन्धिवातीय हृदय रोगों के परिक्षणों के लिए धन भी उपलब्ध कर लिया है।

(घ) यह सूचना तुरन्त उपलब्ध नहीं है। फिर भी विभिन्न संस्थाओं के चिकित्सा, हृदय रोग विज्ञान तथा अन्य विभागों से सम्बद्ध सामान्य कर्मचारियों द्वारा तथा उनकी अनुसंधान छात्रों की सहायता से भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद् द्वारा यह कार्य किया जा रहा है। भारतीय अनुसंधान परिषद् ने चालू वित्तीय वर्ष में कौरोनरी हृदय रोगी के विभिन्न पहलूओं पर 19 योजनाएं मंजूर की है जिनके लिए कुल 1,83,780 रुपये का बजट है।

(ङ) इस रोग की रोकथाम और उपचार के लिए विश्व में अनेक औषधियां प्रयुक्त हो रही है किन्तु अभी तक कोई निश्चित उपचार उपलब्ध नहीं है।

कुम्भ मेला

1832. **श्री रघुनाथ सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि इलाहाबाद में 1966 में होने वाले कुम्भ मेले के लिये केन्द्रीय सरकार उत्तर प्रदेश सरकार को क्या सहायता देगी ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : जानकारी इकट्ठी की जा रही है और ज्योंही वह प्राप्त हो जायेगी त्योंही वह सभा पटल पर रख दी जायेगी ।

महाराष्ट्र में पीने के पानी की व्यवस्था

1833. **श्री मा०.ल० जाधव :**
श्री जेधे :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को मालूम है कि महाराष्ट्र राज्य के ग्रामीण क्षेत्रों में पीने के पानी की भारी कमी है;

(ख) क्या बहुत सी पाइप-जल सम्भरण योजनाएं तकनीकी कर्मचारियों तथा पर्याप्त धन की कमी के कारण रुकी पड़ी हैं; और

(ग) महाराष्ट्र राज्य में पीने के पानी की कमी को दूर करने के लिये सरकार का क्या कार्यवाही करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां । इस राज्य के जल की कठिनाई और अभाव वाले क्षेत्रों में स्थित गांवों में पेय जल की कमी है ।

(ख) और (ग) : राज्य सरकार से सूचना मंगाई गई है जो प्राप्त होने पर सभा-पटल पर रख दी जायेगी ।

पश्चिम बंगाल में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता

1834. **श्री स० मो० बनर्जी :** क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि यद्यपि पश्चिमी बंगाल में प्राथमिक शिक्षा निःशुल्क नहीं है, फिर भी वहां पर केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को शिक्षा भत्ता नहीं दिया जाता;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस विषमता को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : वर्तमान आदेशों के अनुसार 600 रुपये प्रतिमास तक वेतन पाने वाले सरकारी कर्मचारियों द्वारा अपने बच्चों की, मान्यता प्राप्त मिडिल और हाईस्कूलों या हायर सेकेण्डरी स्कूलों में, शिक्षा के लिए देय और वास्तव में दी गयी शिक्षण-फीस की वापसी की जाती है । चूंकि उपलब्ध सूचना के अनुसार सभी राज्यों में प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क थी, इसलिए फीस की वापसी के लिए इस प्रकार की शिक्षा को शामिल नहीं किया गया था । अब पूछ-ताछ करने से पता चला है कि पश्चिम बंगाल के ग्रामीण क्षेत्रों में तो प्राइमरी शिक्षा निःशुल्क है लेकिन नगर-पालिका क्षेत्रों में सहायता प्राप्त तथा सहायता न पाने वाले प्राइमरी स्कूल और सरकारी सेकेण्डरी स्कूलों के प्राइमरी अनुभाग कुछ शिक्षण-फीस लेते हैं ।

(ग) मामले की फिर से जांच की जा रही है ।

सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट निचला पुल

1835. श्री कपूर सिंह : **श्री प्र० के० देव :**
श्री गुलशन : **श्री नरसिम्हा रेड्डी :**
श्री सोलंकी : **श्री रघुनाथ सिंह :**

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नई दिल्ली में सफदरजंग हवाई अड्डे के निकट वर्तमान रेलवे फाटक के स्थान पर एक निचला पुल बनाने का निर्णय किया गया है;

(ख) यदि हां, तो उस पर कितनी लागत आयेगी;

(ग) कार्य कब आरम्भ किया जायेगा; और

(घ) कार्य कब तक पूरा होगा ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, हां।

(ख) लगभग 11.00 लाख रुपये।

(ग) कार्य को अक्तूबर, 1965 में आरम्भ किये जाने की सम्भावना है।

(घ) पुल के पूरा हो जाने की नियत तिथि दिसम्बर, 1966 है।

राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन

1836. श्री रघुनाथ सिंह : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि राष्ट्रमण्डलीय वित्त मंत्रियों का सम्मेलन पहली बार ब्रिटेन से बाहर किंगस्टन में 23 सितम्बर, 1965 को होने जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो क्या भारत उस सम्मेलन में भाग लेगा ?

वित्त मंत्री (ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) जी नहीं। इस तरह के सम्मेलन ब्रिटेन से बाहर कई स्थानों पर हो चुके हैं। ये सम्मेलन आकरा, वाशिंग्टन और कुआलालम्पूर में क्रमशः सितम्बर, 1961, 1962 और 1964 में हुए थे।

(ख) जी, हां।

Jhuggi Dwellers near Chanakyapuri, New Delhi

1837. Shri Bagri : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jhuggi dwellers near Chanakyapuri Colony in New Delhi are living in unhygienic conditions and without basic civic amenities like, light and proper sanitation and drainage arrangements, lack of which may result in the out-break of cholera; and

(b) if so, the action taken by Government in the matter particularly with a view to minimise the danger of cholera out-break ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) No, Sir.

(b) The question does not arise.

हिंदुस्तान हाउसिंग फैक्टरी

1838. **महाराजकुमार विजय आनन्द :** क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या गैर-सरकारी लोगों तथा अन्य सरकारी विभागों की मांगों का अनुमान लगाने के लिये कोई सर्वेक्षण किया गया है ताकि हिन्दुस्तान हाउसिंग फैक्टरी का रासायनिक शोधन संयंत्र पूरी क्षमता पर चलाया जा सके क्योंकि ऐसा न करने से लगातार भारी वित्तीय हानि हो रही है; और

(ख) यदि हां, तो उस सर्वेक्षण का क्या परिणाम निकला है ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) और (ख) : जी नहीं। सरकारी विभागों के साथ ही गैर-सरकारी पार्टियों से व्यापार आकर्षित करने के लिए रासायनिक शोधन संयंत्र के अस्तित्व का प्रचार किया गया है और किया जा रहा है। इसके फलस्वरूप आर्डरों का मूल्य जो कि 1961-62 में 4,000 रुपये था 1964-65 में बढ़ कर 8,000 रुपये हो गया।

रासायनिक शोधन संयंत्र इस समय फैक्ट्री के वुड वर्क विभाग का एक छोटा सा अनुभाग है तथा केवल मात संयंत्र को चलाने के लिए कोई स्टाफ नियुक्त नहीं है। जब कभी आर्डर मिलते हैं तो वुड-वर्क विभाग के कुछ स्टाफ को अंशकालिक (पार्ट-टाईम) तौर पर काम पर लगा दिया जाता है। अतएव फैक्ट्री रासायनिक शोधन संयंत्र से संबंधित लाभ और हानि का अलग से हिसाब नहीं रखती।

उत्तर प्रदेश का तकनीकी आर्थिक सर्वेक्षण

1839. **श्री स० चं० सामन्त :**

श्री सुबोध हंसदा :

श्री म० ला० द्विवेदी :

क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार का ध्यान उत्तर प्रदेश के तकनीकी-आर्थिक सर्वेक्षण संबंधी राष्ट्रीय व्यावहारिक आर्थिक अनुसन्धान परिषद् के प्रतिवेदन की ओर दिलाया गया है, जिसमें 1961 से 1976 तक की अवधि में वहां 5,219 करोड़ रुपये की पूंजी लगाने का सुझाव दिया गया है ; और

(ख) क्या योजना आयोग ने परिषद् की इन सिफारिशों पर विचार कर लिया है ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) जी हां।

(ख) उत्तर प्रदेश सरकार के निवेदन पर राज्य सरकार ने यह सर्वेक्षण संगठित किया था। राज्य की चौथी योजना की रूपरेखा का मसौदा, योजना आयोग को प्रस्तुत करते समय राज्य सरकार अन्य घटकों के साथ सम्भवतः इस प्रतिवेदन की सिफारिशों पर भी विचार करेगी।

विलिंगडन अस्पताल, नई दिल्ली

1840. **श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :** क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने कि कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि विलिंगडन अस्पताल में पानी और बिजली सम्भरण की कोई वैकल्पिक व्यवस्था नहीं है और अस्पताल के आपरेशन थियेटर भी काफी वातानुकूलित नहीं हैं; और

(ख) यदि हां, तो सरकार का इन कमियों को कब और किस तरह दूर करने का विचार है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) और (ख) : पानी सम्भरण की वैकल्पिक व्यवस्था है। वहां पर 6 हस्त पम्प हैं और लगभग 15,000 गैलन की क्षमता का पानी स्टोर करने का एक हौज़ है। नलकूपों के लगाये जाने का भी प्रस्ताव है।

फालतू बिजली के लिये 15 किलोवाट का एक डीज़ल जनित्र स्थापित किया जा रहा है। कुछ अत्यावश्यक विभागों के लिये कुछ और वैकल्पिक व्यवस्था करने के प्रश्न पर केन्द्रीय लोक निर्माण-कार्य विभाग के साथ विचार किया जा रहा है।

नीचे तथा पहली मंजिल पर आपरेशन थियेटर पर्याप्त रूप से वातानुकूलित हैं।

अशोक होटल के उप बिजली घर में विस्फोट

1841. **श्री तन सिंह** : क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) 8 जुलाई, 1965 को अशोक होटल के उप बिजली घर में हुए विस्फोट के क्या कारण थे ;

(ख) विस्फोट के कारण कितनी हानि हुई; और

(ग) ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाये गये है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) अनुसन्धान से पता चला है कि तैल सर्किट तोड़क चालन क्रियाविधि की यांत्रिक असफलता के कारण खराब हो गया था और परिणाम-स्वरूप विस्फोट हो गया।

(ख) इस विस्फोट से उप-केन्द्र के एक सेवक की मृत्यु हो गई। इस के अतिरिक्त लगभग 7,000 रुपये की लागत के सामान का नुकसान हुआ, ऐसा अनुमान है।

(ग) इस मामले की और छानबीन की जा रही है और इस के पश्चात ही उपचारी उपाय किये जा सकेंगे।

इनामी बांड

1842. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अब तक व्याज रहित इनामी बांडों की कितनी राशि बांटी गई है और अभी कितनी और राशि देनी शेष है; और

(ख) इन बांडों के इनामों पर कितनी राशि दी गई है तथा अभी कितनी राशि और देनी है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) लगभग 14.03 करोड़ रुपये की अदायगी कर दी गयी है और लगभग 6.24 करोड़ की रकम की मांग अभी की जानी है।

(ख) 31 जुलाई, 1965 तक दिये गये इनामों की कुल रकम लगभग 2.38 करोड़ रुपया है और 79.58 लाख रुपये के इनामों की मांग अभी की जानी है।

पश्चिमी देशों से प्राप्त ऋण

1843. **श्री प्र० चं० बरुआ** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन ने विकासशील देशों पर ऋण का भार कम करने के लिये, पश्चिमी देशों के ऋणों की शर्तों को सामान्यतः नर्म बनाने के सम्बन्ध में हाल ही में एक प्रस्ताव पेश किया है;

(ख) यदि हां, तो इसका स्वरूप क्या है; और

(ग) इस के सम्बन्ध में सरकार की प्रतिक्रिया क्या है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की विकास सहायता समिति की चौथी वार्षिक उच्चस्तरीय बैठक जुलाई 1965 में पेरिस में हुई थी। 1965 के वार्षिक सहायता पुनर्विलोकन पर सभापति के प्रतिवेदन पर विचार करने के पश्चात समिति ने अन्य बातों के अतिरिक्त एक यह भी सिफारिश की थी कि उन सदस्यों को, जो अपनी सरकारी सहायता का 70 प्रतिशत अनुदानों के रूप में नहीं देते हैं, कुल सरकारी सहायता का 80 प्रतिशत अथवा इस से भी अधिक अनुकूल शर्तों पर अर्थात या तो अनुदान के रूप में अथवा दीर्घकाल के लिये ब्याज की कम दरों पर औसत 7 वर्षों में देने की छूट के साथ ऋण के रूप में देने का प्रयत्न करना चाहिये। सदस्यों को यथासम्भव विस्तृत भौगोलिक आधार पर अनुकूल शर्तों की सुविधा देने तथा सहायता के बन्धन की गुंजाइश को कम करने के लिये भी कहा है।

(ग) उक्त सिफारिश मुख्यता पश्चिमी यूरोप के देशों, ब्रिटेन, संयुक्त राज्य अमरीका और जापान द्वारा ध्यान दिये जाने के लिये हैं जो आर्थिक सहयोग तथा विकास संगठन की समिति के सदस्य हैं।

सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को उपलब्ध विदेशी मुद्रा

1844. श्री रणजीत सिंह :

श्री रा० बरुआ :

श्री बसुमतारी :

क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या इस वर्ष सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों को, आयात करने के लिये कोई अबाध विदेशी मुद्रा नहीं दी जायेगी;

(ख) यदि हां, तो उत्पादन पर इसका क्या प्रभाव पड़ेगा; और

(ग) संकट का सामना करने के लिये क्या कदम उठाये गये हैं ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) और (ख) : विदेशी मुद्रा सम्बन्धी हमारी मौजूदा स्थिति को देखते हुए, सरकारी क्षेत्रों सहित सभी क्षेत्रों के प्रतिष्ठानों को, मुक्त विदेशी मुद्रा (फ्री फारेन एक्सचेंज) पहले से काफी कम मात्रा में दी जा सकेगी।

जहां सम्भव हुआ है, मुक्त विदेशी मुद्रा की मात्रा में की गयी कमी को पूरा करने के लिए 'अन्तर्राष्ट्रीय विकास अभिकरण (ए० आई० डी०)' और 'रुपया' स्रोतों से उपयुक्त मात्रा में रकम दी गयी है, और इससे, मुक्त विदेशी मुद्रा के कम मात्रा में उपलब्ध होने का प्रतिकूल प्रभाव भी उसी हद तक दूर हो जाना चाहिये। लेकिन मुक्त विदेशी मुद्रा में होने वाली कमी का उत्पादन पर प्रभाव पड़ेगा।

(ग) विदेशी मुद्रा सम्बन्धी संकट को दूर करने के लिए जो कदम उठाये गये हैं उनका ब्योरा वित्त मंत्री के 17 जुलाई, 1965 के रेडियो-भाषण और 19 अगस्त, 1965 को लोक-सभा में दिये गये भाषण में दिया गया है।

राजघाट स्मारक

1845. डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी : क्या **निर्माण** और **आवास** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) राजघाट स्मारक बनाने तथा उसके चारों ओर के क्षेत्रों का विकास करने पर सरकार द्वारा अब तक कुल कितनी रकम खर्च की गई है; और

(ख) परियोजना के कुल व्यय के वर्तमान प्राक्कलन क्या हैं ?

निर्माण और आवास मंत्री (श्री मेहेरचन्द खन्ना) : (क) जुलाई 1965 के अन्त तक लगभग 41.30 लाख रुपये ।

(ख) 91.40 लाख रुपये ।

जीवन बीमा निगम की बन्धक योजना

1846. **श्री मणियंगाडन :** क्या **वित्त** मन्त्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जीवन बीमा निगम की बन्धक योजना के अन्तर्गत शहरों की सूची में, राज्यवार, किन किन शहरों को शामिल किया गया है;

(ख) क्या और अधिक शहरों को इस योजना के अन्तर्गत लाने का कोई विचार है ; और

(ग) इस योजना के अन्तर्गत शहरों को शामिल करने के लिये क्या कसौटी अपनाई जाती है ?

वित्त मन्त्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) (1) **मध्य प्रदेश** : भोपाल, इन्दोर तथा जबलपुर; (2) **उत्तर प्रदेश** : आगरा, कानपुर, लखनऊ, मेरठ, बारांसी; (3) **असाम**: गुहाटी; (4) **बिहार** : पटना; (5) **उड़ीसा** : कटक; (6) **पश्चिमी बंगाल** : आसनसोल तथा कलकत्ता; (7) **दिल्ली** : दिल्ली; (8) **जम्मू तथा कश्मीर** : जम्मू; (9) **पंजाब** : अमृतसर, चंडीगढ़, जालन्धर तथा लुधियाना; (10) **राजस्थान** : अजमेर तथा जयपुर; (11) **आन्ध्र प्रदेश** : हैदराबाद; (12) **केरला** : एरनाकुलम तथा ट्रीविन्डरम; (13) **मद्रास** : कैम्बाटूर, मद्रास तथा मदुराई; (14) **मैसुर** : बैंगलोर; (15) **गुजरात** : अहमदाबाद, बड़ोदा, राजकोट तथा सूरत; (16) **महाराष्ट्र** : बम्बई, नागपुर, नासिक तथा पूना ।

(ख) अभी नहीं ।

(ग) नगरों का विकास—जैसाकि उनकी जनसंख्या और औद्योगिक तथा व्यापारिक क्रिया-कलापों की वृद्धि से परिलक्षित है ।

योजना आयोग के सदस्यों की विदेशी यात्रायें

1847. **श्री अ० ना० विद्यालंकार :** क्या **योजना** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) योजना आयोग के उन सदस्यों के नाम क्या हैं, जो जनवरी, 1965 और जुलाई, 1965 के बीच अन्य देशों में गये थे और उनमें से प्रत्येक सदस्य विदेशों में कितने समय तक ठहरा;

(ख) प्रत्येक सदस्य किस-किस कार्य के लिए विदेश गया था;

(ग) प्रत्येक सदस्य की यात्रा पर कुल कितनी विदेशी मुद्रा खर्च हुई; और

(घ) विदेशी मुद्रा खरीदने पर तथा अन्य कार्यों पर भारतीय रुपयों में कुल कितनी रकम खर्च हुई ?

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : (क) से (घ) : एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[पुस्तकालय में रखा गया। देखिये संख्या एल० टी०–4803/65 ।]**

बिजली परियोजनाओं संबन्धी समिति

848. **श्री दी० चं० शर्मा :**

श्री यशपाल सिंह :

श्री राम सहाय पांडेय :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कुछ बिजली परियोजनाओं की प्रगति का पुनर्विलोकन करने तथा परियोजनाओं पर तेजी से काम करने के उपाय मालूम करने के लिये सरकार ने चार अधिकारियों की एक समिति नियुक्त की है;

(ख) यदि हां, तो उक्त समिति के निर्देश-पद क्या हैं और समिति किन-किन बिजली परियोजनाओं की प्रगति का पुर्नविलोकन करेगी; और

(ग) क्या समिति ने अपना कार्य आरम्भ कर दिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) जी, हां।

(ख) कुछ बिजली परियोजनाओं के कार्यान्विन की प्रगति का पुनर्विलोकन करने के लिये तथा सम्बद्ध अधिकारियों द्वारा अनुभूत कठिनाइयों और बाधाओं को दूर करने के लिये ताकि इन परियोजनाओं से तृतीय योजनावधि में परिकल्पित लाभों को नियत तिथियों तक प्राप्त किया जा सके, यह समिति स्थापित की गई है। इस समिति द्वारा जिन परियोजनाओं का पुनर्विलोकन प्रस्तावित है, वे ये है---कोठगुदाम (आन्ध्र प्रदेश), पथराटू (बिहार), कालाकोट (जम्मू और कश्मीर), साबरिगिरि (केरल), कोर्बा (मध्य प्रदेश), शरावथी (मैसूर), कानपुर (उत्तर प्रदेश), दुर्गापुर (पश्चिम बंगाल), नेवेली विस्तार (मद्रास), पराम्बिकुलम (मद्रास) और तलचर (उडीसा)।

(ग) जी, हां।

यमुना नदी में पाई जानेवाली मछलीयां

1849. **श्री राम सेवक :**

श्री फ० गो० सेन :

क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यमुना नदी में पाई जाने वाली मछलियां खाने योग्य नहीं समझी जातीं क्योंकि उनमें हानिकारक रसायन होते हैं;

(ख) यदि हां, तो मछलियों में यह दूषण होने का क्या कारण है; और

(ग) इस दूषण को दूर करने के लिये क्या कार्यवाही की गई है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) दिल्ली के नगर निगम ने कहा है कि उन्हें इस बात की कोई जानकारी नहीं है।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) प्रश्न ही नहीं उठता।

Labour Participation in Factories Management

1850. Shri Madhu Limaye :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Planning** be pleased to state :

(a) whether the Deputy Chairman of the Planning Commission has made any suggestion in regard to the association or participation of labour in the management of factories; and

(b) if so, the details thereof ?

The Minister of Planning (Shri B. R. Bhagat) : (a) and (b). The Planning Commission is engaged in reviewing the experience during the Third Plan of the working of Joint Management Councils and other measures for the closer association of workers with management. The Commission is also considering in consultation with the Ministries concerned how trade union organisations could participate more fully in the formulation of programme of industrial development for the Fourth Plan.

Profits of Public Sector Industries

1851. Shri Madhu Limayae :

Shri Ram Sewak Yadav :

Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) whether Government consider it desirable to compile and publish statistics regarding the prices and costs of various items prevailing in the industrially-advanced countries with a view to increasing the profits in the public sector and enabling the private sector to be competitive from the international point of view;

(b) whether the loss sustained in the public sector undertakings will be made good by raising the prices or whether it will be done by curtailing expenditure and increasing production; and

(c) the steps proposed to be taken in this behalf ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) No sir, as the statistics regarding prices of various items are published by the Governments of industrially-advanced countries and are readily available. Information regarding costs of various items is normally treated as confidential and would not be available for publication.

(b) and (c). Reasons for the loss sustained in any public sector undertaking vary from case to case. The remedial measures will accordingly depend upon these circumstances and will have to be taken by adopting all or any of the measures suggested. The steps proposed will thus have to be determined from time to time in the light of emergent situation with regard to each enterprise and products.

परिवार नियोजन

1852. श्री रा० बरुआ :

श्री राम सहाय पाण्डेय :

क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि अन्तर्राष्ट्रीय विकास के लिये अमरीकी अभिकरण के सहयोग से भारत सरकार द्वारा प्रायोजित एक 15 सदस्यीय दल हाल ही में कोरिया गया था और उसने वहां प्रचलित परिवार नियोजन के तरीकों का अध्ययन किया था; और

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त दल ने अपनी अध्ययन यात्रा के परिणामस्वरूप सरकार को कोई प्रतिवेदन दिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी हां।

(ख) जी हां।

हागेनकल परियोजना

1853. **श्री बासप्पा :**

श्री सुरेन्द्रपाल सिंह :

क्या **सिंचाई** और **विद्युत्** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि हागेनकल जल विद्युत् योजना के मामले में मैसूर और मद्रास के बीच चल रहे झगड़े को निपटाने के लिये सरकार क्या कार्यवाही कर रही है अथवा करने का विचार कर रही है ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : मद्रास राज्य बिजली बोर्ड द्वारा तैयार की गई परियोजना रिपोर्ट की एक प्रति जिस में मद्रास में प्रस्तावित कार्यों का ब्यौरा दिया गया है मैसूर सरकार को दे दी गई है। मैसूर सरकार ने यह कहा कि वे मैसूर के लिये प्रस्ताव 1965 के अन्त तक भेज देंगे। इस के पश्चात् हागेनकल परियोजना के सम्बन्ध में दोनों राज्यों के बीच मतभेदों को, यदि कोई हुए, दूर करने के लिये कार्यवाही की जायेगी।

Foreign Exchange spent on Projects

1854. Shri J. P. Jyotishi : Will the Minister of **Finance** be pleased to state :

(a) the amount of foreign exchange spent, year-wise, on each project during the Third Five Year Plan period; and

(b) the amount of foreign exchange released for setting up of new industries in the public and private sectors separately along with the names of those industries during the above period ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) and (b). The information is being collected and will be laid on the table of the Lok Sabha, in due course.

Rural Housing Scheme

1855. Shri Mohan Swarup : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Government have decided to raise the limit of loan from 66⅔% to 80% of the cost of a house under the Rural Housing Scheme ; and

(b) if so, the total amount to be made available under this Scheme in 1965-66 ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) The total amount provided by the States and Union Territories in their budget estimates for 1965-66 for the Village Housing Projects Scheme works out to about Rs. 1·5 crores.

जल उपभोग शुल्क

1856. **श्रीमति मैमूना सुल्तान** : क्या स्वास्थ्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या दिल्ली जल सम्भरण तथा मल-निस्सारण समिति ने छने हुए जल के उपभोग शुल्क में 50 प्रतिशत वृद्धि करने के लिये सरकार को एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न ही नहीं उठता।

Office of Land and Development Officer

1857. **Shri Onkar Lal Berwa** : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that in the Office of Land and Development Officer, there is unnecessary delay in disposing of the cases which not only causes inconvenience to the public but encourages corruption also; and

(b) if so, the steps taken or proposed to be taken to eliminate such delays ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). Some delays do take place in the office of the Land and Development Officer but it is so because most of the cases involve legal interpretation of the lease terms which necessarily takes time. Sometimes delays take place also because the lessees do not furnish full information In any case the question of reorganisation of the working of the office of the Land and Development Officer is under examination and efforts will be made to cut out all avoidable delays.

Jhuggi Dwellers in New Delhi

1858. **Shri Hukam Chand Kachhavaiya** : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that the Jhuggi dwellers of Bhairon Temple, Chanakya Puri have been settled in Madangir, Wazirpur, Naraina and Rajouri Garden, Delhi;

(b) whether it is a fact that while demolishing jhuggies, allotment forms were given to persons without the census slip;

(c) whether it is also a fact that those persons were allotted plots for shops and houses on the basis of the said allotment forms and they have already constructed them; and

(d) if so, the reasons for their cancellation by the Delhi Administration now ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) Yes.

(b) Yes.

(c) and (d). During the special census carried out in June-July 1960, the unauthorised jhuggi dwellers on Government and public lands were issued census slips. In cases, where jhuggi dwellers and two jhuggis—one for their residence

and the other for a shop—they were issued two census slips. When an area is cleared, the Municipal Corporation of Delhi issues two allotment slips—one for a plot for residence and the other for a shop plot—to jhuggi dwellers who hold two census slips. All other jhuggi dwellers, who have been issued one census slip are allotted one plot each—either a shop plot or a plot for residence. Certain persons got double allotments while they were entitled to one only. It is in these cases that allotments of second plot have been either cancelled or are under scrutiny.

Jhuggi Dwellers

1859. Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether it is a fact that Jhuggi dwellers resettled in Rajouri Garden have not been allotted shops so far despite their being in possession of the allotment slips, while the jhuggi dwellers settled in Naraina, Madangir and Wazirpur have since been allotted shops and houses on the basis of the said allotment slips ; and

(b) if so, the reasons for this discriminatory treatment with the Jhuggi dwellers settled in Rajouri Garden ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). During the special census carried out in June-July 1960, unauthorized jhuggi dwellers on Government and public lands were issued census slips. In cases, where jhuggi dwellers had two separate jhuggis—one for their residence and the other for a shop—they were issued two cesnus slips. When an area is cleared, the Municipal Corporation of Delhi issues two allotment slips—one for a residential plot and the other for a shop plot—to jhuggi dewellers who hold two census slips. Those who have only one census slip are, however, given one plot—either a shop plot or a residential plot.

This policy has also been followed in the case of jhuggi dwellers shifted to Rajouri Garden. However, certain persons shifted to that Colony got double allotments while they were entitled to get one only. Their second allotment was therefore cancelled. Cases of persons in other colonies who have got double allotment but are entitled to one only, are also under scrutiny. Thus, there is no discrimination in the allotment of plots to jhuggi dwellers in different colonies.

Birth Control

1860. Shri P. L. Barupal : Will the Minister of **Health** be pleased to state :

(a) whether Government have considered that birth control measures, which are not foolproof, are having bad effect on the national health;

(b) if so the other healthy method which has been devised for the information of and adoption by the public;

(c) whether Government have received any information from the private voluntary institutions which have evolved healthy birth control methods, based on their won research and experience; and

(d) if so, their reaction thereto ?

The Minister for Health (Dr. Sushila Nayar) : (a) Birth control measures propagated by the Government of India have not had any harmful effect on national health.

(b), (c) and (d). Do not arise.

गंगा नदी संबंधी पाकिस्तान का दावा

1861. **श्री दी० चं० शर्मा :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि फरक्का बांध के बारे में टिप्पण करते हुए पाकिस्तान के उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधन मंत्री ने कहा है कि गंगा नदी एक अन्तर्राष्ट्रीय नदी है और अन्तर्राष्ट्रीय कानून के अन्तर्गत किसी देश की अपने पड़ौसी देश की हानि पहुंचा कर, अपने क्षेत्र में उसकी प्राकृतिक स्थिति में परिवर्तन करने का अधिकार नहीं है; और

(ख) यदि हां, तो इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) प्रेस रिपोर्ट के अनुसार यह कहा जाता है कि पाकिस्तान के केन्द्रीय मंत्री, उद्योग तथा प्राकृतिक संसाधन ने इस प्रकार का एक बयान दिया है, परन्तु सरकारी तौर पर कोई सूचना नहीं मिली।

(ख) यदि पाकिस्तानी मंत्री के ये विचार हैं, तो भारत सरकार उन से सहमत नहीं है।

राज्य बिजली बोर्ड

1862. **श्री मुहम्मद इलियास :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे की :

(क) राज्य बिजली बोर्डों तथा बिजली की सप्लाई करने वाली अन्य सरकारी क्षेत्र की संस्थाओं ने वेंकटारामन समिति की सिफारिशों के अनुसार कर्मचारियों में वृद्धि करके अपेक्षित आय प्राप्त करने के हेतु पूंजीगत, कार्यकारी तथा अनुरक्षण व्यय में मितव्ययता करने के लिये क्या कदम उठाये हैं; और

(ख) बोर्डों तथा अन्य संस्थाओं ने योजना का बहुत अधिक ऊपरी व्यय प्रशासनिक व्यय तथा पूंजीगत लागत कम करने के लिए क्या कदम उठाये हैं ?

सिंचाई और विद्युत् मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) और (ख) : राज्य बिजली बोर्ड स्वायत्त संस्था हैं जो कि बिजली (प्रदाय) अधिनियम 1948 के प्रबन्धों के अन्तर्गत राज्य सरकारों द्वारा स्थापित की गई हुई हैं। बोर्डों के लिये यह अपेक्षित है कि वे अपने दरों में हेराफेरी समय समय पर करते रहे, ताकि उन्हें कोई हानि न हो। इन सभी वर्षों के दौरान अधिकतर बोर्डों की वित्तीय कार्य प्रणाली संतोषजनक नहीं रही है। अप्रैल, 1964 में एक समिति स्थापित की गई थी जिस के विचारार्थ विषय निम्नलिखित हैं। मद्रास राज्य के उद्योग मंत्री की श्री आर० वेंकटारमण इस समिति के अध्यक्ष हैं।

(क) विविध राज्य बिजली बोर्डों के राजस्व में सुधार लाने के और विद्युत् करों से होने वाली आमदनी में वृद्धि लाने के तरीकों को सुझाना।

(ख) टैरिफ और बिजली कर के सम्बन्ध की पद्धति को सुझाना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी हुई है और, अन्य चीजों के साथ साथ पैरा 24 में यह लिखा है :—

यह आवश्यक है कि हर बिजली बोर्ड इस बात के लिये प्रयत्न करे कि वह अधिकतम दक्षता और मितव्ययता से कार्य करे। राज्य बिजली बोर्डों की कार्य प्रणाली और दक्षता को देखने के लिये तथा उन पर उचित शोधक कार्यवाही करने के लिये राज्य बिजली बोर्डों के पास बिजली (प्रदाय) अधिनियम 1948 के अधीन पर्याप्त शक्ति है। समिति इस बात पर बल देना चाहेगी कि बनीसबत इसके कि राज्य सरकारें यह कार्यवाही करें,

स्वयं बोर्डों को सलाह दी जाए कि वे ऊपरी खर्च के समेत बिजली के उत्पादन, पारेषण और वितरण को लागत, जहां तक संभव हो, कम रखें, और समय समय पर स्थिति का पुनर्विलोकन करके इस के लिये आवश्यक और उचित कार्यवाही करें।

समिति के इन सुझावोंको राज्य सरकारों/राज्य बिजली बोर्डों के ध्यान में उनके मार्गदर्शन के लिये ला दिया गया है।

पूंजी और प्रचालन तथा रख-रखाव संबंधी खर्चे में लाई गई अथवा लाई जाने वाली मित-व्ययता का ब्यौरा और प्रशासन संबंधी खर्च आदि को कम करने के लिये की गई कार्यवाही का ब्यौरा इस समय उपलब्ध नहीं है। राज्य बिजली बोर्डों के लिये यह अपेक्षित है कि वे समिति की ऊपर लिखित टिप्पणी का पालन करते हुए मित व्ययता संबंधी उपाय करें।

Water Meters in Government Quarters, New Delhi

1863. Shri Brij Raj Singh : Shri Bade :
Shri Hukam Chand Kachhavaiya : Shri Vishram Prasad :

Will the Minister of **Works** and **Housing** be pleased to state :

(a) whether separate water meters have been installed in 'G' type quarters at Mata Sundri Road and Mirdard Road, New Delhi; and

(b) if not, the time by which they will be installed ?

The Minister of Works and Housing (Shri Mehr Chand Khanna) : (a) and (b). The existing meter chambers outside the quarters are being shifted inside. After this has been done, meters will be installed.

बिजली आदि की बकाया राशि

1864. **श्री जेधे :** क्या **सिंचाई** और **विद्युत** मंत्री 11 मार्च, 1965 के तारांकित प्रश्न संख्या 380 के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) ऐसे राजपत्रित अधिकारियों की मंत्रालय-वार विभाग-वार संख्या क्या है जो पिछले दस वर्षों में नई दिल्ली नगरपालिका दिल्ली नगर निगम को बिजली के बिल दिये बिना सरकारी मकान छोड़ कर चले गये ?

(ख) 31 जुलाई, 1965 को बकाया बिलों की कुल रकम कितनी थी;

(ग) सम्बन्धित अधिकारियों से इस रकम को वसूल करने के लिए क्या कार्यवाही की गई है या करने का विचार है; और

(घ) अब तक इस रकम को वसूल न करने के क्या कारण हैं ?

सिंचाई और विद्युत मंत्री (डा० कु० ल० राव) : (क) से (घ) : नई दिल्ली म्यूनिसिपल कमेटी और दिल्ली नगर निगम के सम्बन्ध में अपेक्षित जानकारी देने वाले दो विवरण सभापटल पर रखे जाते हैं। **[पुस्तकालय में रखे गये। देखिये संख्या एल० टी०–4804/65।]**

मंत्रालयों में गेसटेटनर आपरेटरों तथा स्टाफ कार ड्राइवरों के वेतनक्रम

1866. **डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारत सरकार के मंत्रालयों तथा अन्य कार्यालयों में गेसटेटनर आपरेटरों तथा स्टाफ कार ड्राइवरों के वेतनक्रम क्या हैं;

(ख) क्या उक्त श्रेणी के कर्मचारियों के वेतन क्रमों में कोई अन्तर है;

(ग) यदि हां, तो इस अन्तर के क्या कारण हैं; और

(घ) क्या इस अन्तर को दूर करने के लिये सरकार का आवश्यक कार्यवाही करने का विचार है।

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) इन पदों के बारे में मानक वेतनक्रम इस प्रकार हैं :—

(1) (एक) वरिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर .	(एक) 110–3–131 रुपये
(दो) कनिष्ठ गेस्टेटनर आपरेटर .	(दो) 80–1–85–2–95–इबी–3–110 रुपये
(2) स्टाफ कार ड्राइवर	(एक) 110–3–131–4–155–ईबी–4–175–5–180 रुपये (भारत सरकार के मंत्रालयों के सचिवालय कार्यालय में कार्य कर रहे स्टाफ कार ड्राइवरों के लिये)
	(दो) 110–3–131–4–139 रुपये (अन्य ड्राइवरों के लिये)

(ख) जी, हां।

(ग) और (घ) : मंत्रालयों के सचिवालय कार्यालयों में कार्य कर रहे स्टाफ कार ड्राइवरों के दीर्घकालिक कार्य की विशेष रूप से दुष्कर स्वरूप को ध्यान में रखते हुए उनको एक उच्चतर वेतनक्रम दिया गया है। प्रत्येक पद के लिये निश्चित किये गये कार्य के स्वरूप तथा जटलता के साथ साथ वेतनक्रमों में विभिन्नता होना आवश्यक है। इस मामले में सदा एकरूपता रखना सम्भव नहीं है।

Excise Duty collected from Farrukhabad District

1867. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state the amount of Central Excise duty collected from Farrukhabad District (U.P.) from 1947 to 1963, year-wise ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : The figures relating to Central Excise duty collected from that District during the years 1947-48 to 1950-51 are not readily available. The required information for the years 1951-52 to 1963-64 financial year-wise is, however, given below :—

Year	Revenue (Central Excise Duty) Rs. (000)
1951-52 . . .	4282
1952-53	4369
1953-54	3837

Year	Revenue (Central Excise Duty) Rs. [000]
1954-55	2935
1955-56	2471
1956-57	2834
1957-58	4836
1958-59	5094
1959-60	5606
1960-61	6118
1961-62	7099
1962-63	7530
1963-64	9088

Production of Tobacco in Farrukhabad District

1868. Shri Sarjoo Pandey : Will the Minister of **Finance** be pleased to state:

(a) the quantity of twisted tobacco produced in the Farrukhabad District (U.P.) from 1947 to 1963, year-wise;

(b) whether it is a fact that the production of the said tobacco has come down during these years; and

(c) if so, the causes thereof ?

The Minister of Finance (Shri T. T. Krishnamachari) : (a) The quantity of twisted tobacco produced in the Farrukhabad District (U.P.) during the years 1951-52 to 1963-64 is given in the statement below. The data is not maintained for calendar years ; so the information has been furnished with reference to financial years. The information for the years 1947-48 to 1950-51 is not readily available.

Statement

Year	Production (000) Kgs.
1951-52	14955
1952-53	7855
1953-54	10654
1954-55	9362
1955-56	12508
1956-57	17262
1957-58	2862
1958-59	9227
1959-60	7508
1960-61	6351
1961-62	6340
1962-63	4539
1963-64	6684

(b) Yes, Sir.

(c) The fall in production is due to :—

(1) consumer's preference for 'Chaupadia', a superior variety of tobacco which is slowly replacing the twisted variety:

(2) smoking habits of consumers which are progressively changing to Biris and Cigarettes from Hookah (the chief use of twisted tobacco);

(3) less return to the producer as the twisted tobacco is of inferior quality; and

(4) shift in cultivation to other commodities which fetch better price and are easier to market.

होशंगाबाद में सुरक्षा कागज (सिक्योरिटी पेपर) कारखाना

1869. श्री हरि विष्णु कामत : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) होशंगाबाद में सुरक्षा कागज कारखाने में उत्पादन आरम्भ करने में अत्यधिक विलम्ब होने के क्या कारण हैं; और

(ख) उत्पादन शीघ्र आरम्भ करने के लिये क्या कार्यवाही की जा रही है ?

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : (क) विलम्ब का मुख्य कारण शुरू-शुरू में मिल की मुख्य इमारत बनाने के लिए उपयुक्त ठेकेदार के मिलने में कठिनाई का होना, सीमेण्ट और इस्पात जैसी अत्यावश्यक इमारती चीजों की बराबर कमी बनी रहना और कुछ महत्वपूर्ण साजसामान के, जो बहुत लम्बी अवधि के बाद प्राप्त होता है, आर्डरों को अन्तिम रूप देने में कुछ देरी होना है।

(ख) ये कठिनाइयां अब बहुत हद तक दूर हो गयी हैं। मिल की मुख्य इमारत लगभग तैयार हो चुकी है और अधिकतर मशीनें और साजसामान मिल के स्थान पर पहुंच चुका है। इन मशीनों को लगाने का काम शुरू करने के लिए इंतजाम किया जा रहा है। आशा है कि यह मिल 1966 की दूसरी छमाही में कभी भी चालू की जा सकेगी।

बिहार के डाक्टरों की मांगे

1870. श्री विभूति मिश्र : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार को बिहार सरकार से कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुआ है जिस में राज्य सरकार की सेवा में लगे हुए डाक्टरों द्वारा वेतन क्रम में वृद्धि करने के लिए पेश की गई मांगों को पूरा करने के लिये वित्तीय सहायता मांगी गई है; और

(ख) यदि हां, तो सरकार की उस पर क्या प्रतिक्रिया है ?

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : (क) जी नहीं।

(ख) यह प्रश्न नहीं उठता।

त्रिपुरा में चिकित्सीय अधिकारी

1871. श्री वीरेन दत्त : क्या **स्वास्थ्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि संघ राज्य क्षेत्र त्रिपुरा के चिकित्सा अधिकारियों ने अपनी कुछ मांगों पर त्यागपत्र देने की सूचना दी है ;

(ख) यदि हां, तो उनकी मांगें क्या हैं; और

(ग) उन पर सरकार ने क्या निर्णय किया है ?

स्वास्थ्य मंत्री डा० सुशीला नायर : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) : यह प्रश्न नहीं उठते।

सभा पटल पर रखे गए पत्र

PAPERS LAID ON THE TABLE

कम्पनी अधिनियम के संचालन और उसके लागू किये जाने सम्बंधी वार्षिक प्रतिवेदन

वित्त मंत्री (श्री ति० त० कृष्णमाचारी) : मैं कम्पनी अधिनियम, 1956, की धारा 638 के अन्तर्गत 31 मार्च, 1965 को समाप्त हुए वर्ष के लिये उक्त अधिनियम के संचालन और उस के लागू किए जाने के सम्बन्ध में वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी०–4787/65।]**

केरल राज्य के सम्बन्ध में अधिसूचनायें

स्वास्थ्य मंत्री (डा० सुशीला नायर) : मैं निम्नलिखित पत्रों की एक एक प्रति सभा-पटल पर रखती हूं :—

(एक) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास अधिनियिम, 1960 की धारा 137 की उप धारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 280/65 जो दिनांक 13 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा त्रिवेन्द्रम नगर सुधार न्यास लेखे तथा वित्त नियम, 1961 में एक संशोधन किया गया है। **[पुस्तकालय मे रखी गयी। देखिये संख्या एल० टी० 4788/65।]**

(दो) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुये उप-राष्ट्रपति द्वारा दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल स्थानीय प्राधिकारी ऋण अधिनियम, 1963 की धारा 8 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 288/65, जो दिनाक 20 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल स्थानीय प्राधिकारी ऋण नियम, 1965 दिये गये हैं। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिए संख्या एल० टी० 4789/65।]**

(तीन) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल नगरपालिकायें अधिनियम, 1960 की धारा 345 की उपधारा (2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 299/65 जो दिनांक 27 जुलाई, 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसके द्वारा वार्षिक वित्त विवरण तैयार करने और नगर परिषदों द्वारा लेखे रखे जाने सम्बन्धी नियमों में संशोधन किया गया है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4790/65।]**

(चार) राष्ट्रपति के कृत्यों का निर्वहन करते हुए उप-राष्ट्रपति द्वारा केरल राज्य के सम्बन्ध में दिनांक 24 मार्च, 1965 को जारी की गई उद्घोषणा के खण्ड (ग) (चार) के साथ पठित केरल सार्वजनिक आवास-स्थान अधिनियम, 1963 की धारा 19 की उपधारा

(2) के अन्तर्गत अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० 292/65 जो दिनांक 20 जुलाई 1965 के केरल राजपत्र में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें केरल सार्वजनिक आवास-स्थान नियम, 1965 दिये गये है। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4791/65।]**

दादरा तथा नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत (संशोधन) नियम

डा० सुशीला नायर : मैं श्री हाथी की ओर से दादरा तथा नगर हवेली अधिनियम, 1961 की धारा 14 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दादरा तथा नगर हवेली वरिष्ठ पंचायत (संशोधन) नियम, 1965 की एक प्रति सभा पटल पर रखती हूं जो दिनांक 7 अगस्त, 1965, की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1101 में प्रकाशित हुई थी तथा जिसमें दिनांक 28 अगस्त, 1965 के जी० एस० आर० 1238 द्वारा शुद्धि की गई। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4792/65।]**

जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियमों का शुद्धि-पत्र

योजना मंत्री (श्री ब० रा० भगत) : मैं जीवन बीमा निगम अधिनियम, 1956 की धारा 48 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत दिनांक 28 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1223 की एक प्रति सभा पटल पर रखता हूं जिसमें जीवन बीमा निगम (संशोधन) नियम, 1965 का शुद्धि-पत्र दिया हुआ है तथा जो दिनांक 31 जुलाई, 1965 के जी० एस० आर० 1094 में प्रकाशित हुई थी। **[पुस्तकालय में रखी गई। देखिये संख्या एल० टी० 4793/65।]**

सीमा-शुल्क अधिनियम, सम्पदा-शुल्क अधिनियम, आय-कर अधिनियम और केन्द्रीय उत्पादन शुल्क तथा नमक अधिनियम के अन्तर्गत अधिसूचनायें

वित्त मंत्रालय में उप-मंत्री (श्री रामेश्वर साहू) : (1) मैं सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 के अन्तर्गत निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं ;

(एक) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1196
(दो) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1197
(तीन) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1198
(चार) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1199
(पांच) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1200
(छः) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1201
(सात) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1202.
(आठ) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1203
(नौ) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1204
(दस) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1205
(ग्यारह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1206
(बारह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1207
(तेरह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1208
(चौदह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1209
(पन्द्रह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1210

[श्री रामेश्वर साहू]

(सोलह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1211

(सत्रह) दिनाक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1212

(अट्ठारह) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1213

(उन्नीस) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1214

(बीस) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1215

(इक्कीस) दिनांक 20 अगस्त, 1965 का जी० एस० आर० 1216

[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4794/65 ।]

(2) निम्नलिखित अधिसूचनाओं की एक-एक प्रति :—

(एक) सम्पदा-शुल्क अधिनियम, 1953 की धारा 85 की उप-धारा (3) के अन्तर्गत सम्पदा शुल्क (संशोधन) नियम, 1965 (हिन्दी संस्करण) जो दिनांक 14 मई, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 742 में प्रकाशित हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4795/65 ।]**

(दो) आय-कर अधिनियम, 1961 की धारा 280 जेडई की उप-धारा (4) के अन्तर्गत कर प्रत्यय प्रमाण-पत्र (निर्यात) योजना, 1965 जो दिनांक 18 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1183 में प्रकाशित हुई थी **[पुस्तकालय में रखी गयी । देखिये संख्या एल० टी० 4796/65 ।]**

(तीन) सीमा-शुल्क अधिनियम, 1962 की धारा 159 तथा केन्द्रीय उत्पादन-शूल्क तथा नमक अधिनियम, 1944 की धारा 38 के अन्तर्गत सीमा-शूल्क तथा केन्द्रीय उत्पादन शुल्क निर्यात शुल्क-वापसी (सामान्य) इकसठवां संशोधन नियम 1965 जो दिनांक 28 अगस्त, 1965 की अधिसूचना संख्या जी० एस० आर० 1228 में प्रकाशत हुई थी । **[पुस्तकालय में रखी गई । देखिये संख्या एल० टी० 4797/65 ।]**

राज्य सभा से संदेश

MESSAGES FROM RAJYA SABHA

सचिव : श्रीमान्, मुझे सभा को यह बताना है कि मुझे राज्य सभा से निम्नलिखित सन्देश प्राप्त हुए हैं :—

(एक) कि राज्य-सभा को लोक-सभा द्वारा 1 सितम्बर, 1965 को पास किये गये वित्त (संख्या 2) विधेयक, 1965 के बारे में लोक-सभा से कोई सिफारिश नहीं करनी है ।

(दो) कि लोक-सभा द्वारा 27 नवम्बर, 1964 को पास किये गये भांडागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक, 1964 को राज्य सभा ने अपनी 6 सितम्बर, 1965 की बैठक में निम्नलिखित संशोधनों के साथ पास किया :—

अधिनियम सूत्र

1. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 10, "Fifteenth" ["पन्द्रहवां"] के स्थान पर "Sixteenth" ["सोलहवां"] शब्द रखा जाये ।

खण्ड 1

2. कि पृष्ठ 1, पंक्ति 13, "1964" के स्थान पर "1965" अंक रखे जाये ।

अनुसूची

3. कि पृष्ठ 2, पंक्ति 20 और 21 के स्थान पर निम्नलिखित रखा जाये अर्थात :—

"5. मैसूर

6. पंजाब

7. राजस्थान

8. उत्तर प्रदेश" ।

और विधेयक को इस निवेदन के साथ लौटा दिया कि संशोधनों के बारे में लोक सभा की सहमति राज्य सभा को सूचित की जाये ।

भांडागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक

WAREHOUSING CORPORATIONS SUPPLEMENTARY BILL

राज्य सभा द्वारा संशोधित रूप में

सचिव : श्रीमान्, मैं भांडागारण निगम (अनुपूरक) विधेयक, 1965 को, राज्य सभा द्वारा संशोधनों के साथ लौटाये गये रुपमें, सभा पटल पर रखता हूं ।

अधिलाभांश की अदायगी विधेयक—(जारी)

PAYMENT OF BONUS BILL—*Contd.*

अध्यक्ष महोदय : अब सभा कतिपय स्थापनाओं में काम करने व्यक्तियों को अधिलाभांश की अदायगी करने तथा तत्सम्बधी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर अग्रेतर खण्डवार विचार करेगी ।

श्री दांडेकर को अपना भाषण जारी रखना था परन्तु वह इस समय यहां उपस्थित नहीं हैं ।

श्रम और रोजगार मंत्री (श्री संजीवय्या) : मेरे माननीय मित्र, श्री काशीराम गुप्त चाहते है कि ऐसे उद्योगों को कुछ विशेष रियायते दी जायें जिन में एक लाख रुपये से कम राशि लगी हुई है । वास्तव में हमने नियोजित पूंजी के आधार पर समवायों तथा निगमों के बीच कोई भेद नही किया है । अतः उनके इस संशोधन को स्वीकार नही किया जा सकता ।

श्री इन्द्रजीत प्रसाद द्वारा प्रस्तुत किये गये इस संशोधन को भी स्वीकार नही किया जा सकता कि साम्य पूंजी तथा सुरक्षित निधि पर ब्याज की दर को कम कर दिया जाये । इस सम्बन्ध में आयोग का बहुमत यह था कि साम्य पूंजी तथा सुरक्षित निधि पर ब्याज की दर क्रमशः 7 प्रतिशत तथा 9 प्रतिशत होनी चाहिये । श्री दांडेकर ने अपने विमति-टिप्पण में यह सुझाव दिया था कि दरें क्रमशः 8.5 प्रतिशत तथा 6 प्रतिशत होनी चाहिये । प्रचलित ब्याज की दरों तथा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इन दरों पर कर लगेगा जबकि इससे पहले श्रम अपीलीय न्यायाधिकरण सूत्र के अन्तर्गत दी जानी वाली दरों पर कर नही लगता था, हमने उनके सुझाव को मान लिया है क्यों कि इस से वास्तव में दरों में कोई अन्तर नही पड़ता है ।

श्री दांडेकर के संशोधनो के सम्बन्ध में मैं यह बताना चाहता हूं कि उन कम्पनियों की शाखाओं को इस विधेयक के खण्ड 3 के अन्तर्गत शाखावार अलग अलग लेखे रखने पड़ेंगे जिन की शाखायें भारत से बाहर हैं और जो शाखाओं के आधार पर बोनस देना चाहते हैं । उनको साम्य पूंजी का भी आवंटन करना पड़ेगा । यदि इस आवंटन पर कोई आपत्ति होगी तो यह मामला न्यायाधिकरण के समक्ष रखा जायेगा और वह निर्णय करेगा कि साम्य पूंजी किस प्रकार बांटी जाये ।

[श्री संजीवय्या]

अत: उनके संशोधन को स्वीकार करने की कोई आवश्यकता नही है। उनके इस संशोधन को भी स्वीकार नही किया जा सकता कि ब्याज की दरें रिज़र्व बैंक की दरों से सम्बन्धित होनी चाहिये क्योंकि ऐसा करने से दरें बढ़ती-घटती रहेगी जबकि हम चाहते हैं कि दरें निश्चित होनी चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य चाहते है कि उन के संशोधन अलग अलग मतदान के लिये रखें जाये तो वह उन संशोधन की संख्या बताये।

श्री नारायण दांडेकर (गोंडा) : संशोधन संख्या 204 और 234 मतदान के लिये इकट्ठे रखे जाये। तत्पश्चात संशोधन संख्या 235 पृथक रूप से मतदान के लिये रखा जाये तथा उसके बाद संशोधन संख्या 239 पृथक् रूपसे मतदान के लिये रखा जाये। मेरे अन्य संशोधन मतदान के लिये इकट्ठे रखे जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 204 और 234 मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 204 और 234 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/
Amendment Nos. 204 & 234 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 235 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। /
Amendment No. 225 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 239 मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 239 मतदान के लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ। /
Amendment No. 239 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : अब मैं श्री दांडेकर के अन्य संशोधन मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 201 से 203, 205 से 207, 236 से 238 और 240 से 250 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/*Amendment Nos. 201 to 203, 205 to 207, 236 to 238 and 240 to 250 were put and negatived.*

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : मेरे संशोधन संख्या 40 से 47 तथा 50 इकट्ठे मतदान के लिये रखे जाये।

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 40 से 47 तथा 50 मतदान के लिये रखता हूं।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 40 से 47 और 50 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए। /*Amendment Nos. 40 to 47 and 50 were put and negatived.*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं संशोधन संख्या 79 और 80 मतदान के लिये रखूंगा।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 79 और 80 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए।/
Amendment Nos. 79 and 80 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :—"कि तीसरी अनुसूची विधेयक का अंग बने"।

लोक सभा में मतदान हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 126; विपक्षमें 18 / Ayes 126; Noes 18.

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।/*The motion was adopted.*

तीसरी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।/ *The Third Schedule was added to the Bill.*

चौथी अनुसूची विधेयक में जोड़ दी गई ।/ *The Fourth Schedule was added to the Bill.*

खण्ड 1 (संक्षिप्त नाम, विस्तार तथा लागू होना)

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : मैं अपने संशोधन संख्या 7 और 8 प्रस्तुत करता हूं ।

श्री काशीराम गुप्त (अलवार) : मैं अपना संशोधन संख्या 51 प्रस्तुत करता हूं ।

अध्यक्ष महोदय : यह संशोधन तथा खण्ड अब सभा के समक्ष हैं ।

श्री काशीराम गुप्त : अब तक ऐसा माना जाता रहा है कि वे छोटे उद्योगों, जिनमें कर्मचारियोंकी संख्या 20 से कम है, इस स्थिति में नही हैं कि मजदूरों के कल्याण सम्बन्धी दायित्वों को पूरा कर सकें परन्तु बोनस की अदायगी विधेयक के अन्तर्गत उन्हें भी बोनस देना पड़ेगा। मेरे विचार में जिन मूल कारणों के आधार पर उन्हे भविष्य निधि तथा कर्मचारी राज्य बीमा योजनाओं से बाहर रखा गया है उन्ही कारणों के आधार पर यह विधेयक भी उन पर लागू नही किया जाना चाहिए । क्यों कि उनको इस बोनस योजना के अन्तर्गत लाने से इन में से अधिकांश लोग या तो कदाचार आरम्भ कर देंगे अथवा हड़तालें होंगी जिससे कारखानों को बन्द करना पड़ेगा। छोटे छोटे उद्योगों के बारे मे अलग नीति अपनाई जानी चाहिये। चूंकि छोटे छोटे उद्योगपति संगठित नही हैं इस लिये बोनस आयोग में उनको कोइ प्रतिनिधित्व नही मिला है, अतः इनके बारे में एक अलग आयोग कि नियुक्ति की जानी चाहिये जो इन के सभी मामलों पर ब्योरेवार विचार करे और तपश्चात इन उद्योगों के सम्बन्ध मे नीति निर्धारित की जाये। जब यह कारखानें मजूरी का $6\frac{1}{4}$ प्रतिशत भविष्य निधि के रूप मे देने की स्थिति में नही हैं तो वह मजूरी की 20 प्रतिशत बोनस के रूप में देने की स्थिति में कैसे हो सकते हैं ।

यदि हम चाहते हैं कि कदाचार न हो और छोटे उद्योगों का विकास हो तो हमे उनकी कठिनाइयों को दूर करना चाहिए और चूंकि उनपर इस बोनस योजना के लागू होने से उनकी वित्तीय कठिनाइयों में वृद्धि हो जायेगी इसलिये हमे ऐसे उद्योगों को बोनस योजना के अन्तर्गत नही लाना चाहिये । अतः मेरा निवेदन है कि मेरे संशोधन को मान लिया जाये ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : मेरे प्रथम संशोधन का पंक्ति 12 और 15 से है जो कि विधेयक के प्रथम पृष्ठ पर है । इससे विधेयक का क्षेत्र तनिक व्यापक हो जायेगा। इसी प्रकार पृष्ठ 2 पर भी परिवर्तन करने की आवश्यकता है। इसके सम्बन्ध में किसी भी प्रकार का स्पष्टीकरण करने की आवश्यकता नहीं ।

श्री संजीवय्या : श्री काशीराम गुप्त का संशोधन स्वीकार नही किया जा सकता। इससे तो फैक्टरी अधिनियम के अंतर्गत फैक्टरी की परिभाषा ही बदल जायेगी । फैक्टरी उसे ही माना जायेगा जहां 20 व्यक्ति कार्य करते होंगे ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त : बात यह है कि छोटे छोटे कारखानों वाले इस विधेयक से बचने का प्रयास कर रहे हैं ।

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 7 और 8 मतदान के लिये रखे गये तथा अस्वीकृत हुए ।/
Amendment Nos. 7 and 8 were put and negatived.

अध्यक्ष महोदय द्वारा संशोधन संख्या 51 मतदानके लिये रखा गया तथा अस्वीकृत हुआ ।/
Amendment No. 51 was put and negatived.

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :– "कि खंड 1 विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ / *The motion was adopted.*

खण्ड 1 विधेयक में जोड़ दिया गया। / *Clause I was added to the bill.*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :– "कि अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक का अंग बने ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।/*The motion was adopted.*

अधिनियमन सूत्र और विधेयक का नाम विधेयक में जोड़ दिये गये ।/*The enacting Formula and the Title were added to the Bill.*

श्री संजीवय्या : मैं प्रस्ताव करता हूं :– "कि विधेयक को, संशोधित रूप में, पारित किया जाय ।"

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

श्री रंगा (चित्तूर) : सामान्यत: हम इस विधेयक के पक्ष में हैं संगठित श्रम नेताओं तथा विशेषत: कार्यिक संघ नेताओं ने काफी समय हुआ यह बात कही थी कि श्रमिको को बोनस के द्वारा पारिश्रमिक देने की पद्धति को कानूनी आधार समझ लिया जाना चाहिए । वर्तमान विधेयक का जो स्वरुप है उससे कई प्रकार की उलझनें पैदा हो जाने की सम्भावना है । यह बात मुझे सन्देहस्पद महसूस हो रही हैं कि इससे श्रमिकों को कुछ बहुत अधिक लाभ होगा । बोनस की मांग कई एक स्थानों पर स्थानीय तौर पर भी की गयी है ।

बोनस आयोग के समक्ष कई एक सुझाव प्रस्तुत किये गये । बहुमत के निर्णय तथा अल्प मत के निर्णय हुए । मेरा निवेदन यह है कि हमें एक बात समझ लेनी चाहिए कि हमारा देश औद्योगिक रूप में विकसित पश्चिमी देशों से भिन्न है । हमारे देश में काम करने वाले श्रमिक अधिकतर वे हैं जो छोटे छोटे कारखानों तथा उद्योगों में काम करते हैं । अच्छा होता यदि सरकार इस विधेयक के उपबन्ध इन लोगों पर भी लागू कर देती । पता नहीं क्यों सरकार ने ऐसा करना ठीक नहीं समझा । आज की स्थिति में मेरा सरकार के समक्ष यह सुझाव है कि एक आयोग की स्थापना की जानी चाहिए ताकि छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वाले लोगों को लाभ उपलब्ध हो, इस बात की जांच करे । उसे यह भी पता करना चाहिए कि छोटे छोटे उद्योगों में काम करने वालों को क्या लाभ पहुंच रहा है और यदि ऐसा न किया गया तो उन पर क्या बुरा प्रभाव पड़ेगा । इस बात पर सरकार द्वारा बहुत ही गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिए ।

अन्त में मेरा यह भी निवेदन है कि श्रमिकों को सहायता देने के लिए सरकार को मामले पर अध्ययन करके कोई इस प्रकार की योजना प्रस्तुत करनी चाहिए कि श्रमिकों को तो लाभ हो परन्तु नियोजकों को कोई विशेषरूप से हानि न उठानी पड़े । यदि ऐसा होगा तो समाज कल्याण कि दृष्टि से विधेयक का क्षेत्र काफी विस्तृत हो जायेगा ।

श्री इन्द्रजीत गुप्त (कलकत्ता-दक्षिण-पूर्व) : बोनस आयोग का प्रश्न एक आधारभूत प्रश्न है । देश में श्रमिक वर्ग में यह आशा थी कि इस आयोग से कोई लाभ दायक बात निकलेगी । यह आशा झूटी सिद्ध हुई है । सरकार ने आयोग की बहुत सी सिफारिशों में फेर बदल कर दिया है । यह कोई बहुत अच्छी बात नहीं । एक खतरनाक परम्परा है, इसका भविष्य में आयोगों पर बहुत बुरा प्रभाव होगा । यही हालत इसी तरह चलते रही तो इस बात का भय है कि ऐसी स्थिति का निर्माण हो जाय जिसमे । औद्योगिक सम्बन्धों में भारी खिचाव पैदा होने की सम्भावना हो जाय ।

विधेयक के सम्बन्ध में मेरा निवेदन यह है कि श्रमिकों की बहुत बड़ी संख्या को विधेयक के अन्तर्गत इस तरह लाया गया है कि काफी संख्या में श्रमिक बोनस से वंचित रह जायेंगे । जिन

लोगों को समझौतो के कारण बोनस प्राप्त हुआ भी था, वे भी अब खंड 34 के उपबन्ध के कारण उससे वंचित हो जायेंगे। विधेयक की तीसरी अनुसूची से बोनस के रूप में भी जाने वाली अतिरिक्त राशि जो कि उपलब्ध थी काफी कम हो गयी है।

सारे मामले में श्रमिकों की दृष्टि से यदि कोई लाभ हुआ है, वह एक ही है वह यह कि न्यूनतम बोनस की व्यवस्था की गयी है। परन्तु इसमें दोष यह है कि न्यायालय द्वारा इन्हें रद्द कर दिया जा सकता है। अतः बड़ी स्पष्ट बात है कि सब कुछ उससे निष्फल हो जायेगा। अतः सारे मामले पर विचार करने के पश्चात मेरा निर्णय यह है कि मैं इस विधेयक का समर्थन नहीं कर सकता।

डा० मा० श्री० अणे (नागपुर) : मैं विधेयक के पक्ष में हूं। यद्यपि इससे सारी समस्यायें हल नहीं होती, फिर भी यह ठीक दिशा की ओर एक कदम है। सरकार द्वारा एक महत्वपूर्ण सिद्धांन्त को स्वीकार कर लिया गया है। श्रम को उद्योग के एक अंग के रूप में मान लिया गया है। इससे यह भी पृष्ट भूमि निर्माण होती है कि आगे चलकर श्रमिकों के लिए और भी कल्याणकारी कार्य हो सकेंगे। श्रमिकों को बोनस का अंश तो मिलता ही है, हानि होने की स्थिति में भी उसे कुछ मिलेगा। अब श्रमिकों का सहयोग उद्योगों को मिल सकेगा। भारत का भविष्य केवल कृषि समृद्धि पर ही आश्रित नहीं, उसका आधार औद्योगिक प्रगति पर भी है। श्रमिकों और नियोजकों में परस्पर सहयोग होना चाहिए। श्रम और पूंजी एक दूसरे में विलीन होकरही हम देश का कल्याण कर सकते हैं। इन शब्दों से मैं विधेयक का समर्थन करता हुं।

श्री अल्वारिस (पंजिम) : हमारा प्रयास यही है कि बोनस आयोग की सिफारिशों को लागू किया जाय। हमनें कोई संशोधन प्रस्ताव नहीं किया है। वैसे संविधान की दृष्टि से बोनस को संविहित रूप दिया गया है यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। इसका स्वागत किया ही जाना चाहिए। परन्तु मुझे इस बात का भय है कि शायद मुकदमे बाजी इससे कम न हो। इसके लिए न्यायाधिकरणों की स्थापना की ही जानी चाहिए।

इस उपबन्ध के बारे में बहुत कुछ कहा गया है कि उन कारखानों में जिन में 20 से अधिक कर्मचारी हैं, कार्य करने वाले सभी लोगों के लिए न्यूनतम बोनस दिया जाय। इस बात को श्रमिक वर्ग स्वीकार नहीं करेगा। यह बात इस समय विचाराधीन है बोनस किसी प्रकार से सरकार का कृपा प्रसाद नहीं है। यह जो उपबन्ध है, इससे अन्य उपबन्धों के गलत प्रभाव कम नहीं होंगे। कम से कम बोनस की अवस्था की गयी है, इसी लिए यह विधेयक स्वागत योग्य है।

विधेयक के दो स्वरूप है। एक संगठन अंग है और दूसरा वित्तीय अंग। सरकार ने कई एक नियोजकों के दायित्व कम कर दिये हैं। उन लोगों के श्रमिकों को बोनस से वंचित होना पड़ा। दूसरे वर्ग में सरकार ने वैसे ही बोनस नहीं दिया। अतः इससे काफी संख्या में श्रमिक वंचित हो गये। वित्तीय स्वरूप तो इस तरह निर्माण किया गया है ताकि औद्योगिक समुदाय को लाभ हो। गत दो वर्षों से वित्त मंत्री निगमित निकायों तथा उन व्यक्तियों को, जो अधिक कर देते हैं, उत्तरोत्तर हिदायत देते रहे हैं। मेरा विचार है कि इस सीमातक उन्होंने हमारी चौथी योजना के संसाधनों को कम कर दिया है। वित्त मंत्री को यह आशा, कि करों में रियायत देने से अधिक आय होगी तथा अधिक पूंजी का विनियोजन होगा, नितान्त गलत सिद्ध हो गयी है। अतः इस रियायत का कोई औचित्य नहीं है।

इस सम्बन्ध में जहां तक वित्तीय स्वरूप की बात है, मेरा यह निवेदन है कि इक्विटी शेयरों के लिए लाभांश की उच्च दर तथा रक्षित राशि पर ब्याज की उच्च दर दे कर औद्योगिक वर्ग को उत्तरोत्तर रियायत देकर श्रम मंत्री ने भी वैसा ही काम किया है जैसा कि वित्त मंत्री ने किया है। अन्य बात यह है कि श्रम मंत्री ने खंड 24 के एक बेकार उपखंड के द्वारा समझौता करने की व्यवस्था की है। परन्तु इन लाभदायक सामूहिक समझौतों का लाभ देने से इन्कार कर दिया गया है। कानून तो अच्छा है परन्तु इस पर यदि सामूहिक रूप से देखा जाता है तो ऐसा महसूस होता है कि कोई

6—31 L.S./65

[श्री अल्वारिस]

क्रान्तिकारी पग आगे नहीं बढ़ा है। कम से कम श्रम मंत्री को बोनस आयोग की न्यूनतम मांगों को स्वीकार कर लेना चाहिए।

डा० मेलकोटे (हैदराबाद) : बोनस प्राप्त करने के लिए श्रमिक वर्ग गत २० वर्षों से संघर्ष कर रहा है। इस सिद्धान्त को स्वीकार किये जाने तक बहुत ही महत्वपूर्ण और ऐतिहासिक बात है। यह सिद्धान्त स्वीकार कर लिया गया है और उसे कानूनी रूप दिया जा रहा है। यह ठीक है कि इस कानून के कुछ उपबन्ध ऐसे है जिन्हें सन्तोषजनक नहीं कहा जा सकता हमें इस प्रकार का वातावरण निर्माण करना चाहिए कि उस विधान में कुछ सुधार किया जा सके।

बहुत सी संस्थाएं इन मामलें को लेकर श्रमिकों में असन्तोष का निर्माण करते रहे हैं उस दृष्टि से तो यह ठीक है परन्तु कई बातें प्रतिगामी हैं इससे भी इन्कार नहीं किया जा सकता। इस पर भी हम इस विधेयक का स्वागत करते हैं।

Shri Balmiki (Khurja) : History is being created in so far as Industrialization of our Country is concerned, this is a step towards the social justice and Social Security. The labour will get something in the shape of bonus. But situation cannot be treated as satisfactory. This Bill is coming in the moments of crisis. In this crisis, it is the prime responsibility of our national Government to satisfy the aspiration of the labour Community. We are facing the crisis very boldly and we should not get frightened at all. We should be prepared to make every sacrifice for the safety of our motherland. They should put in their everything to increase the production.

This Bill will bring employees and employers together. The hon. Minister has done well in incorporating in the Bill the recommendation of the Bonus Commission. This will bring on end to the litigation in this direction. I agree there are labourers who will not be benefited by this legislation. They should also be given. Some advantage some consideration be given to dock workers, Municipal sweepers and others.

About 40 lakh workers will get the facility of bonus, but others should also be assured of this benefit. Apprentices should also get a fair deal. I hope the labour will play their part well in this war situation which the Country is facing, with these words I support this Bill.

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : I am really sorry that I have to oppose this Bill, there is only one thing which is good in the Bill and *i.e.* Minimum bonus for everybody, otherwise there is nothing commendable in it. I am sorry to state that even in this serious crisis, Government has not set aside the class consideration. This Bill will ultimately benefit capitalists and the industrialists. Trade Union organizations were thinking of starting a countrywide agitation against it. Countrywide strike was also organized. But in view of the invasion of India, all these actions were suspended. The labour class had decided to cooperate wholeheartedly with the Government in this crisis. I think it will be good for the Government to withdraw this Bill owing to emergency.

I don't want to critisize any of the opposition party. But some people have done an holy alliance with the Government on this issue. Suggestions are being put forward not being actuated with national considerations but purely class considerations. Government should consult the labour in order to effect change in the Bill. The Bill should be brought before the House after necessary and required amendments.

Shri Yajnik (Ahmedabad) : I have to oppose the Bonus Bill because it is anti-labour-against their interests and their rights. The Government have altered the recommendations of the Bonus Commission to their liking. It is all the more unfortunate that although the hon. Minister is well aware of the agitation and unrest in the minds of the labour, he has remained indifferent to their difficulties.

Many hon. members have expressed their happiness over the declaration of minimum bonus of 4 per cent. But it may be noted that the labour class will not get Bonus automatically. They will have to fight with management in courts etc. to get it and there are many labourers who have no organised Unions to fight and win bonus for them. I submit that this Bill has failed to solve any problem. Provision of minimum percentage of bonus does not solve the whole problem of bonus. I, hereby, make it clear to the Government that though in view of the present conditions in the country, the labour class is quiet and cooperative as present, but later if the present legislation continues, they will raise voice against the capitalists and industrialists of the Country.

I, therefore, request the hon. Minister to review his decision in the light of some very concrete suggestion given by some hon. Members here and in the best interests of labour and working classes and withdraw the present Bill and introduce a revised Bill later.

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : यद्यपि इस विधेयक द्वारा 45 लाख श्रमिकों को बोनस का लाभ होगा और न्यूनतम बोनस निर्धारित करना भी एक महत्वपूर्ण कदम है परन्तु श्रम मंत्री तथा अन्य माननीय सदस्यों द्वारा इतने अधिक संशोधनों से मेरे मन में इसके प्रति संदेह उत्पन्न हो गया है। लगता है यह विधेयक बड़ी बेपरवाही से तय्यार किया गया है और आशा है इसके पालन में अधिक सावधानी बरती जायेगी ।

इस विधेयक में बोनस पूर्णतया लाभ पर आधारित है परन्तु "लाभ" एक बहुत ही अस्पष्ट शब्द है । इस विधेयक में मैंने देखा है कि सभी प्रकार लाभ की मात्रा घटाने वाले खंड रखे गये हैं। इस से हर प्रकार के घोटाले होंगे ताकि लाभ को कम से कम दिखाया जा सके जिस से कम से कम बोनस देना पड़े, क्योंकि सभी मानते हैं कि कोई भी व्यक्ति लाभ कमा कर उसे छोड़ना नहीं चाहता ।

बोनस आयोग की सिफारशें न मान कर सरकार ने एक बहुत ही गलत काम किया है और दोषपूर्ण दृष्टांन्त स्थापित किया है । खेद है कि सरकार ने बहुसंख्यांक निर्णय की उपेक्षा करके एक मात्र सदस्य के मत को आधार मान लिया है मानों वही देववाणी हो। यह दोषपूर्ण रवैया भविष्य में कदापि नहीं अपनाया जाना चाहिये ।

खण्ड 32 में कई अपवादों को मिली छूट की दृष्टि से इसपर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है । मेरा निवेदन है कि श्रममंत्री अगामी 6 मास में इस विधेयक का प्रभाव देख कर और यदि इसमें कुछ त्रुटियां दिखाई दे तो एक संशोधन विधेयक प्रस्तुत करेंगे ताकि वह वास्तव में एक कल्याणकारी विधेयक सिद्ध हो ।

श्री संजीवय्या : इस विधेयक के लागू होने के पश्चात यदि किसी कठिनाई का अनुभव हुवा तो हम उन्हें दूर करने का भरसक प्रयत्न करेंगे इसका मैं आश्वासन देता हूं। खण्ड 37 में इसका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। बोनस आयोग की सिफारिशें सरकार द्वारा न माने जाने पर यहां काफी आलोचना की गई है। परन्तु आपको याद होगा कि इस आयोग की नियुक्ति के समय श्रम मंत्री (श्री नन्दा) ने स्पष्ट रुप से कहा था कि सरकार को आयोग की सिफारिशों में

[श्री संजीवय्या]

संशोधन करने की खुली छूट होगी यदि वे सिफारिशें एक मत से न की गई हो। इस लिए हमने जो उचित समझा किया। मजूरी बोर्डो कि सिफारिशें भिन्न प्रकार की हैं और इन्हें मालिकों तथा श्रमिकों के सद्भाव के हित में मानना ही पड़ता है। जब सरकार की आलोचना नियोजकों तथा श्रमिकों दोनों के प्रतिनिधियों द्वारा हो तो समझना चाहिये कि सरकार ने पक्षपात रहित पग उठाया है।

कई सदस्यों ने खण्ड 20 तथा 32 की आलोचना की है। खण्ड 20 का सम्बन्ध सरकारी क्षेत्र की परिभाषा से है और यह बोनस आयोग की मतैक्य से की गयी सिफारिश के अतिरिक्त कुछ नहीं है। खण्ड 32 भी लगभग इन्हीं के आधार पर बनाया गया है। कुछ सदस्यों ने नाविकों (सीमैन) तथा गोदी कर्मचारियों को इसमें शामिल न किये जाने की भी आलोचना की है परन्तु यह बोनस आयोग की सिफारिश के ही अनुकूल है और इसी लिए हमने विभिन्न गोदी श्रमिक बोर्डों को बोनस संबंधी सूत्र लागू करने के बारे में पूछताछ की है और इस संबंध में वे कार्यवाही आरम्भ कर भी चुके हैं।

धारा 10 के बारे में जहां लगभग सभी लोगों को हर्ष हुआ है वहां कुछ माननीय सदस्यों ने आशंका व्यक्त की है। परन्तु मेरा विश्वास है कि निर्धन वर्ग को सामाजिक तथा आर्थिक न्याय मिलने के तर्क के बल पर सभी न्यायालय उनके पक्ष में ही अपना निर्णय देंगे।

अन्त में मैं सभी श्रमिकों तथा नियोजकों से औद्योगिक शान्ति बनाये रखनेकी अपिल करता हूं और विश्वास दिलाता हूं कि सभी कठिनाइयां दूर करने का प्रयत्न किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि विधेयक को, संशोधित रूप से पारित किया जाये"।

लोक-सभा में मतविभाजन हुआ।/*The Lok Sabha divided.*

पक्ष में 85; विपक्ष में 16; Ayes 85. Noes 16 ।

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ। /*The motion was adopted.*

संघ राज्य-क्षेत्र (लोक-समा के लिये प्रत्यक्ष निर्वाचन) विधेयक

UNION TERRITORIES (DIRECT ELECTION TO THE HOUSE OF THE PEOPLE) BILL

गृह-कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री हाथी) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि लोक-सभा में कुछ संघ राज्य क्षेत्रों के लिए नियत स्थानों को भरने के लिए वहां पर प्रत्यक्ष निर्वाचन तथा तत्सम्बन्धी विषयों की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर विचार किया जाए।"

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : मेरा एक व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न प्रस्ताव प्रस्तुत किये जाने के पश्चात ही उठाये जाने चाहिए। सदस्य महोदय प्रस्ताव पर होने वाले भाषण के पश्चात अपना प्रश्न रख सकते हैं। माननीय मंत्री बताये कि उन्हें कितना समय लगेगा ?

श्री हाथी : इस विधेयक के लिए एक घंटा निश्चित है और मैं 15 मिनट से अधिक नहीं लूंगा।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा, श्री कामत, अभी अपना प्रश्न रख सकते हैं।

श्री हरि विष्णु कामत : प्रक्रिया नियमों के नियम 69(1) की ओर ध्यान आकर्षित करने से पूर्व मैं विधेयक से संलग्न वित्तीय ज्ञापन में दिखाये गये 76,000 रुपये के व्यय की ओर ध्यान दिलाना हूं चाहता क्योंकि यह स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या यह राशि आवर्ती होगी अथवा अनावर्ती। मैं इसी पर आपका निर्णय चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मंत्री महोदय को इस संबंध में कुछ कहना है ?

श्री हाथी : यह तो सीधी-सी बात है। यह धन जब जब चुनाव होंगे खर्च होगा। मुझे तो इस में व्यवस्था का कोई प्रश्न दिखाई नहीं देता।

श्री हरि विष्णु कामत : वित्तीय ज्ञापन में तो यह स्पष्ट नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : साधारणतया श्री कामत का प्रश्न उचित है और सरकार को दोनों मदों में व्यय पृथक रुप से दिखाना चाहिये परन्तु यदि ऐसा नहीं किया गया तो इसका अर्थ यह भी नहीं है कि विधेयक को अस्वीकार कर दिया जाये। चर्चा के दौरान भी सरकार इस व्यय के बारे में विस्तार रूप से बता सकती है और यहां यही अधिक उचित होगा।

श्री हरि विष्णु कामत : क्या प्रत्येक चुनाव में यही राशि व्यय होगी ?

श्री हाथी : मैंने तो केवल एक साधारण रूपसे अनुमान ही बताया है।

[**उपाध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए**
MR. DEPUTY SPEAKER *in the Chair*]

अन्दमान और निकोबार द्वीपसमूह, लक्कदीप मिनीकाय और अमीनदीवी द्वीपसमूह और दादरा तथा नगर हवेली के संघ राज्य क्षेत्रों में प्रत्यक्ष निर्वाचन की मांग वहां की जनता तथा यहां माननीय सदस्यों की मांग के फलस्वरुप यह विधेयक प्रस्तुत किया गया है। और यह अब सम्भव इसलिये हो सका है क्योंकि अब यातायात की सुविधायें वहां काफी मात्रा में उपलब्ध हैं।

विधेयक के खण्ड 3 से 6 प्रभावी हैं। खण्ड 3 में प्रत्येक संघ राज्य क्षेत्र को संसदीय निर्वाचन क्षेत्र बनाने का उपबन्ध है। खण्ड 4 और 5 लोक प्रतिनिधित्व अधिनियम 1950 में संशोधन करने के संबंध में है। खण्ड 6 में लोक-सभा के वर्तमान सदस्यों को तब तक बने रहने का उपबन्ध है जब तक प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा नये सदस्य न चुन लिये जायें।

मेरे विचार से इस विधेयक का सभी सदस्य स्वागत करेंगे। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक सभा के समक्ष रखता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ।

श्री प्र० के० देव (कालाहांडी) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं गृह मंत्रालय को बधाई देता हूं कि उस ने मेरे सुझावों में से एक सुझाव के स्वीकार करके उसकी इस विधेयक में व्यवस्था की है और मुझे पूर्ण आशा है कि सभी सदस्य इसका समर्थन करेंगे।

मेरा एक सुझाव यह था कि सामरिक महत्व के इन महाद्वीपों में उनकी अपनी एक प्रतिनिधि सरकार होनी चाहिये तथा उनका अपना एक विधान मंडल होना चाहिये जिससे वे लोग उस राज्य क्षेत्र

[श्री प्र० के० देव]

के प्रशासन में अपना योग दे सकें। वहां पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रुप से निर्वाचनों की कैसे आशा की जा सकती है जहां पर इतना केन्द्रीयकृत तथा वैयक्तिक प्रशासन है। वहां पर मुख्य आयुक्त ही सब कुछ है। वह न केवल कार्यकारी अधिकारी ही है परन्तु नैमित्तिक मजदूरों का मुख्य नियोजक और श्रम आयुक्त भी है। मजदूरों तथा नियोजकों के बीच झगड़ों का निपटारा भी उसी द्वारा किया जाता है क्योंकि वहां पर न्यायपालिका तथा कार्यपालिका अलग अलग नहीं है। वहां पर तथा गृह मंत्रालय में जो सलाहकार समितियां हैं वे दोनों नामनिर्देशित निकाय हैं। मेरे विचार में वहां पर स्थानीय निकायों का निर्वाचन होना चाहिये। जब मंत्रालय वहांपर स्थानिय विधान मंडल स्थपित करने का निर्णय करे तो उन्हे वहां के लिये आनुपातिक प्रतिनिधित्व की व्यवस्था करनी चाहिये, जिससे वहां पर विभिन्न हितों को उचित रूप से प्रतिनिधित्व मिल सके। यदि 65,000 की आबादी वाले 3,000 वर्ग मील के छोटे से क्षेत्र में एक उत्तरदायी सरकार बनाना सम्भव नहीं है तो इन द्वीपों को भारत के मुख्य क्षेत्रों के साथ मिला दिया जाना चाहिये। पश्चिमी बंगाल के साथ इन द्वीपों का काफी सम्बन्ध है। यह कलकत्ता उच्च न्यायालय के अधीन है और वहां की लकड़ी आदि के लिये मंडी भी कलकत्ता ही है। इसके अतिरिक्त चूंकि पूर्वी बंगाल से आने वाले शरणार्थियों के आ जाने से पश्चिमी बंगाल पर काफी बोझ आ पड़ा है, अतः इन द्वीपों को पश्चिमी बंगाल में मिला दिया जाना चाहिये जिससे पूर्वी पाकिस्तान से आने वाले शरणार्थियों को वहां पर बसाया जा सके। वहां पर 50,000 लोगों को बड़ी आसानी से बसाया जा सकता है। अतः सरकार को इस पर विचार करना चाहिये।

इसी तरह दादरा तथा नगर हवेली को गुजरात में तथा मिनिकाय, लक्कदीव तथा अमीनदीव द्वीप समूह को केरल में मिलाया जा सकता है जिससे वहां के लोग यह महसूस करे कि प्रशासन में उनका भी कुछ हाथ है। यदि इन क्षेत्रों से प्रतिनिधियों का निर्वाचन ही करना है, तो वहां के निर्वाचित प्रतिनिधियों को प्रशासन के सभी स्तरों से सम्बन्धित करना चाहिये।

डा० रानेन सेन (कलकत्ता-पूर्व) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

पश्चिमी बंगाल में मिले समाचारों के अनुसार अन्दमान में मुख्य आयुक्त का एकतंत्रीय शासन है। वहां पर प्रजातंत्र का तो नाम ही नहीं है। श्रमिकों की दशा भी बहुत बुरी है। अतः वहां पर अभी से ही ऐसा आधार तैयार किया जाना चाहिये जिससे वहां पर स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से चुनाव हो सके।

वहां पर भिन्न भिन्न भाषायें बोलने वाले कई ग्रुप हैं पर उन लोगों को अपनी अपनी मातृभाषा सीखने के लिये कोई सुविधा नही है।

यदि संचार की पर्याप्त व्यवस्था हो जाये तो मिनिकाय तथा अमीनदीव द्वीप समूह को केरल के साथ अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह को पश्चिमी बंगाल के साथ तथा नगर हवेली को महाराष्ट्र अथवा गुजरात के साथ मिला दिया जाना चाहिये क्योंकि यह क्षेत्र सामरिक महत्व के हैं।

अन्दमान तथा निकोबार समूह में औद्योगिक तथा कृषि सम्बन्धी क्षमता के विकास के लिये अधिक उपाय किये जाने चाहिये। सरकारी क्षेत्र के माध्यम से वहां का आर्थिक विकास करने के लिये पर्याप्त ध्यान दिया जाना चाहिये। वहां पर प्लाई तकड़ी के तथा अन्य कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र की बजाय सरकारी क्षेत्र में खोले जाने चाहिये।

वहां पर विधान सभायें स्थापित की जानी चाहियें ताकि 2-3 वर्ष के पश्चात् वहां पर लोग अपनी सरकार बना सकें। सामरिक तथा भारत की सुरक्षा की दृष्टि से यह क्षेत्र बहुत ही महत्वपूर्ण हैं अतः सरकार को इनकी ओर पर्याप्त ध्यान देना चाहिये। स्वतंत्र तथा निष्पक्ष रूप से चुनाव कराके वहां पर लोकतंत्रीय संस्थाओं को प्रोत्साहन दिया जाना चाहिये।

श्री कन्डप्पन (तिरुचेंगोड) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। फिर भी मैं कुछ सुझाव देना चाहता हूं। मुझ से पहले बोलने वाले सदस्यों ने ठीक ही कहा है कि अन्दमान तथा निकोबार समूह में वस्तुतः मुख्य आयुक्त ही शासक है। इसके दो कारण--एक तो इन द्वीपों की भौगोलिक स्थिति है तथा दूसरा कारण वहां पर न्यायालयों के नियंत्रण का न होना है। वहां पर दैनिक प्रशासन पर न्यायिक नियंत्रण होना बहुत आवश्यक है।

अन्दमान तथा निकोबार समूह में बंगला, तमिल तथा अन्य राष्ट्रीय भाषाओं के माध्यम से शिक्षा देने का भी प्रबन्ध किया जाना चाहिये।

भारत के मुख्य भू-खण्ड तथा इन द्वीपों के बीच संचार सेवा में सुधार होना चाहिये।

इन द्वीपों के आर्थिक विकास के लिये सरकार ने पिछले 18 वर्षों में कोई ध्यान नहीं दिया है। वहां पर इस बात का अनुसंधान किया जाना चाहिये कि क्या वहां पर रबड तथा चाय पैदा की जा सकती है। यह भी पता चला है कि वहां पर "तूना" नामक मछली पाई जाती है जिसकी विदेशों में भी काफी मांग है। अतः हमें वहां पर मीन क्षेत्रों का विकास करना चाहिये ताकि इन द्वीपों में आत्म-निर्भर अर्थ-व्यवस्था कायम की जा सके।

श्री दी० चं० शर्मा (गुरदासपुर) : उपाध्यक्ष महोदय, श्रीमान्, यह एक अच्छी बात है कि दादरा और नगरहवेली के लोगों को लोक-सभा में उन द्वारा प्रत्यक्ष रूप से चुने गये प्रतिनिधियों द्वारा प्रतिनिधित्व दिया जा रहा है।

भारत में प्रत्येक राज्य का अपना आपना स्वरुप तथा व्यक्तित्व है अतः इन के क्षेत्रों में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये। अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह, नगरहवेली और दादरा तथा लक्कादीव, मिनिकाय और अमीनदीव समूह को अन्य राज्य में नहीं मिलाया जाना चाहिये। जहां यहां उत्तर प्रदेश जैसे बड़े बड़े राज्य हैं वहां पर यह छोटे छोटे स्थान भी होने चाहिये। अतः इनको किसी राज्य में नहीं मिलाया जाना चाहिये।

इन द्वीपों के बारे में मूल समस्या तो यह है कि वहां पर संचार साधनों की कमी है। अतः संचार साधनों का विकास किया जाना चाहिये।

भारत में भाषा सम्बन्धी झगड़ों की कोई कमी नहीं है, ईश्वर के नाम पर इन द्वीपों में भाषा सम्बन्धी झगड़ोंको नहीं उठाया जाना चाहिये।

इन द्वीपों के नाम बदल दिये जाने चाहिये ताकि वहां के लोगों के प्रगति तथा विकास सम्बन्धी विचारों को नई दिशा मिल सके। अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह का नाम बदल कर नेताजी सुभाषचन्द्र बोस द्वीपसमूह रखा जा सकता है।

अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूहके मुख्य आयुक्त को इन द्वीपों के आर्थिक विकास की ओर अधिक ध्यान देना चाहिये। अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह तथा लक्कदीव, मिनिनकाय और अमीनदीव द्वीपसमूह सामरिक दृष्टि से महत्वपूर्ण हैं अतः प्रतिरक्षा मंत्रालय तथा गृह-मंत्रालय दोनों को इन द्वीपों के विकास की ओर ध्यान देना चाहिये क्योंकि जैसा आपको पता है द्वितीय विश्व युद्ध में जापान ने इन पर कब्जा कर लिया था और अब भी कुछ विदेशी जहाज़ वहां देखे गये हैं।

श्री छ० म० केदरिया (मांडवी) : मैं विधेयक का स्वागत करता हूं। दादरा तथा नगरहवेली के लोगों ने जिस वीरता से स्वतंत्रता प्राप्त की है, मैं उनको बधाई देता हूं।

[श्री छ० म० केदरिया]

वहां की समस्या यह है कि वहां पर जो वरिष्ठ पंचायत है वह एक सलाहकार निकाय है। जनता की यह मांग है कि वरिष्ठ पंचायत को कुछ कार्यपालिका-शक्तियां दी जानी चाहिये तथा इसे वरिष्ठ परिषद अथवा ऐसा ही कोई अन्य निकाय बना दिया जाना चाहिये। वहां पर भूमि सुधार नहीं किये गये हैं अतः वहां पर भू-धृति अधिनियम लागू किये जाने चाहिये। सरकार को इन द्वीपों में औद्योगिक तथा कृषि विकास की ओर पूरा ध्यान देना चाहिये तथा उस क्षेत्र के विकास के लिये अधिक राशि की व्यवस्था की जानी चाहिये।

श्री हरि विष्णु कामत : श्रीमान्, चूंकी प्रधान मंत्री ने यह पक्का निश्चय कर लिया है कि गोआ में इसके भावी ढांचे का फैसला करने के लिये निकट भविष्य में चुनाव होने चाहिये और चूंकि दादरा और नगरहवैली का भविष्य दमन तथा दीव के भविष्य के साथ जुड़ा हुआ है अतः यह विधेयक कुछ जल्दी लाया गया है क्योंकि यदि दिसम्बर अथवा आगामी जनवरी में निर्वाचन होते हैं और यह निश्चय हो कि इन द्वीपों को साथ वालों राज्यों में मिला दिया जाये तो हमें गोआ, दादरा तथा नगरहवेली को गुजरात राज्य में मिलाना पड़ेगा और ऐसा करने के लिये हमें इस अधीनियम में आगामी वर्ष संशोधन करना पड़ेगा।

श्री दी०चं० शर्मा ने सुझाव दिया है कि अन्दमान तथा निकोबार का नाम नेताजी सुभाष चन्द्र बोस द्वीप समूह रखा जाना चाहिये। पहले कि इस बारे में मैं कुछ कहूं, मैं उन्हें यह बता देना चाहता हूं कि इन द्वीपों पर जापान ने कब्जा नहीं किया था परन्तु इन पर कब्जा तो आज़ाद हिन्द फौज ने किया था। मैं उनसे सहमत हूं कि इन का नाम बदल दिया जाना चाहिये। परन्तु यह उचित होगा तथा हमारे राष्ट्रीय मत की मुख्य लहर के अनुरूप होगा कि अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह का नाम बदल कर स्वराज्य तथा शहीद द्वीपसमूह रखा जाना चाहिये जैसा कि नेताजी ने इच्छा प्रकट की थी। मैंने यह सुझाव पहले प्रथम संसद में भी दिया था परन्तु उस समय सरकार ऐसा करने के लिये तैयार नहीं हुई थी। यह एक अच्छी बात है कि अब यह तीन संघ राज्य क्षेत्र प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधियों को लोक सभा में भेज सकेंगे।

ऐसे राज्य क्षेत्र को निकटस्थ राज्यों में मिलाने के प्रस्ताव पर गम्भीरता से विचार किया जाना चाहिये। गोआ, दमन तथा दीव के भविष्य के बारे में तो निर्वाचन हो रहे हैं। परन्तु अन्य क्षेत्रों के बारे में मैं यह कहना चाहता हूं कि पांडिचरी को तमिलनाड में करायकल तथा यमन को आन्ध्र प्रदेश में और माहे को केरल में मिला दिया जाना चाहिये। अन्दमान तथा निकोबार द्वीप समूह के सामरिक महत्व को ध्यान में रखते हुए इनको पश्चिमी बंगाल के साथ नहीं मिलाया जाना चाहिये। वहां पर एक नौसैनिक अड्डा स्थापित किया जाना चाहिये क्योंकि इन्दोनेशिया चीन की सहायता से हिन्दमहासागर में नौसेना का एक अड्डा स्थापित करने जा रहा है। मुझे पूरा विश्वास है कि वह दिन दूर नहीं है जब अन्दमान तथा निकोबार द्वीपसमूह के लोगों की या तो अपनी विधान सभा होगी अथवा वे पश्चिमी बंगाल विधान सभा में अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे।

मेरे विचार में जम्मू तथा काश्मीर के लोग अभी तक प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि लोक सभा में नहीं भेज सके हैं। हम उस दिन की प्रतीक्षा में हैं जब वे भी प्रत्यक्ष निर्वाचन द्वारा अपने प्रतिनिधि भेज सकेंगे।

खण्ड 6 अनावश्यक है क्योंकि खण्ड 3 में आगामी सामान्य निर्वाचनों का उल्लेख है और इसमें यह स्पष्ट कर दिया गया है कि आगामी सामान्य चुनाव होने तक संसद में उनको प्रतिनिधित्व देने के बारे में वही उपबंध लागू होंगे जो कि अब विद्यमान हैं। अतः खण्ड 6 की कोई आवश्यकता नहीं है इसे हटा दिया जाना चाहिये।

Shri R. S. Pandey (Guna) : I congratulate Shri Hathi for bringing forward this Bill. It will fulfil the desire of the people of three Union Territories to send their representatives to Lok Sabha through direct election. These islands have their own history and culture. By giving them the right to elect their representatives, we are giving them equal rights which are fundamental rights in a democracy.

I agree with the feelings expressed by Shri Kamath and Prof. Sharma. Netaji hoisted the national flag in those islands even before the independence of India was achieved.

Attention should be paid to the economic development of these Union Territories. A high powered commission should be appointed to conduct a survey of those territories in order to find out economic, industrial and mineral potential. Those areas have great potentialities of industrial development.

Agricultural units are very small there. An agricultural survey should also be conducted there. There can be a good production of foodgrains in those islands. This area should be developed economically.

Regional language of these territories should be developed. Steps should also be taken to propagate Hindi. Hindi will lead to unity in those areas.

Shri Yashpal Singh (Kairana) : Mr. Deputy Speaker, Sir, I congratulate the Minister for having brought this Bill before the House. It should have been done some years ago but it is better late than never.

India is a democracy and such Bill should be brought for other small territories also. In Pakistan, not a single election has been held so far. On the contrary, even the remotest parts of our Country are being given representation in Lok Sabha on the basis of direct election.

I congratulate the people of Andaman and Nicobar. We are proud of them. They have one language and one culture and they have equal faith in India.

The system of nominating members to Lok Sabha should be dispensed with. The Minister deserves congratulation, for giving this right of election to the people of Andaman and Nicobar. We all support this bill and it should be passed without any delay.

Shri Balmiki (Khurja) : I support this Bill. At a time when Pakistan has launched an attack on our Country, we are working to make the democratic system strong in this country. No general election has been held in Pakistan. Pakistan and China are jealous of the progress achieved in our Country and that is why Pakistan has attacked us.

Although the territories to which this bill pertains are far away, yet they are linked with other parts of the country by bonds of love and goodwill. The residents of those islands are our part and parcel. It is clear that there is a strong feeling in Dadra and Nagar Haveli to merge with India. I praise their feelings. The people of Andaman and Nicobar islands have helped the country in the attainment of freedom.

[Shri Bulnigi]

I support the suggestion of Shri D. C. Sharma to name Andaman and Nicobar Islands after Netaji Subhash Chandra Bose. These islands are of strategic importance. In view of strategic importance navy should be strengthened.

It is good that the right of representation is being given to those islands. This will lead to the awakening among the people of those islands. Red tapism, which is prevalent there, should end. An assembly or a Council should be constituted that those people can participate in their Government. They should not be merged with any state. They have seperate culture of their own. The Government of India should pay special attention to the ecomonic and political development of those territories. More and more money should be spent on those islands so that they may develop and play their part in the defence of the Country. With these words I support the Bill.

श्री श्यामलाल सर्राफ (जम्मू तथा काश्मीर) : श्रीमान्, मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि इन राज्य क्षेत्रों में से प्रत्येक का अपना पृथक इतिहास, परम्परा और संस्कृति है। इस बात को ध्यान में रखते हुये इस समय हमें उन्हें समीपस्थ राज्यों या क्षेत्रों के साथ मिलाने की जल्दी नहीं करनी चाहिये यह मामला उन राज्य क्षेत्रों के लोगों पर ही छोड़ दिया जाना चाहिये।

एक ऐसे देश में, जिसकी लोकतंत्र में निष्ठा है, वास्तव में यह एक बहुत अच्छी बात है कि सब छोटे एककों को, जो देश में बहुत दूर दूर हो सकते हैं, एकीकृत किया जा रहा है और उन्हें मताधिकार दिया जा रहा है।

यह ठीक कहा गया है कि उन्हें शिक्षा की आवश्यकता होगी, उन क्षेत्रों के बहुमुखी विकास के लिए एक उचित सर्वेक्षण किया जाना चाहिये।

हमें उन लोगों के प्रतिनिधियों से उनकी कठिनाईयों का पता लगना चाहिये। जहां तक केन्द्रीय सरकार का सम्बन्ध है, उसे किसी प्रकार के भी दबाव में नहीं आना चाहिये। यह आवश्यक है कि उन क्षेत्रों का, शेष देश के समान, उचित विकास किया जाये।

तेल सम्बन्धी नीति पर वक्तव्य के बारे में प्रस्ताव

MOTION RE : STATEMENT ON OIL POLICY

श्री स० मो० बनर्जी (कानपुर) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा पेट्रोलियम और रसायन मंत्री के तेल सम्बन्धी नीति के बारे में वक्तव्य पर, जो 16 अगस्त, 1965 को सभा-पटल पर रखा गया था, विचार करती है।"

जैसा कि सभा को विदित है, इस वर्ष मई, जून और जुलाई के महिनों में मिट्टि के तेल तथा डीज़ल की कमी के कारण देश में गम्भीर स्थिति उत्पन्न हो गई है। विदेशी तेल कम्पनियां, जो कि भारी लाभ कमा रही हैं, इस संकट के लिये ज़िम्मेवार हैं। उत्तर प्रदेश, बिहार राजस्थान तथा पंजाब में मिट्टी के तेल की बहुत कमी है और एक बोतल मिट्टी का तेल 1.50 रुपये में भी उपलब्ध नहीं हैं।

माननीय मंत्री ने इस बात से इनकार नहीं किया है कि कुछ तत्व संकट उत्पन्न करने के लिये उत्तरदायी हैं। यह संकट उस समय उत्पन्न किया गया था जबकि हमारी सेनायें कच्छ की रन में पाकिस्तानी आक्रमण के विरुद्ध लड़ रही थीं। इसी कारण मंत्री महोदय ने भारत रक्षा अधिनियम के अन्तर्गत शक्तियां प्राप्त करना उचित समझा है।

श्री हरि विष्णु कामत (होशंगाबाद) : जो पुस्तिका "आयल प्राफिटस एंड पराईसिज" के नाम से वितरित की गई है, उसके लेखक तथा मंत्रालय का नाम उस पर नहीं दिया गया है। किसी सरकारी पुस्तिका के सम्बन्ध में ऐसा पहली बार हुआ है।

पैट्रोलियम और रसायन मंत्री (श्री हुमायून कबीर) : यह सरकारी दस्तावेज़ नहीं है।

श्री स० मो० बनर्जी : मंत्री महोदय ने 16 अगस्त के वक्तव्य में कहा है कि सरकार ने पूर्वोपाय के रूप में भारत रक्षा नियमों के अन्तर्गत भारी शक्तियां अपने हाथ में ले ली हैं। माननीय मंत्री इन तेल स्वामियों के इतिहास को भली भान्ति जानते हैं। उन्होंने ईरान की समूची अर्थव्यवस्था बिगाड़ दी थी, वे केवल तेल कम्पनियां ही नहीं है, वे राजनीतिज्ञ हैं, व्यापारी हैं और साम्राज्यवादी शक्तियों के प्रभावशाली तत्त्व हैं। वे हमारे देश पर, जो आत्म निर्भरता की ओर बढ रहा है, बुरी दृष्टि रखती है, और उनके साथ वही व्यवहार किया जाना चाहिये, जिसके वे योग्य हैं।

यह प्रसन्नता की बात है कि माननीय मंत्री ने कहा है कि हमारी नीति में परिवर्तन नहीं होगा। इन तेल कम्पनियों ने कर्मचारियों की छंटनी आरम्भ कर दी है। हमने श्रम मंत्री और पैट्रोलियम तथा रसायन मंत्री से इन श्रमिकों की सहायता करने की प्रार्थना की है।

अब समय आ गया है जबकि हमें अपनी नीति निर्धारित करनी चाहिये और हम इन कम्पनियों को अपनी शर्तों पर चलायें। भूतपूर्व मंत्री श्री के० दे० मालवीय ने यह बात बिल्कुल स्पष्ट कर दी थी कि यदि वह कम्पनियां भारत में रहना चाहती हैं तो उन्हें हमारी शर्तों पर चलना होगा। मुझे आशा है कि श्री हुमायून कबिर भी यह घोषणा करेंगे कि यदि इन कम्पनियों ने उचित व्यवहार न किया तो उनका राष्ट्रीयकरण कर दिया जायेगा। हमें इन सार्थों का राष्ट्रीकरण करना चाहिये।

हमें यह सुनिश्चित करना चाहिये कि चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के अन्त तक कम से कम 50 प्रतिशत वितरण केंद्रों पर इंडियन आयल कम्पनी का नियंत्रण हो। माननीय मंत्री को इस गम्भीर स्थिति को ध्यान में रखना चाहिये। हमारी सभी सीमाओं पर आक्रमण हो रहा है और यदि यह साम्राज्यवादी हम से अपनी शर्तें मनवायें तो हम बहुत कठिनाई में पड़ जायेंगे। इन तेल कम्पनियों ने समाजवादी देशों से प्राप्त किये गये तेल को साफ़ करने से इन्कार कर दिया है। इस मामले पर सभा को विचार करना चाहिये।

माननीय मंत्री को बताना चाहिये कि यह सुनिश्चित करने के लिए, कि मिट्टी के तेल का वितरण उचित रूप से हो, क्या कार्यवाही की गई है। ग्रामों में तथा छोटे नगरों में स्वर्ण की तुलना में मिट्टी के तेल की एक बोतल का अधिक महत्व है। लोग मिट्टी का तेल चाहते हैं और उचित मुल्य पर चाहते हैं।

मेरी माननीय मंत्री से प्रार्थना है कि वह एक ऐसी सुदृढ नीति की घोषणा करें जिससे तेल कम्पनियों पर ऐसा प्रभाव पड़े कि वे अनुभव करें कि वे अपनी मनमानी नहीं चला सकते ताकि हम कम से कम उन तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण करने की एक ठीक नीति पर चल सकें।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

श्री भागवत झा आज़ाद (भागलपूर) : माननीय मंत्री के वक्तव्य का मैं स्वागत करता हूं। उसमें कुछ एक अच्छी घोषणायें हैं। परन्तु हमारा इस समय सम्बन्ध कुछ ऐसी प्रवृत्तियों से है जो अपना सिर उठा रही है। माननीय मंत्री ने कहा है कि हमने रूस से समझौता किया है। हमें डीजल और मिट्टी का तेल वहां से प्राप्त हो जायेगा। और हमारी कमी पूरी हो जायेगी। मेरा निवेदन है कि इस सम्बन्ध में सरकार को जो तेल नीति श्री नेहरू ने बनाई थी, उसकी हमें याद है। उस समय श्री के० दे० मालवीय तेल मंत्री थे। अब जो तेल नीति है उसमें कुछ बातें क्षुब्ध करने वाली है। मेरा अनुरोध यह है कि सरकार को इस बात का ध्यान रखना चाहिये कि जो पुरानी नीति अपनाई गयी थी उसमें कोई परिवर्तन न किया जाय। उस नीति को चालू रखा जाना चाहिये।

[श्री भागवत झा आझाद]

जहां तक तेल की खोज का प्रश्न है, यह तो स्पष्ट ही है कि प्राकृतिक गैस आयोग इसी प्रयोजन के लिए स्थापित किया गया था। आरम्भ में तो इसका कार्य काफी अच्छा रहा और काफी महत्वपूर्ण परिणाम रहे। परन्तु अब स्थिति काफी बदल रही है। अब तो वह एक मात्र कागजी संगठन बन कर रह गया है। उसे किसी भी प्रकार का जोखिम लेकर तेल की खोज करने के कार्य को हाथ में लेने की अनुमति नहीं दी जाती। मेरा विचार है कि यह शायद विदेशी तेल कम्पनियों की प्रेरणा पर ही किया जा रहा है। ये कम्पनियां इस दिशा में प्रत्येक प्रकार की रूकावटें डालनें का प्रयास कर रही हैं। वे चाहती है कि हमें और तेल न उपलब्ध हो। इस सारी परिस्थिति के कारण ही मेरा निवेदन यह है कि मंत्रीजी को यह स्पष्ट कह देना चाहिये कि उस तेल नीति में कोई परिवर्तन नहीं किया जाना चाहिये जो कि चल रही है। तेल प्राकृतिक गैस आयोग को स्पष्ट कह देना चाहिये कि उन्हें इस दिशा में कार्य करने की पूरी छूट दी जायेगी।

अब मैं अन्तिम और महत्वपूर्ण बात की ओर आता हूं। वह यह कि तेल कम्पनियों के साथ समझौते किये गये। मेरा निवेदन है कि जहां तक इन तेल कम्पनियों के साथ समझौते का सम्बन्ध है, मंत्री महोदय कहते है कि वह सन्तोषजनक ढंग से चल रहा है। परन्तु वास्तव में स्थिति क्या है? स्थिति यह है कि अब भी तेल पर्याप्त मात्रा में उचित मूल्यों पर उपलब्ध नहीं है। इसके बारे में छः-सात बाते सरकार को बतानी चाहिये। विदेशी सहयोग के बारे में यदि पूर्व निर्धारित सिद्धान्तों को माना जाय तो यह अच्छी बात होगी। यदि ऐसा नहीं हो पाता तो तेल मंत्री के पास इसके लिए कोई रक्षा उपाय होने चाहिये। हमें इस बात को भी ध्यान से देखना चाहिये कि बर्मा शैल कम्पनी जो कि विदेशी तेल कम्पनियों में सब से बड़ी है हम पर अनचित दबाव भी डाल रही है। वह ब्रिटीश सरकार के समान ही हम पर दबाव डालने का प्रयास कर रही है कि इस कठिन संघर्ष में हम पाकिस्तान से समझौता कर ले। इन सब बातों के लिये संरक्षण होना चाहिये।

अतः मेरा कहना है कि मंत्री महोदय को वक्तव्य देना चाहिये कि पुरानी तेल नीति कायम रहेगी, और उसमें कोई परिवर्तन नहीं किया जायेगा।

श्री अल्वारेस (पंजिम) : इस समय सरकार की तेल नीति पर चर्चा करने का बड़ा महत्व है। हमारे देश की प्रतिरक्षा में तेल का विशेष स्थान है। आज जब बहुत से देश हमें आखें दिखा रहें है हमें तेल को प्राथमिकता देनी ही चाहिये। यह हमारी नीति का आधारभूत तथ्य है। इसके तीन अंग है। उत्पादन, मूल्य तथा वितरण। सरकार इस दिशा में स्वतंत्र नीति अपना रही है। इसमें भी कोई सन्देह नहीं कि इस दिशा में हमने कुछ प्रगति भी की है। यद्यपि आयात के मामले में महम आत्मनिर्भर नहीं हो सके, इसलिये कि वर्तमान स्थिति में ऐसा करना खतरनाक होगा। हमें इस बात का ध्यान रखना चाहिए कि तेल का बहुत ही अधिक सामरिक महत्व है। इससे हमें भारी लाभ भी पहुंच सकता है और अपार हानि भी हो सकती है। अतः जितनी शीघ्रता से उसका राष्ट्रीयकरण कर लिया जाय अच्छा है। यह देश की प्रतिरक्षा के हित की बात है।

जहां तक तेल साफ करने का प्रश्न है, इसमें कोई सन्देह नहीं कि इस बारे में हमारी क्षमता बढ़ रही है। परन्तु इस बढी हुई क्षमता को भी पर्याप्त क्षमता नहीं कहा जा सकता। यह अत्यन्त खेद की बात है कि तेल के वितरण के बारे में कई एक विदेशी कम्पनियां मनमानी कर रही है। वे यह इस लिए कर रही है, क्योंकि मुद्राक्षेत्र मे की हमने कुछ तेल का आयात किया है। मेरा आग्रह यह है कि किसी तेल कम्पनी को यह अनुमति नहीं दी जानी चाहिये कि वह हम पर किसी प्रकार की शर्तें थोपे। किसी को भी हमारी वित्तीय नीति को हिलाने नहीं दिया जाना चाहिये।

अब मैं विभिन्न ईंधनों की बात करता हूं। विद्युत, कोयला तथा तेल के सम्बन्ध में मूल्यों का एकीकृत होना चाहिये। मूल्यों की व्यापक नीति एक जैसी होनी चाहिए। इस बारे में सरकार की नीति अलग अलग है। मेरा निवेदन है की तीनों ईंधनों के बारे में मूल्यों का समुचित आधार बनाया

जाना चाहिये। इस सम्बन्ध में यह बड़ी महत्वपूर्ण बात है। जो नीति हमने तेल को साफ करने के बारे में अपनाई है, वही नीति वितरण के बारे में भी होनी चाहिये। मूल्यों पर नियन्त्रण रखने के लिये यह बड़ा ही जरूरी है कि सामरिक महत्व के स्थानों पर बड़े बड़े स्टाक न रखे जाय। वैसे भी वस्तुओं के वितरण पर नहीं प्रत्युत मूल्यों पर नियन्त्रण रखा जाना चाहिये। पिछले महीनों में जो कुछ देखने में आया, उसकी पुनरावृत्ति नहीं होनी चाहिये। इससे मेरा मतलब यह कदापि नहीं कि सरकार की व्यापार व्यवस्था अथवा व्यापार नीति को बदला जाय। वर्तमान व्यापार व्यवस्था के अन्तर्गत ही वितरण पर सरकारी नियन्त्रण किया जा सकता है। और इससे स्थिति को काबू में रखा जा सकता है।

भारतीय तेल कम्पनी को अधिक से अधिक पम्पों की व्यवस्था देश में करनी चाहिये। 9000 पम्प तो इतने विशाल देश के लिये कुछ भी नहीं है। यह संख्या बढ़नी चाहिये। इस मामले में देश को आत्मनिर्भर करके हमें विदेशी विनिमय को बचाना चाहिए।

श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा (बाढ़) : तेल नीति पर अपने विचार व्यक्त करते हुए मुझे यह बात कहनी पड़ती है कि इस दिशा में श्री मालवीय का कार्य बहुत ही महत्वपूर्ण रहा है। गत दस वर्षों में देश के तेल उद्योग में काफी प्रगति हुई है। तीसरी योजना के अन्त तक तेल के उत्पादन, वितरण, साफ करने, पाइप लाइन बिछाने, पैट्रोलियम संयंत्रों को स्थापित करने में 500 करोड के लगभग रुपया लगाया जायेगा। इससे राशि कुछ अधिक ही होगी। इससे स्पष्ट है कि तेल उद्योग काफी प्रगति कर रहा है। इसके लिए मैं मंत्री महोदय को बधाई देती हूं। रूस के सहयोग से हम जो तेल की खोज कर रहे हैं उसमें हम सफल रहें तो हम इस मामले में बहुत देशों से आगे निकल जायेंगे। हम विश्व की अन्य व्यापार पद्धतियों के अनुसार अपनी तेल नीति को चला सकेंगे।

मुझे यह बात कहने में तनिक भी संकोच नहीं कि हमारे तेल शोधक कारखानों में बहुत बढिया कार्य हो रहे है। योजनाओं को बहुत अच्छी प्रकार से कार्यान्वित किया जाता है। मेरा यह आग्रह है कि मंत्री महोदय इस बात का आश्वासन दे कि क्षमता के बढ़ने के साथ साथ हम आत्मनिर्भर हो जायेंगे और इसके साथ ही शोधक-क्षमता पर समुचित रूप से सरकारी नियन्त्रण हो जायेगा। मुझे मंत्री महोदय के इस कथन से अतीव हर्ष हुआ कि देश की मशीनरी द्वारा ही हमारा उत्पादन बड़ा सन्तोष-जनक ढंग से चल रहा है। हमें इस मामले में किसी की सहायता लेने की आवश्यकता नहीं।

वितरण का प्रश्न भी हमारे समक्ष है, इस संदर्भ में विदेशी विनिमय संबंधी कठिनाइयों का उल्लेख किया गया है। इसमें कोई सन्देह नहीं कि हम विदेशी मुद्रा की बिकट समस्या का सामना कर रहे हैं। इस कारण वितरण में कुछ गड़बड़ी हो जाने की सम्भावना है। भारतीय तेल कर्मचारी बहुत ही अच्छा कार्य कर रहे हैं। मंत्री को यह देखना चाहिये कि चौथी योजना के अन्त तक स्थिती यह हो जानी चाहिए कि वितरण का पूर्ण अधिकार हमारे हाथ में आ जाय। इस बारे में हमें यह बात नहीं भूलना चाहिए कि तेल कम्पनियों का राष्ट्रीयकरण सरल कार्य नहीं है। इसके लिये हमें बहुत बड़ी राशि विदेशी मुद्रा के रूप में देनी होगी, विदेशी मुद्रा की उतनी राशि हमारे पास इस समय नहीं है। जब तक हम इस बारे में आत्मनिर्भर नही हो जाते हमें तेल के बारे में विदेशों पर आश्रित रहना ही होगा पर हमें प्रयत्न करना चाहिये कि हम उन देशों पर आश्रित न रहे जो हमें महंगी दरों पर तेल देते है। हमें अन्य मंडियों की भी तलाश करनी चाहिये।

तेल कम्पनियों को जो चेतावनी दी गयी है कि वितरण पर उनका एकाधिकार नहीं होगा, यह एक राष्ट्रीय हित का अच्छा कार्य है। बिना किसी नियन्त्रण के उन्हें निरन्तर पम्प चालू करते रहने की स्वछंद अनुमति उन्हें नहीं दी जा सकती। पम्पों पर तेल कम्पनियों के नियन्त्रण को भी रोका जाना चाहिये। मुझे यह भी कहना है, कि सीमाओं के बावजूद तेल कर्मचारियों ने बहुत ही शानदार कार्य किया है। हमें उनको मुबारकबाद देनी चाहिये। उन लोगों ने दिन-रात कार्य किया है।

[श्रीमती तारकेश्वरी सिन्हा]

[डा० सरोजिनी महिषी पीठासीन हुई
DR. SAROJINI MAHISHI *in the Chair*]

माननीय मंत्री महोदय के राज्य सभा के भाषण में तेल कम्पनियों को चेतावनी भी दी है कि वितरण में उनका एकाधिकार नहीं माना जाना चाहिए। यदि ये लोग शरारत करेंगे तो सरकार जो भी कार्यवाही करेगी, सदन उसके साथ होगा।

डा० रा० नेन० सेन (कलकत्ता पूर्व): भारत सरकार की तेलनीति बहुत ही बुरी है। मंत्री महोदय ने अपने वक्तव्य में जो यह कहा है कि तेल की कमी दूर हो गयी है, वह गलत है। वैसे भी तेल के वितरण, खोज तथा शोधक के कार्य की प्रगति बहुत धीमी है और उसमें बहुत कमियां है। इसके ऊँचे मूल्यों की शिकायतें तो आम है। मिश्रित अर्थव्यवस्था के कारण विदेशी सहयोग भी चल रहा है। इससे विदेशी कम्पनियों का एकाधिकार है। और इसमें अमरिका का कब्ला सब से अधिक है। हमें अब तक के अनुभव के आधार पर यह समझा लेना चाहिये था कि यह विदेशी कम्पनियां किस प्रकार देश में लूट मचा रही है।

तेल कम्पनियों के राष्ट्रीयकरण की बात की गयी है। मेरा निवेदन है कि तेल उद्योग की सामरिक स्थिति और महत्व को समझते हुए हमें देश के हित में इनके राष्ट्रीयकरण की बात सोचनी चाहिये। मेरी समझ में यह बात नहीं आई कि इस दिशा में सरकार को क्या आपत्ति है। आजकल ये तेल कम्पनियां दोहरा दबाव डाल रही है। एक दबाव कर्मचारियों को बेकार कर देने का है। यह बात बिना किसी संकोच के कह दी जाती है कि सरकार की नीति के कारण उन्हें बड़ी संख्या में कर्मचारियों की छंटनी करनी पडेगी। ये कंपनियां देश में लाखों कमा रही हैं। फिर भी उनकी प्रवृत्ति नफे को बढ़ाने की है। लगता यह है कि सरकार उनके आगे झुक रही है। और यह सब श्री कबीर द्वारा चलाई गई मिश्रित अर्थव्यवस्था का ही परिणाम है। लगता है कि यह व्यवस्था हमें कही का न छोड़गी।

एक अन्य बात और है। हमारी सरकार पैट्रो-केमिकल उद्योगों के बारे में भी विदेशी कम्पनियों के प्रति बड़ी उदार रही है। उनकी ओर सरकार का व्यवहार बड़ा सहानुभूतिपूर्ण है। अब भी हम यह प्रयास कर रहे है कि बेचिल निगम से हमारा करार हो जाय। यह बात समझ में नहीं आई कि हमारी सरकार ने रोमानिया की पेशकश का लाभ क्यों नहीं उठाया। इस बारे में सरकार की नीति घुटने टकने की रही है। हम विदेशी कम्पनियों के प्रभाव में आ जाते है।

मद्रास शोधन शाला के बारे में अमरिकी कम्पनियों से करार किया जा रहा है। यह हमारी कमजोरी है। विदेशी विनिमय की कमी की बात की जाती है। यह भी कहा जाता है कि हमारे पास प्रशिक्षित आदमी नहीं है। परन्तु सरकारी रिपोर्टों में कहा जाता है कि हमारे लोग बहुत योग्य और दक्ष है। यह भी कहा गया है कि हमारे इंजीनियर भी इतनी योग्यता रखते है जितनी कि रूसी इंजिनियरों में है।

हमें सब से पहले अपने संसाधनों को इकठ्ठा करना चाहिये। दूसरे संधानों में हमारी जनशक्ति शामिल होनी चाहिए। तीसरे हमें विदेशों से अधिक से अधिक सहायता प्राप्त करने के लिये करार करने चाहिए।

आजकल कई देश जो नीति अपना रहे है उसका हमें पता है। वे अनुचित दबाव डालने का प्रयत्न करते है। जब बर्मा और श्री लंका जैसे छोटे छोटे देश तेल उद्योग का राष्ट्रीयकरण कर सकते है तो मेरी समझ में नहीं आता सरकार के सामने इस दिशा में पग उठाने में क्या कठिनाई है। इससे तो केवल यही प्रतीत होता है कि माननीय मंत्री में साहस की कमी है। यदि ऐसी बात है तो हम पूरे दिल के साथ माननीय मंत्री का साथ देने के लिये तैयार है।

श्री जोकीम आल्वा (कनारा) : सभापति महोदय, हिटलर को युद्ध में हार इसलिये हुई थी उसके टैंकरों का तेल समुद्र में फैल गया था जिसमे परिणामस्वरुप टैंकर नष्ट हो गये और विमानों को तेल नहीं मिल सका।

बड़े खद की बात है कि विदेशी तेल कम्पनियां हम पर कई प्रकार का दबाव डाल रही है ये जो डर है कि यदि सरकार ने शीघ्र कड़ी नीति न अपनाई तो इस सभा में उनके पक्ष के लोग आने लगेंगे।

मेरी समझ में नहीं आता कि पेट्रो रसायन उद्योग और अन्य संबन्धित उद्योगों को सरकार ने गैर-सरकारी लोगों के हाथों में क्यों दे रखा है ? सरकार, योजना आयोग, तेल तथा प्राकृतिक गैस आयोग इन उद्योगों को अपने हाथ में क्यों नहीं ले लेते ? आज तेल कम्पनिओं में कुछ ऐसे लोग है जो देश भक्त नहीं हैं और विदेशी हितों के पक्ष में हैं।

हमारे पास ऐसे योग्य युवक है जो विदेशों की इस चुनौती को स्वीकार करने के लिये तैयार है। हमारी कमी एक यह है कि हम अपने रिश्तेदारों और भाई भतीजों को नौकरियां देने का प्रयत्न करते है। यही नहीं होना चाहिये। यदि ऐसा हुआ तो हम अपने देश को इस संकट से नहीं निकाल पायेंगे। काल्टेक्स, बर्माशेल और स्टेन्डर्ड आयल नाम की कम्पनियां इनमें काम करने वाले भारतीय कर्मचारियों पर दबाव डाल रही है। हमें पूरी ताकद के साथ इसका मुकाबला करना चाहिये, यदि हम अपने देश को विदेशी फन्दे से निकालना चाहते हो।

1963 में विश्व में कुल 12,920 लाख टन तेल का उत्पादन हुआ। इसमें से 12,000 लाख टन पश्चिमी युरोप ने पैदा किया। आज पश्चिमी ताकतें तेल से अन्धाधुन्द पैसा कमा रही है। हमें शीघ्रही तेल के संबंधमें कड़ी नीति अपनाने की आवश्यकता हैं। हम रूस और रुमानिया के आभारी है कि उन्होंने अंकलेश्वर और बहुत से और स्थानों में तेल का पता लगाने में हमारी सहायता की।

बर्मा शेल रिफाइनरीज, बम्बई का प्रबन्ध बहुत अच्छा हैं और मै चाहता हू कि हमारे तेल एककों का प्रबन्ध भी इसी तरीके से किया जाये।

हमें इस बातका भी खयाल रखना है कि हम अपने युवक कर्मचारियों को अच्छा वेतन दे। छोटे वेतन प्राप्त करने वाले कर्मचारियों की ओर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता हैं।

1963 में विश्व के कुल तेल उत्पादन में अमरिका का 45 प्रतिशत भाग था। हम अमरिका के तेल सम्राटों को जानते हैं जो अमरिका पर हकुमत करते हैं।

मैं चाहता हू कि माननीय मंत्री इस संबंध में सभा पटल पर विवरण रखें जिसमें यह जानकारी दी गई हो कि पिछले 10 वर्षों में विदेशी कम्पनियों ने कुल कितनी विदेशी मुद्रा विदेशों को भेजी।

सभी विदेशों के एकस्व (पेटेंट) को समाप्त कर दिया जाना चाहिये। ब्रिटेन आज 600 फुट की गहराई पर समुद्र में तेल की खोज कर रहा है। अब समय आ गया है जब कि हमें तेल के संबंध में एक राष्ट्रीय नीति अपनानी चाहिये।

Shri D. N. Tiwary (Gpalganj) : Mr. Chairman, on the 16th of August, 1965 the hon. Minister made a heartening announcement in this House regarding three things ; first, that Oil exploration will be intensified ; second, that expansion of private refineries will be considered and third, that the situation regarding the shortage of oil in the country has eased.

Regarding the first thing, I am to say that in the exploration work Government should hold majority shares. The Private companies should be made to share the loss also and not only the profits. There should be consolidated account

[Shri D. N. Tiwary]

of all the exploration Companies. They should share the loss and the profits proportionately. We have also to see that Government should have an upper-hand in the partnership.

Regarding the second thing that expansion of private refineries will be considered, I feel that there is a move to allow them to increase their capacities.

The Minister of Petroleum and Chemicals (Shri Humayun Kabir) : There has been no expansion for the last 2 to 2½ years. All expansion was before that.

Shri D. N. Tiwary : But, why do you at all think in those terms. We should take a final decision in this matter that we will never permit them to increase their capacities.

You know very well their motives and the difficulties encountered by you in dealing with them.

The third thing he said, was regarding the kerosene oil situation. The hon. Minister has said in his statement that the situation in Kerala has deteriorated. I want to know what is the situation in Bihar, in Delhi itself. For three days I was hunting for kerosene oil and I could not get even one bottle for use in the lamp during the black out days. Government is submitting wrong statistics to this House. They are shutting their eyes to reality. I conversed with the hon. Minister several times and he said that there is no shortage of oil, only the distribution is faulty. Distribution, is the responsibility of the States. The State Government say that they have no oil. It is a simple thing that if they had the oil why should they not distribute it. Why should they earn a bad name for nothing ? Your advisers are not in touch with the public. They are not giving correct information. On the basis of their wrong information you say that the situation has been eased. We are in touch with the public. Ask any Member about the situation in his area. There is great dissatisfaction among the masses and we must give a serious thought to it and remove it.

श्री मं० रं० कृष्ण : क्या मुझे भी अवसर मिल सकेगा ?

सभापति महोदय : कितने सदस्य चर्चा में भाग लेना चाहते है ?

कुछ माननीय सदस्य खडे हुये—

सभापति महोदय : क्या सभा की यह राय है कि इसका समय एक घंटा और बढ़ा दिया जाये ?

माननीय सदस्य : जी हां ।

सभापति महोदय : तो समय एक घंटा बढा दिया गया है । तारीख और समय बाद में निश्चित किये जायेंगे । श्री यशपाल सिंह ।

Shri Yashpal Singh (Kairana) : The intentions of the Minister are good, but for want of knowledge he is not able to work for the good of the country.

The people are not interested whether you nationalize or denationalize the oil industry. They do not care for that. What they want is that they should get the

things they require. In the Constitution you have promised that nutritious food will be given to every body. Who is going to believe that when an M. P. says that he is not able to get kerosene oil ? The profiteers are holding the stocks of kerosene oil to make more profits. The situation in the villages is even worse. Unless death punishment is given to the profiteers, unless a dead body of a profiteer is hung in Chandni Chowk situation is not likely to improve.

This Government purchased 40,000 tractors. Out of those 40,000 tractors 20,000 are not working in order and out of the remaining 20,000, 10,000 are not working because they are not getting diesel oil. Government should tell us how much production has suffered on account of this.

On the one hand Government says that our stock of oil is much greater than the demand. But on the other hand we cannot do without Esso and Burmah Shell. I would request Shri Humayun Kabir not to be an easy chair politician. He should move through the streets of Delhi and see for himself what the real situation is. The hoarders should be brought out and severe punishments should be inflicted upon them.

श्री अ० ना० विद्यालंकार (होशियारपुर) : मैं माननीय मंत्री के नीति संबंधी विवरण का समर्थन करता हूं । मैं मेरे माननीय मित्र डॉ० रानेन सेन की इस बात से सहमत नहीं हूं कि सरकार की नीति कमजोर है अथवा विदेशी तेल कम्पनिया माननीय मंत्री पर दबाव डाल रही हैं । वास्तव में यह ऐसा क्षेत्र है जिसमें सरकार ने बहुत बड़ा कार्य किया है । श्री के० दे० मालवीय और श्री कृष्ण मेनन इन दो भूतपूर्व मंत्रियों ने इस देश की अर्थव्यवस्था को मजबूत बनाने में बड़ा योग दिया है । वास्तव में तेल का संबंध रक्षा कार्यों से भी है । इसलिये मैं समझता हूं कि इसका राष्ट्रीकरण कर देना चाहिये ।

यह एक ऐसा उद्योग है कि जिसमें गैर-सरकारी मुनाफे की इजाजत नहीं दी जानी चाहिये और इसका नियन्त्रण विदेशियों के हाथ में नहीं रहने देना चाहिये ।

यह सच है कि इस रास्ते में कठिनाइयाँ हैं परन्तु हमारी नीति यही होनी चाहिये कि इसका राष्ट्रीकरण किया जाये ।

विवरण को देखने से पता चलता है कि तेल और डीज़ल के मामले में हम आत्मनिर्भर होते जा रहे हैं । इससे काफी उम्मीद बन्धती है । इसमें सबसे अच्छी बात यह कि गई है कि और अधिक तेल शोधन कारखाने स्थापित किये जायेंगे और सरकार उनको अपने हाथ में लेगी । कुछ ऐसा संकेत भी है कि कुछ तेल शोधक कारखाने गैर-सरकारी क्षेत्र में स्थापित किये जायेंगे अथवा कुछ विदेशी सहयोग होगा । मैं विदेशी सहयोग को बुरा नहीं समझता । परन्तु मैं चाहता हूं कि हमारी पकड़ मज़बूत होनी चाहिये ।

खुदाई का काम उस गति से नही चल रहा है जिस गति से इसे आरम्भ किया गया था । मैं चाहता हूं कि इसकी गति को तेज किया जाये ।

जहां तक वितरण का संबंध है सरकार ने इसके लिये कम्पनियों के सहयोग से एक योजना तैयार की है । परन्तु इस समय वितरण की स्थिति संतोषजनक नहीं है । इसकी उचित जांच होनी चाहिए । सरकार को यह सुनिश्चित करना चाहिये कि राज्य सरकारें तेल का सही तरीके से वितरण करें । यदि वितरण सही नहीं होता तो सारा आरोप केन्द्रीय सरकार पर आता है ।

Shri Madhu Limaye (Monghyr) : Mr. Chairman, now the question before us is that of the equitable distribution of the kerosene oil, diesel oil etc. which are so essential for living.

[Shri Madhu Limaye]

On the basis of statistics the Hon. Minister has proved that there is no shortage of kerosene oil in the country. He said that the supply of kerosene oil in July, 1965 was 5 percent more than the corresponding month in the previous year. On this basis he has concluded that there is no shortage and that the procurement is increasing.

It shows that the Minister is not living on the earth but in the sky. He does not know that common people are not able to get kerosene oil. I went to Bihar and there I saw that the condition is even worse. He says that the distribution is faulty and that is the responsibility of the State. It shows that the Minister is not having a responsible attitude. He is not fully discharging his responsibilities.

As far as kerosene and diesel is concerned profiteering is going on. The crude oil right from its source upto the consumers' state passes through terrible black-marketing. There is no control over it. If the Government tries to remedy the situation the Parliament will welcome the efforts of the Government in this direction. Oil refineries are also having huge profits. They are earning profits between 20 to 45 percent. The hon. Minister has also admitted that the highest profit of these companies was 36 percent but now it has gone very high. Government should try to cut down the profits of these companies. This will be an act in the right direction. The taxes should also be reduced.

Regarding the distribution I have to make a suggestion that the work relating to the distribution of all the essential commodities such as kerosene, diesel, sugar, food-grains etc, should be brought under the direct control and supervision of the committees constituted of the citizens and all the parties in every city and village. This will go a long way in facing the emergency boldly through which we are passing. Unless the Government adopts the policy of self-dependence regarding kerosene and petrol, the foreign countries will continue to try to black-mail us.

डा० लक्ष्मीमल्ल सिंघवी (जोधपुर) : इस देश की तेल संबंधी नीति में श्री कबीर जो परिवर्तन लाये है इसके लिये मैं उन्हें बधाई देता हूं। उन्होंने इस देश में पेट्रो-रसायन कम्पलेक्स बनाने के कार्य को बड़ा प्रोत्साहन देने का कायदा किया है। हमारे देश की वर्तमान तथा भविष्य की अर्थव्यवस्था पर इसका बहुत अधिक और स्थायी प्रभाव पड़ेगा। मैं समझता हूं कि ऐसे समय में विदेशी सहयोग की निन्दा करना उचित नहीं है जब कि हमारे नेता अधिकाधिक विदेशी सहयोग प्राप्त करने का प्रयत्न कर रहे हैं। हमें इस चीज को भली भांति समझना है कि विदेशी सहयोग हमारे आत्म सम्मान के विरुद्ध नहीं है।

इसके पश्चात् लोक-सभा शुक्रवार, 10 सितम्बर, 1965/19 भाद्र, 1887 (शक) के दस बजे तक के लिये स्थगित हुई।

The Lok Sabha then adjourned till ten of the Clock on Friday, September 10, 1965/Bhadra 19, 1887 (Saka).

भासमुना–वि 5–31 लोक सभा।65–1-6-66–600,